Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

90269

भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें

अवसर एवं चुनौतियां

वर्ल्ड बैंक ग्रुप
साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज्यूकेशन की ओर से रिपोर्ट
जून, 2014

भारत में
राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें
अवसर एवं चुनौतियां

वर्ल्ड बैंक ग्रुप
साउथ एशिया ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एज्यूकेशन की ओर से रिपोर्ट
जून, 2014

कॉपीराइट : 2014 द इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट/विश्व बैंक
1818 एच स्ट्रीट, न्यूयॉर्क
वाशिंगटन, डी0सी0–20433
यूएसए

प्रकटन

यह पुस्तक द इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट/विश्व बैंक के कर्मचारियों की संपत्ति है। इस खंड में व्यक्त किए गए परिणाम, विश्लेषण और निष्कर्ष अनिवार्यतः विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों या जिन सरकारों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मतों को परिलक्षित नहीं करते हैं। विश्व बैंक, इस कार्य में शामिल आंकड़ों की सत्यता की गारंटी नहीं लेता है। इस कार्य में किसी भी नक्शे पर दर्शाई गई सीमाओं, रंगों, चिन्हों और अन्य सूचना का तात्पर्य किसी भी राज्य क्षेत्र की कानूनी स्थिति के संबंध में विश्व बैंक की ओर से किसी निर्णय से, या ऐसी सीमाओं से सहमति या स्वीकार्यता से नहीं है।

अधिकार और अनुमतियां

इस पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री का कॉपीराइट सुरक्षित है। बिना अनुमति के इस पुस्तक के किसी भाग या सम्पूर्ण पुस्तक की प्रतिलिपि करना और/या प्रसार करना प्रयोज्य कानून का उल्लंघन हो सकता है। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रीकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट/विश्व बैंक इस पुस्तक के प्रसार को प्रोत्साहित करता है और सामान्यतः इस प्रकार की अनुमति तत्परतापूर्वक प्रदान कर दी जाएगी।

अधिकारों और अनुज्ञप्तियों, जिनमें अनुषंगी अनुज्ञप्तियां भी शामिल हैं, से संबंधित सभी प्रश्न प्रकाशक के कार्यालय के पते अर्थात विश्व बैंक 1818 एच स्ट्रीट, न्यूयॉर्क वाशिंगटन, डी0सी0–20433 यूएसए को भेजे जाने चाहिएं। फैक्सः 202–522–2422, ई–मेलः pubrights@worldbank.org

डिजाइन और प्रिंटिंगः मैक्रो ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड www.macrographics.com

विषय-सूची

प्राक्कथन v

संश्लिष्ट अध्याय: भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें: अवसर और चुनौतियां १

परिचय 1

भारत में मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों की केस स्टडीज 2

भारतीय केस स्टडीज से होने वाले अवलोकन 3

अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज से सीखें 5

प्रभावी एसएचईसी के प्रमुख विशेषताएं 8

सिफारिशें 10

अनुबंध-१: भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें १२

आंध्र प्रदेश 13

गुजरात 14

कर्नाटक 15

केरल 16

महाराष्ट्र 18

तमिलनाडु 19

उत्तर प्रदेश 20

पश्चिम बंगाल 21

आठ भारतीय राज्यों में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सारांश 23

अनुबंध-२: राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के संबंध में देशों की केस स्टडी ३०

चीन- वर्ष 1978 से चीन की उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था–केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा लोक निकायों को प्राधिकारों एवं कार्यों का पुनः आवंटन 30

इंग्लैंड- 1970 के दशक से इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा मध्यवर्ती निकायों का विकास 44

संयुक्त राज्य अमेरिका- संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य उच्चतर शिक्षा बोर्ड: विकास तथा कुशल व्यवहार 49

संदर्भग्रंथ सूची ७४

प्राक्कथन

इस रिपोर्ट को कुर्त लारसन (वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ) के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है, जिसमें टोनी लिंडन (अग्रणी शिक्षा विशेषज्ञ) के साथ ही साथ जेनेट चेऑग, वेंकटेश कुमार, एम्स मैक गिनीज, सौम्य मिश्रा और निक सैंडर्स (सभी विश्व बैंक के परामर्शदाता) भी शामिल थे। यह टीम भारत की आठों राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहेगी और साथ ही उन सभी हितधारकों का भी, जिनके साक्षात्कार इस रिपोर्ट के लिए सामग्री एकत्रित करने हेतु लिए गए थे। उनका ज्ञान और जानकारी साझा करने की इच्छा, इस रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने में सहायक रही।

मसौदे की समीक्षा अन्ना विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति और तमिलनाडु राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रो0 आनंदकृष्ण (भूतपूर्व राजदूत और केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी प्रमुख टी0पी0 श्रीनिवासन, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एन0वी0 वर्गिस और विश्व बैंक की नीना आर्नल्ड (वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ) तथा फ्रांसिस्को मारमजेलो (तृतीय शिक्षा समन्वयक) द्वारा की गई। यह टीम उन सभी टिप्पणियों और सुझावों के लिए आभारी है, जिनका इस रिपोर्ट के सुधार में उल्लेखनीय योगदान रहा। अमित दार (शिक्षा क्षेत्रीय प्रबंधक) ने इस समूची प्रक्रिया के दौरान समस्त प्रबंधन समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान किया। रेणु गुप्ता ने सारी तैयारी और परामर्श चरण के दौरान उत्कृष्ट प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराई।

इस रिपोर्ट में, भारत की मौजूदा उच्चतर शिक्षा परिषदों की विशेषताओं, प्रमुख कार्यों के साथ ही साथ महत्वपूर्ण पहलों और परिणामों का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) की विधिक बाध्यताओं और वास्तविक वर्तमान परिपाटियों तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की उम्मीदों के बीच मौजूद अत्यधिक फर्क को उजागर करती है। इसके अतिरिक्त मौजूदा एसएचईसी की भूमिका और कार्यों को सुदृढ़ बनाने के साथ ही साथ नई एसएचईसी की स्थापना के लिए मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क निर्मित करने की अत्यंत आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में कर्मचारियों की कुशलता और सक्षमताओं को विकसित करने की आवश्कता को रेखांकित किया गया है ताकि नियोजन तथा निर्णयन में आंकड़ों/सूचना के इस्तेमाल, जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से किया जा सके। प्रभावी एसएचईसी की स्थापना आरयूएसए स्कीम के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक अनिवार्य कदम है।

वेंकटेश कुमार एवं सौम्य मिश्रा ने ''भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों'' से संबंधित अध्याय का मसौदा तैयार किया। यह अध्याय आठों एसएचईसी के साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में हितधारकों के साथ किए गए विस्तृत साक्षात्कारों पर आधारित है, जिनके साथ परिषदें परस्पर–संवाद कर रही हैं। आठों एसएचईसी का विश्लेषण मई 2014 तक कर लिया गया था और उसके बाद से इस रिपोर्ट में एसएचईसी की नई गतिविधियों को शामिल करना संभव नहीं हो पाया है।

चीन, इंग्लैंड और अमरीका की उच्चतर शिक्षा परिषदों की अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज से मिलने वाली सीख, जो भारत के राज्यों को अपनी राज्य परिषदों को विकसित करने के प्रयासों के लिए प्रेरित कर सकती है, अनुबंध–2 में उपलब्ध कराई गई है नानकाई यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम, जिसमें नानकाई यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट गोंग की के मार्गदर्शन में रू निंग, चेन बतीर, सोंग किरांग और लिउ किंगुआ शामिल थे, ने चीन की केस स्टडी तैयार की, जेनेट चियांग और निक सेंडर्स इंग्लैंड की केस स्टडी के इंचार्ज थे और एम्स मेक गयून्निस्स तथा कुर्त लार्सन अमरीका की केस स्टडी के इंचार्ज थे।

इस रिपोर्ट के लिए वित–व्यवस्था यूनाइटेड किंगडम के अंतरराष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा कृपापूर्वक की गई।

संश्लिष्ट अध्याय:

भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें:

अवसर और चुनौतियां

परिचय

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) स्कीम की एक पूर्वापेक्षा यह है कि राज्य एक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (एसएचईसी) का गठन करें। यह भारतीय उच्चतर शिक्षा नीति में एक मूलभूत परिवर्तन को दर्शाता है, विशेषकर नियोजन की इकाई के रूप में राज्यों की भूमिका को मान्यता देने के लिए और इस प्रयोजन के लिए कि राज्यों की दिशा में प्रवाहित होने वाली विविध वित्तपोषण धाराएं (केंद्रीय और राज्य) एसएचईसी नियोजन के साथ मिलें। तथापि, आरयूएसए की अपेक्षाओं के आगे, भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के बड़े पैमाने और जटिलता के लिए आवश्यक है कि राज्य इस व्यवस्था के नियोजन और समन्वय में सक्रिय भूमिका निभाएं। इस अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करने के लिए राज्यों के पास प्रभावी राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें होनी चाहिएं।

आरयूएसए योजना से 12वीं और 13वीं योजनाओं के दौरान राज्य उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण अकादमिक, प्रशासनिक और अभिशासन संबंधी सुधार आने की आशा है। आरयूएसए के 16 उद्देश्य सूचीबध) हैं। 16वां उद्देश्य राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) के सृजन को सुगम बनाने से संबंधित है। आरयूएसए का आशय है कि एसएचईसी को आरयूएसए के इस विजन को मूर्तरूप देने में केंद्रीय भूमिका निभानी है कि राज्य उच्चतर शिक्षा व्यवस्था में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ प्रवेश, समानता और उत्कृष्टता के उच्चतर स्तर हासिल करने हैं''। अन्य 15 उद्देश्य उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षी नीतिगत उद्देश्य हैं–जिनमें से प्रत्येक को अन्य देशों में दीर्घावधिक लक्ष्यों के लिए माध्यम में देखा जाना चाहिए।

पूर्वज्ञात है कि एसएचईसी में निम्नानुसार नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन, गुणवत्ता आश्वस्ति, सलाहकारी और वित्तपोषण संबंधी कार्य होंगे:–

आरयूएसए दस्तावेज से उद्धरण

एसएचईसी का गठन राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा के लिए ठोस योजना और वित्त व्यवस्था तैयार करने की दिशा में प्रारंभिक चरण है। राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या और जितनी बड़ी संख्या में छात्रों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं, इसे देखते हुए, यही उचित है कि राज्यों को उच्चतर शिक्षा की इकाई रखा जाए। चूंकि राज्य विश्वविद्यालय अत्यधिक संख्या में हैं, अतः किसी केंद्रीय व्यवस्था द्वारा उनकी मॉनीटरिंग नहीं की जा सकती। राज्यों और केंद्र के बीच तालमेल के अभाव से सूचना संबंधी अंतर पैदा होता है, जिसका परिणाम खामीयुक्त संसाधन नियोजन और आवंटन के रूप में होता है। राज्य अक्सर राज्य संस्थानों को मिलने वाले केंद्रीय आवंटन के संबंध में अवगत बने रहने की आवश्यकता व्यक्त करते रहे हैं। इस प्रकार, एसएचईसी को ऐसे निकाय के रूप में सृजित करना आवश्यक है, जो केंद्र के साथ ही साथ राज्य से भी दूरी बनाए रखे, उनके संसाधनों के साथ साहचर्य बनाए और राज्य स्तर पर नियोजन, निगरानी, गुणवत्ता नियत्रण और समन्वय के कार्यों को पूरा करे। एसएचईसी राज्य में उच्चतर शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए और विश्वविद्यालयों के बीच संसाधनों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहित करने, संस्थानों में साहचर्य से लाभान्वित होने, संस्थान स्तर पर अकादमिक और अभिशासन संबंधी सुधारों का नेतृत्व करने, संस्थानों के वित्तपोषण के सिद्धांत स्थापित करने, उच्चतर शिक्षा पर डेटा बैंक तैयार करने और अनुसंधान तथा मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी होंगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2013 पृ. 149।

रणनीति और नियोजन

- राज्य उच्चतर शिक्षा योजना तैयार करना (संभावित योजना, वार्षिक योजना और बजट योजना)।
- राज्य संस्थानों से सुझाव लेना, जिनसे राज्य उच्चतर शिक्षा योजना में सहयोग प्राप्त हो।
- सर्वोच्च निकायों, विनियामक संस्थानों और सरकार के बीच समन्वय।

निगरानी और मूल्यांकन

- राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
- प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) का सृजन और अनुरक्षण।
- राज्य और संस्थागत स्तर पर आवधिक आंकड़ों का एकत्रण और अनुरक्षण।
- विकसित किए गए मानकों और प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) के आधार पर राज्य संस्थानों का मूल्यांकन करना।

गुणवत्ता आश्वस्ति और अकादमिक कार्य

- संकाय गुणवत्ता संवर्धन को प्रोत्साहन और समर्थन देना।
- परीक्षाओं का एकीकरण और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- सुनिश्चित करना कि पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता का अनुरक्षण हो।
- अनुसंधान में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- सभी राज्य संस्थानों की संस्थागत स्वायत्तता का संरक्षण करना।
- नए संस्थानों/कॉलेजों को अनुमोदित करना।
- मान्यता संबंधी सुधारों को प्रोत्साहित करना।

सलाहकारी कार्य

- उच्चतर शिक्षा में रणनीतिक निवेशों पर राज्य सरकारों को सलाह देना।
- विश्वविद्यालयों को सांविधिक और अध्यादेश निरूपण पर सलाह देना।

वित्तपोषण संबंधी कार्य

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राज्य उच्चतर शिक्षा योजना और पारदर्शी मानदंड–आधारित वित व्यवस्था पद्धति के आधार पर सार्वजनिक निधियां वितरित करना।

जहां आरयूएसए दस्तावेज में एसएचईसी के संबंध में कुछ मूलभूत आशाएं निर्धारित की गई हैं, वहीं यह राज्य सरकारों का दायित्व होगा कि वे अपनी स्वयं की एसएचईसी स्थापित करें, जो अपनी विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करें।

एसएचईसी के कार्यान्वयन में राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, इस रिपोर्ट में मौजूदा एसएचईसी वाले आठ भारतीय राज्यों तथा तीन देशों चीन, इंग्लैंड और अमरीका पर केस स्टडीज तैयार की गई हैं, जिनमें से प्रत्येक को एसएचईसी का अनुभव रहा है।

भारत में मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों की केस स्टडीज

अनेक देशों को एसएचईसी की स्थापना और परिचालन का पूर्व अनुभव रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में, भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के आकार, पैमाने और जटिलताओं की पहचान करते हुए राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणालियों के बेहतर नियोजन और समन्वय के लिए एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में एसएचईसी की स्थापना की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के फलस्वरूप, आने वाले वर्षों के दौरान आठ देशों ने एसएचईसी की स्थापना की। सात एसएचईसी (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में) की स्थापना विधायिका के अधिनियम द्वारा की गई, जबकि गुजरात राज्य में एसएचईसी की स्थापना एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई[1]।

आरयूएसए के अधीन एसएचईसी द्वारा निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका को मान्यता देते हुए, इस परियोजना में भारत की मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के सामने आरयूएसए के अंतर्गत पूर्वज्ञात भूमिका और कार्यों को पूरा करने में आने वाली चुनौतियों की

1 विभिन्न राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की भूमिका का निर्वाह करने वाले अपने निकाय के लिए अलग–अलग नामों का इस्तेमाल करते थे।

समीक्षा की गई[2]। इस समीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नों का विश्लेषण किया गया:–

- मौजूदा परिषदों की विशेषताएं (कानूनी स्थिति, शक्तियां, सदस्यता, निष्पादन का रिकॉर्ड आदि) क्या हैं?
- मौजूदा राज्य परिषदें किस सीमा तक आरयूएसए की अपेक्षाओं के अनुरूप हैं?
- मौजूदा राज्य परिषदों से आरयूएसए की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले राज्य परिषदों में परिवर्तन किए जाने या इन अपेक्षाओं को पूरा करने वाली नई राज्य परिषदों की स्थापना के अनुभव से क्या सबक सीखे जा सकते हैं?

भारतीय केस स्टडीज से होने वाले अवलोकन

निम्नलिखित खंड आरयूएसए में विनिर्दिष्ट प्रमुख कार्यों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। ***सामान्य अवलोकन की दृष्टि से देखा जाए, तो ये केस स्टडी एसएचईसी के कार्यों से संबंधित राज्य के औपचारिक (कानूनन) विधिक प्रावधानों और इन प्रावधानों के वास्तविक (वस्तुत:) कार्यान्वयन के बीच उल्लेखनीय फर्क को उजागर करते हैं।*** अनेक एसएचईसी को कतिपय औपचारिक शक्तियां और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, किंतु व्यवहार में इन्होंने अपने पूर्ण प्राधिकार का उपयोग नहीं किया है, जैसा कि भारतीय एसएचईसी की समीक्षा के निष्कर्षों से देखा जा सकता है, जिन्हें सारणी–1 में दिया गया है। अनेक एसएचईसी को पूर्वज्ञात आरयूएसए शक्तियां और कार्य (विधिक दायित्व– काले रंग में) प्राप्त हैं किंतु इन्हें व्यवहार में लागू नहीं किया गया है (वर्तमान परिपाटी–लाल रंग में)।

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात की एसएचईसी के परिषद सदस्यों की शायद ही कभी बैठकें हुई हैं और अनिवार्यत: ये परिषदें कार्य नहीं कर रही हैं। बहरहाल, इन परिषदों के सचिव कुछ कार्यों को करने में सफल रहे हैं, जैसा कि अनुबंध–1 में दर्शाया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2014 में सरकारी अधिसूचना द्वारा अपनी एसएचईसी में एक अकादमिक को अध्यक्ष नियुक्त करके, इसकी पुनर्संरचना की है।

2 आठ भारतीय एसएचईसी केस स्टडीज की विस्तृत समीक्षा के लिए कृपया देखें अनुबंध–1 भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें।

रणनीति और नियोजन

अधिकांश एसएचईसी रणनीतिक नियोजन, जैसे अनेक कार्यों को करने के लिए प्राधिकृत हैं, जिसमें राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं की तैयारी और अन्य विनियामक निकायों के साथ नियमित अंतक्रिया शामिल है। ***तथापि, व्यवहार में, मौजूदा एसएचईसी किसी भी प्रकार की राज्य व्यापी नियोजन गतिविधियों में शामिल नहीं रही हैं और केंद्रीय और राज्य वित्तपोषण निकायों द्वारा संस्थानों की सीधी और अत्यधिक खंडित वित्त व्यवस्था की गई है, जिसका राज्य स्तर पर समन्वित नियोजन और आवश्यकताओं के आकलन से अत्यल्प संबंध रहा है।***

निगरानी और मूल्यांकन

तीन राज्यों, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल में एसएचईसी की निगरानी और मूल्यांकन संबंधी भूमिका का प्रावधान किया गया है। एसएचईसी ने सार्थक भूमिका निभाए जाने के दृष्टांत रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, गुजरात में एसएचईसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए *मिशन मोड इंप्लिमेंटेशन* कार्यक्रम अपनाया है कि सभी पहलों की तैयारी, नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी अच्छी तरह से हो, चाहे इसके परिषद सदस्यों की बैठक नियमित रूप से न हुई हो। गतिविधियों का नियोजन और कार्यान्वयन, सूचना एकत्रण और प्रसार, इस संरचना का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। पश्चिम बंगाल में अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट का कार्य संस्थानों के अंदर स्थापित किया गया है। ***तथापि, सामान्य तौर पर एसएचईसी ने न तो उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की और न ही संस्थानों के संबंध में निगरानी और मूल्यांकन कार्य किया है।*** इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि किसी भी एसएचईसी में ठोस प्रबंधन सूचना प्रणाली नहीं है और न ही आवधिक, विश्वसनीय आंकड़ों को एकत्रित करने और अनुरक्षण की सक्षमता है, हालांकि गुजरात राज्य में गुजरात ज्ञान कोष का एक कथित उद्देश्य यही है। एसएचईसी ने इसके अतिरिक्त संस्थानों के मूल्यांकन के लिए कोई फ्रेमवर्क विकसित नहीं किया है। संस्थानों के मूल्यांकन के लिए मानकों और प्रमुख निष्पादन संकेतकों (केपीआई) की कमी है।

गुणवत्ता आश्वस्ति और अकादमिक कार्यकलाप

अनेक एसएचईसी ने गुणवत्ता आश्वस्ति और अकादमिक संबंधी कुछ मुद्दों पर ध्यान देना आरंभ किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरल ने कुछ उपाय किए हैं– जैसे

सारणी 1 राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों की विधिक और "व्यावहारिक" शक्तियां और कार्य

राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना, शक्तियां और कार्य	आंध्र प्रदेश		गुजरात		महाराष्ट्र		कर्नाटक		केरल		तमिलनाडु		उत्तर प्रदेश		पश्चिम बंगाल	
	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक	विधिक	व्यावहारिक
रणनीति और योजना																
1. राज्य उच्चतर शिक्षा योजना (संभावित योजना, वार्षिक योजना और बजट योजना) तैयार करना	✓						✓		✓		✓		✓		✓	
2. राज्य संस्थानों को उनकी योजनाएं बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सुझाव प्रदान करना	✓						✓		✓		✓		✓			
3. सर्वोच्च निकायों, विनियामक संस्थानों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓
निगरानी और मूल्यांकन																
4. राज्य उच्चतर शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी	✓														✓	
5. प्रबंधन सूचना प्रणालियां सृजित और अनुरक्षित करना			✓													
6. राज्य और औद्योगिक स्तर पर आवधिक आंकड़े समेकित और अनुरक्षित करना			✓													
7. विकसित मानदंडों केपीआई के आधार पर राज्य संस्थानों का मूल्यांकन करना																
गुणवत्ता आश्वस्ति और अकादमिक कार्य																
8. संकाय गुणवत्ता संवर्धन कार्य			✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. परीक्षाओं की गुणवत्ता	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10. पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता का अनुरक्षण	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11. अनुसंधान में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
12. राज्य संस्थानों की स्वायत्तता को संरक्षित करना	✓	✓					✓	✓	✓	✓						
13. नई संस्थाओं/कॉलेजों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान करना	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓
14. मान्यता संबंधी सुधारों को बढ़ावा देना	✓	✓							✓	✓						
सलाहकारी कार्य																
15. राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा में रणनीतिक निवेशों पर सलाह देना	✓	✓							✓	✓						
16. विश्वविद्यालयों को सांविधि और अध्यादेश निरूपण पर सलाह देना	✓	✓							✓	✓	✓	✓				
वित्तपोषण संबंधी कार्य																
17. राज्य विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राज्य उच्चतर शिक्षा योजना और पारदर्शी मानदंडों के आधार पर निधियां आवंटित करना																

पाठ्यक्रमों को अद्यतन करना, परीक्षाओं में सुधार और नई संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमोदन।

सलाहकार कार्य

एसएचईसी के सलाहकार कार्यों में राज्यों को अधिनियमों और विधायी निरूपणों के जरिए विधिक सुझाव प्रदान करना और राज्यों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रणनीतिक निवेशों पर सलाह देना शामिल है। यह कार्य तीन एसएचईसी (आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु) को सौंपा गया है। ***केवल इन तीन राज्यों की एसएचईसी संस्थानों को विश्वविद्यालय व्यवस्था की बेहतर और प्रभावी कार्यप्रणाली के लिए सांविधियां और अध्यादेशों के निरूपण, जैसे मुद्दों पर सलाह और समर्थन प्रदान कर रही हैं। अधिकांश एसएचईसी ऐसे कार्य करती प्रतीत होती हैं, जिनमें मुख्यतः सिफारिशें करना शामिल है, या फिर सलाह प्रदान करना और अधिक से अधिक सेमिनार और गोष्ठियों के आयोजन करने जैसे कार्य शामिल हैं।***

वित्तपोषण संबंधी कार्य

राज्यों ने मौजूदा एसएचईसी को किसी उल्लेखनीय वित्तपोषण आवंटन प्राधिकार से युक्त नहीं किया है। एसएचईसी द्वारा अधिक उल्लेखनीय भूमिका न निभाए जाने का एक कारण यह है कि वित्तपोषण निकाय (केंद्रीय अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राज्य दोनों) एसएचईसी को कोई संदर्भ संप्रेषित किए बिना संस्थानों को सीधे निधियां आवंटित कर देते हैं। कभी कभी, वित्तपोषण निकायों के नियम और विनियम उन्हें राज्य परिषदों के माध्यम से निधियों को आवंटित करने से रोकते हैं क्योंकि उन्हें सीधे संस्थानों से व्यवहार करने का आदेश होता है। पश्चिम बंगाल के मामले में, इसकी राज्य परिषद को पश्चिम बंगाल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद निधि के माध्यम से सीमित संसाधन वितरित करने की शक्ति प्रदान की गई है न कि राज्य उच्चतर शिक्षा योजना के आधार के तौर पर।

अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज से सीखें

केस स्टडीज वाले देशों में एसएचईसी

चीन, इंग्लैंड और अमरीका में एसएचईसी की अभिशासन संरचना और संदर्भ भारत से काफी अलग है। तथापि, अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज के ब्यौरे से आगे, कतिपय मूलभूत सिद्धांत उत्पन्न होते हैं, जो एसएचईसी की प्रभावोत्पादकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिनके भारत के लिए भी प्रासंगिक होने की संभावना है।

इंग्लैंड की उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण परिषद (एचईएफसीई), जो गैर–विभागीय सार्वजनिक मध्यवर्ती निकाय है, तुलनात्मक रूप से परिपक्व उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंदर काम करती है। यह संस्थान 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित विगत मध्यवर्ती निकायों से अलग होकर, अपने वर्तमान स्वरूप में दो दशक से अधिक समय से काम कर रही है। एचईएफसीई और अन्य गैर–सार्वजनिक निकायों, जैसे कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी चेयर के अधिकांश प्रयास इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अभिशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर केंद्रित रहे हैं। यह यूके में मध्यवर्ती निकायों की भूमिका के सुदृढ़ीकरण के समानांतर चल रही संस्थागत स्वायत्ता और जवाबदेही के सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण है और अन्य देशों में ऐसी ही प्रवृत्ति है। भारत में एसएचईसी जैसे निकाय भी इस आशा को लेकर इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं कि इससे संस्थागत रणनीतियों को परिभाषित करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने (संस्थागत प्रणालियों की प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने और संस्थागत निष्पादन की बैंचमार्किंग करने के लिए उत्तरदायित्व स्पष्ट होंगे। वित्तपोषण निकायों से जुड़े या इनसे स्वतंत्र अनेक अलाभकारी स्वतंत्र निकाय गुणवत्ता आश्वस्ति, गुणवत्ता संवर्धन और उच्चतर शिक्षा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रबंधन सेवाओं और विकास कार्यों को पूरा करते हैं। अनेक मध्यवर्ती निकायों द्वारा किए गए कार्य शिक्षण और अनुसंधान में सुधार और समग्र संस्थागत विकास के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। सभी कार्य, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के अंतर्गत आते हैं।

चीन में एसएचईसी एक प्रगतिशील और तेजी से विकसित हो रही प्रणाली है, जिसमें केंद्रीय सरकार की भूमिका और कार्य अधिकाधिक प्रांतों और निगमों के साथ ही साथ विश्वविद्यालयों को विकेंद्रीकृत किए जा रहे हैं। चीनी उच्चतर शिक्षा को प्रणाली और संस्थागत दोनों स्तरों पर, वर्ष 1978 से चीन में हुए जबर्दस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी सुधारों और विकास से अत्यधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस अवधि के दौरान, अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रणाली परिवर्तित होकर अधिकाधिक वितरित मॉडल बन चुकी है। राष्ट्रीय सरकार अभी भी सार्वजनिक संस्थानों के लिए अंतिम प्राधिकरण है, हालांकि चीन के मौजूदा उच्चतर शिक्षा सुधार, व्यापक सुधार की नई अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं[3], जिनमें लक्ष्य प्रशासनिक प्रणालियों में सुधार पर केंद्रित है, जिनमें ''वित्तपोषण, निगरानी और उच्चतर शिक्षा उद्योग की स्व–विनियम प्रणालियों के संबंध में मध्यवर्ती निकायों और अन्य शैक्षणिक संगठनों से होने वाले योगदान में सुधार लाने'' और ''सरकारी शिक्षा प्रशासनिक कार्यों को रूपांतरित करने'' की आवश्यकता की ओर इंगित किया गया है।

3 राष्ट्रीय मध्यम तथा दीर्घकालिक शिक्षा सुधार एवं विकास (2010–2020) का सारांश।

संयुक्त राज्य अमरीका में राज्य स्तर पर एसएचईसी का विकास मुख्यतः 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान उच्चतर शिक्षा प्रणालियों के और अधिक व्यवस्थित विकास की मांग के प्रत्युत्तर में हुआ था। अमरीका में संघीय व्यवस्था है, जिसमें संघीय सरकार और राज्य दोनों उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए वित्तपोषण उपलब्ध कराती है। एसएचईसी की स्थापना और कार्यों पर पिछले काफी वर्षों के दौरान संघीय अपेक्षाओं का प्रभाव रहा है कि राज्य संघीय वित्तपोषण प्राप्त करने की पूर्वापेक्षा के तौर पर योजना आयोग स्थापित करें। इसलिए, अमरीका में न केवल एसएचईसी की शक्तियों, कार्यों और प्रभावोत्पादकता का बल्कि केंद्रीय अपेक्षाओं और मौजूदा राज्य स्तर की संरचनाओं संस्कृतियों और परिपाटियों के बीच सह सबंध का भी अनोखा मामला मौजूद मिलता है। अमरीकी मामला उन चुनौतियों को रेखांकित करता है, जो राजनीतिक दबाव, उच्चतर शिक्षा समुदाय की ओर से परिवर्तनों के विरोध, और वास्तविकताओं के दृष्टिगत प्रभावी एसएचईसी को बनाए रखने में राज्यों के समक्ष आती हैं।

राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने के कार्य के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतों का आकलन करने, लक्ष्य निर्धारित करने, मौजूदा प्रगति का आकलन करने, संसाधन आवंटन करने और कार्यान्वयन के प्रबंधों की पर्याप्तता के बारे में अवधारणाओं को चुनौती देने में विशेषज्ञता की जरूरत होती है।

निम्नलिखित अवलोकन केस स्टडी वाले देशों में प्रभावी एसएचईसी की महत्वपूर्ण विशेषताओं और भारतीय केस स्टडी से निकलने वाले निष्कर्षों की तुलना पर आधारित है।

रणनीति एवं योजना

भारत में एसएचईसी का पहला काम संस्थानों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाएं तैयार करने का है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव, विशेषकर अमरीकी राज्यों के अनुभव सुझाते हैं कि उतना अच्छा कर दिखाने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जरूरतों का आकलन करने, लक्ष्य निर्धारित करने, मौजूदा प्रगति का आकलन करने, संसाधन आवंटन करने और कार्यान्वयन के प्रबंधों की पर्याप्तता के बारे में अवधारणाओं को चुनौती देने में विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसके लिए दीर्घावधी में आंकड़ों और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए आवश्यक प्रणालियों की स्थापना के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अमरीका और इंग्लैंड दोनों के अंतरराष्ट्रीय अनुभव दर्शाते हैं कि मजबूत, विश्वसनीय और लेखापरीक्षणीय प्रबंधन सूचना का प्रभाव कितना हो सकता है और यह कैसे एक ''तटस्थ निकाय'' के सभी कार्यों को समर्थन कर सकती है।

भारतीय उच्चतर शिक्षा परिषद को तत्काल आधार पर अपने पास उपलब्ध विशेषज्ञता पर विचार करते हुए उसे प्रभावी कार्यनीति योजना सहायता के लिए व्यावसायिक विश्लेषण सेवाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए।

मॉनीटरिंग एवं संचलन

अंतर्राष्ट्रीय मामलों से नई स्थापित राजकीय उच्चतर शिक्षा परिषदों से भागीदारी में कार्य करते हुए प्रबंधन सूचना योजना (एमआईएस) की स्थापना की प्राथमिकता इंगित होती है। न केवल कार्यनीति योजना के विश्लेषण के लिए अनिवार्य डाटा उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है अपितु योजना पर किए जा रहे निष्पादन तथा उच्चतर शिक्षा पर उसके प्रभाव की रिपोर्टिंग के लिए भी इसकी आवश्यकता है। दीर्घकलिक डाटा तथा सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए अपेक्षित प्रणाली में विशिष्ट विशेषज्ञता की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। अमेरिका तथा इंग्लैंड दोनों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से यह प्रदर्शित होता है कि सबल, विश्वसनीय तथा ऑडिट योग्य प्रबंधन सूचना के विशिष्ट प्रभाव क्या हो सकते हैं तथा इससे ''एक हाथ की दूरी'' वाले निकायों के कार्यकलापों को समर्थन प्राप्त हो सकता है।

एसएचईसी का अपने अंतिम रूप में राज्य योजना की निगरानी में उल्लेखनीय कार्य रहेगा। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन और निगरानी, और परियोजनाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के प्रबंधों की निगरानी करने और निवेशकों से धन का मूल्य हासिल करने में विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और यदि एसएचईसी वित्तपोषण आवंटन संबंधी उत्तरदायित्वों को हाथ में लेती हैं, तो इन्हें वित्तपोषण की पद्धतियों के विकास, निगरानी और कार्यान्वयन में भी अनुभव अपेक्षित होगा।

अमरीका और इंग्लैंड के अनुभव नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन संबंधी कार्यों में से प्रत्येक में परिषद को समर्थन प्रदान करने के लिए, छोटे और अत्यधिक विशेषज्ञ टीमों की स्थापना की कीमत को दर्शाते हैं। इनमें से प्रत्येक टीम का नेतृत्व न केवल सेवाओं का समीचीन नियोजन, डिलीवरी, कार्यान्वयन और मूल्यांकन सुनिश्चित

भारत गुणवत्ता आश्वस्ति के कार्यान्वयन और अकादमिक कार्यों में चरणबद्ध तरीके से प्रगति करने और इन कार्यों का करने के लिए कर्मचारियों में और अधिक निवेश करने के बारे में सोच सकता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विकल्प यह है कि इनमें से कुछ कार्यों का उत्तरदायित्व किसी स्वतंत्र निकाय को प्रत्यायोजित कर दिया जाए, जैसा कि (संस्थानों और कार्यक्रमों के) प्रबंधन और निरीक्षण के मामले में किया जाता है।

करने के लिए बल्कि इस कार्य को चलाने के लिए आवश्यक पेशेवर टीमों को भर्ती करने, चयन करने और विकसित करने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

गुणवत्ता आश्वस्ति और अकादमिक कार्य

एसएचईसी की प्रमुख भूमिकाएं गुणवत्ता आश्वस्ति, अनुसंधान और नवप्रयोग के साथ ही साथ मान्यता संबंधी सुधारों में भी रहती है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव सुझाते हैं कि ये विकल्प इन संस्थानों के सभी कार्यों को समेकित करने और इसके बाद, इन्हें करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों में निवेश करने का है। राज्य सरकारें इस बात पर भी विचार कर सकती हैं कि क्या ये कार्य एसएचईसी द्वारा सीधे तौर पर हाथ में लिए जाना समुचित और/या वांछनीय है या, जैसा कि अनेक देशों में हुआ है, यह कार्य किसी संबंधित, किंतु साथ ही स्वतंत्र निकाय को प्रत्यायोजित किया गया है–यह विशेष तौर पर (संस्थानों और कार्यक्रमों की) मान्यता और उदाहरणार्थ निरीक्षण का मामला है।

सलाहकारी कार्य

अमरीका और इंग्लैंड के उच्चतर शिक्षा निकायों का उत्तरदायित्व सरकार के साथ ही साथ संस्थानों को सलाह देने का भी है।

आरयूएसए के सुधारों के कार्यान्वयन के लिए राज्य और संस्थागत दोनों स्तरों पर विशेषज्ञता में निवेश अपेक्षित होगा। उदाहरण के तौर पर आरयूएसए में यथा पूर्वज्ञान संस्थागत विकास योजनाओं का विकास राज्य योजनाओं के लिए अनिवार्यतः कच्चा माल है और एसएचईसी को अपने आपको इस बाबत संतुष्ट करना होगा कि संस्थाएं अपनी स्वयं की नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी संबंधी क्षमताओं और सामर्थ्य की निगरानी के लिए निर्मित करती हैं, जो मजबूत नेतृत्व द्वारा संचालित हैं और सुशासन द्वारा समर्थित होते हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक नियोजन और कार्यान्वयन संबंधी विचार किए जाने की जरूरत है।

उदाहरणार्थ, अमरीका की राज्य परिषदें सरकार को दीर्घावधिक योजनाओं, बजट और वित्त नीति तथा राज्य के समक्ष खड़े अन्य मुद्दों पर सलाह देती हैं। साथ ही, इन राज्य परिषदों का दायित्व संस्थानों को आंतरिक नियोजन और प्रबंधन क्षमता पर मार्गदर्शन प्रदान करने का भी है। इसी प्रकार, इंग्लैंड की उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण परिषद (एचईएफसीई) का उत्तरदायित्व सरकार को सलाह देने के साथ ही साथ संस्थानों को प्रभावी अभिशासन विकसित करने और अनिवार्य नियोजन तथा प्रबंधन कार्यों के लिए मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करने का है।

भारत के मामले में आरयूएसए, जैसे अत्यधिक असामान्य पैमाने पर नए वित्तपोषण प्रबंधनों की स्थापना के लिए परिषद के स्तर पर विशेषज्ञता में निवेश की आवश्यकता है। किंतु अति–महत्वपूर्ण बात यह है कि आवश्यक विशेषज्ञता संस्थागत स्तर पर भी मौजूद रहती है, विशेषतः इसलिए क्योंकि ये संस्थाएं अधिकाधिक स्वायत्ता और कार्यों के आंतरिक विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ें और जवाबदेही की स्पष्ट प्रणालियां स्थापित हों। आरयूएसए में पूर्वज्ञात संस्थागत विकास योजनाओं का विकास राज्य योजनाओं के लिए अनिवार्यतः कच्चा माल है और एसएचईसी को स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने की जरूरत होगी कि संस्थाएं अपनी स्वयं की नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी क्षमताएं और सामर्थ्य निर्मित करें, जो मजबूत नेतृत्व द्वारा संचालित और सुशासन द्वारा समर्थित हों। ***सेक्टर और क्षेत्रीय विकास की व्यापक आवश्यकताओं वाले व्यक्तिगत संस्थानों (जैसा कि इनकी संस्थागत विकास योजनाओं द्वारा परिभाषित किया गया है) के लिए नीचे से लेकर ऊपर तक नियोजन और कार्यान्वयन संबंधी विचार किए जाने की जरूरत है।***

वित्तपोषण संबंधी कार्य

अंतरराष्ट्रीय मामलों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों का विश्वास हासिल करने के लिए राज्य परिषदों के पास वित्तपोषण संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों

राज्य सरकार के कर्मचारियों और एजेंसियों का विश्वास हासिल करने के लिए राज्य परिषदों के पास वित्तपोषण संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने के लिए कर्मचारियों की विशेषज्ञता और सक्षमता की आवश्यकता होनी चाहिए। वित्तपोषण संबंधी पद्धतियों में निष्पक्षता और वैधता सुनिश्चित करना अधिकांश राज्य परिषदों का अति–महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

की विशेषज्ञता और सक्षमता होनी चाहिए। वित्तपोषण की पद्धतियों में निष्पक्षता और वैधता सुनिश्चित करना अधिकांश राज्य परिषदों का अति–महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

भारतीय केस स्टडी से पता चलता है कि मौजूदा राज्य परिषदों में से कोई भी आरयूएसए के तहत परिभाषित किए अनुसार वित्तपोषण से संबंधित कार्यों के संबंध में उल्लेखनीय भूमिका नहीं निभा रही हैं। ***हालांकि आरयूएसए ने वित्तपोषण के संबंध में एसएचईसी के लिए सीमित, परिभाषित उत्तरदायित्व निर्धारित किए हैं, इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने की एसएचईसी की क्षमता संसाधन आवंटन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठता के लिए और इस प्रकार आरयूएसए की अंतिम विश्वसनीयता और सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।***

प्रभावी एसएचईसी की प्रमुख विशेषताएं

कार्यों से संबंधित अवलोकनों के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय मामले, ऐसी प्रभावी एसएचईसी की प्रमुख विशेषताओं की ओर इंगित करते हैं, जो सत्यनिष्ठता से कार्य करती हैं और जिन्हें जनता का विश्वास हासिल है।

स्वतंत्रता

आरयूएसए योजना में स्पष्ट किया गया है कि एसएचईसी को राज्य और केंद्रीय, दोनों सरकारों से ''एक हद तक दूरी'' बनाए रखनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज, इस प्रथम अनिवार्य विशेषता को रेखांकित करती हैं कि सभी संबंधित पक्षों को इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि इस स्वतंत्रता को कैसे परिभाषित किया जाए और व्यवहार में स्वतंत्रता के उस स्तर का आशय क्या होगा। उदाहरणार्थ, अमरीकी मामले में इस बात की व्याख्या की गई। है कि दूरी बनाए रखने वाले संबंध के लिए सार्वजनिक और संस्थागत दृष्टिकोणों के बीच एक बारीक संतुलन बनाए रखना अपेक्षित है। *प्रभावी होने के लिए एसएचईसी को राज्य के राजनीतिक नेतृत्व और राज्य की प्रशासनिक एजेंसियों से एक स्तर की स्वतंत्रता हासिल होनी चाहिए।* बहरहाल, इसी के साथ–साथ राज्य के नेताओं द्वारा एसएचईसी को निष्पक्ष विश्लेषण और लोक हित के दृष्टिकोण से सलाह के विश्वसनीय स्रोत के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो एसएचईसी संस्थागत/अकादमिक हितों के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ी हुई नजर आती हैं, उनकी लोक अधिकारियों में कोई विश्वसनीयता नहीं होती। साथ ही, वे एसएचईसी जो राजनेताओं के साथ कुछ ज्यादा ही जुड़ी होती हैं, उन्हें विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए विश्वास और विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होती। इंग्लैंड और अमरीका के मामले किसी भी ''एक हद तक दूरी'' रखने वाले निकाय और इसके वित्तपोषण प्रायोजकों के बीच अवश्यंभावी तनाव को दर्शाते हैं। ये तनाव दो स्तरों से वित्तपोषण वाली संघीय व्यवस्था में और जटिल हो जाते हैं। जब परिषद की स्थापना की जाए, तो न केवल इसके संविधान में बल्कि प्रचालनिक प्रोटोकॉलों में भी स्वायत्ता के निश्चित स्तर और इसके अनुरूप जवाबदेही की व्याख्या की जा सकती है,

> *राज्यों के समक्ष आने वाली एक चुनौती यह है कि उच्चस्तरीय राष्ट्रीय रणनीतियां स्थापित करने और ''एक हद तक दूरी'' वाले निकायों को उनके विभिन्न कार्य करने के लिए आवश्यक स्वायत्ता प्रदान करने के बीच ''सही'' संतुलन कैसे स्थापित किया जाए।*

> *कोई भी एसएचईसी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रशासनिक निकायों के साथ ''एक हद तक दूरी'' के संबंध में उत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटी को पूरा नहीं करती।*

इसमें नई नीतियां और परिपाटियां प्रारंभ करते समय हितधारकों के साथ उपयुक्त परामर्श, जैसी प्रक्रियाओं की महत्ता भी शामिल होगी। ***परिषद के सदस्यों को अपनी–अपनी भूमिका और अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। परिषद के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को अपनी–अपनी भूमिका और अपनी व्यक्तिगत जवाबदेही के बारे में स्पष्ट होना चाहिए।***

तीनों अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज का अनुभव यही दर्शाता है कि उच्च–स्तरीय राष्ट्रीय रणनीतियां स्थापित करने और ''एक हद तक दूरी'' वाले निकायों को उनके विभिन्न कार्य करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करने के बीच ''सही'' संतुलन स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण है। इस मामले में चीन का अनुभव विशेष तौर पर दिलचस्प है कि केंद्रीय स्तर से प्रांतीय और निगम स्तर के साथ ही साथ संस्थागत स्तर पर शक्तियों और कार्यों का क्रमिक विकेंद्रीकरण अभी भी संक्रमण काल में है। अमरीकी मामला निरंतर स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए आवधिक मूल्यांकन और समायोजनों की आवश्कयता और समय के साथ ही साथ संबंधों में समीचीन संतुलन बनाए रखने में आने वाली कठिनाइयों को दर्शाता है। *अत्यावश्यक रूप से संस्थान जितनी अधिक स्वायत्त होगी, ऐसे*

संबंधों की प्रकृति और प्रभाव प्रमुख संचालकों पर उतना ही अधिक होगी, जैसे उपलब्ध सार्वजनिक वित्तपोषण का स्तर या प्रतिष्ठा को होने वाली संभावित हानि या लाभ। अधिक संस्थागत स्वायत्तता का परिणाम नेतृत्व को राज्य से अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रचालन करने वाली संस्थानों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता के रूप में भी होता है। यही प्रतिस्पर्धात्मकता अनवरत नवप्रयोग और उन्नत निष्पादन को संचालित करती है और यहीं पर सार्वजनिक सेवाओं के ऊपर संस्थागत लाभों के बीच संतुलन कायम करना सभी देशों के लिए चुनौती बन जाता है।[4]

भारतीय राज्यों की केस स्टडीज सुझाती हैं कि कोई भी एसएचईसी राज्य के राजनीतिक नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रशासनिक निकायों के साथ ''एक हद तक दूरी'' के संबंध में उत्तम अंतरराष्ट्रीय परिपाटी को पूरा नहीं करती। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में एसएचईसी के प्रमुख या तो उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में एसएचईसी की अध्यक्षता अकादमिक विद्वानों द्वारा की जाती है। जिन राज्यों में अब राज्यों के अधिकारियों की भूमिका नेतृत्व की है, वहां आरयूएसए द्वारा यथोपेक्षित अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। साथ ही, जिन राज्यों में एसएचईसी के प्रमुख अकादमिक लोग हैं, वहां यह सुनिश्चित किए जाने के लिए बदलाव किए जाने की जरूरत है कि एसएचईसी के विशेष संस्थागत हितों की बजार जनता पर केंद्रित स्वतंत्र निकायों के रूप में राज्य के अधिकारियों का विश्वास हासिल हो। इसके अतिरिक्त, एसएचईसी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के चयन की कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। उदाहरण के लिए, उम्मीदवारों का चयन आरयूएसए द्वारा विनिर्दिष्ट प्रमुख श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूल से किया जाना चाहिए और इसकी समीक्षा सेवा के लिए आवश्यक योग्यताओं के लिहाज से की जानी चाहिए। ये अंतर, ऐसी नियुक्तियों के जरिए एसएचईसी की स्वतंत्रता और नियुक्तियों के तरीके और सत्यनिष्ठता के बारे में चिंताएं उत्पन्न करते हैं।

4 ''सरकारों के समक्ष चुनौती, यह सुनिश्चित करना है कि अधिकाधिक स्वायत्त और बाजार चालित संस्थाएं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर सार्वजनिक एजेंडा पर काम करें और साथ ही अपनी स्वयं की वित्तीय वहनीयता के लिए अधिकाधिक उत्तरदायित्व धारित करें। संस्थानों के लिए चुनौती है लक्ष्यों और वित्तपोषण के और जटिल वर्ग का प्रबंध करना, अधिकाधिक प्रतिस्पर्धी वातावरण में स्वयं को अलग दिखाना और दीर्घावधि में कुछ कर दिखाने की अपनी सक्षमता और अकादमिक गुणवत्ता को संरक्षित और अनुरक्षित करना। उच्चतर शिक्षा के लिए सिरे से वहनीय भविष्य का संरक्षण।

व्यावसायिक स्टाफ का कौशल और सक्षमता

नई एसएचईसी के पास प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट समूह और एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए कि इन प्राथमिकताओं को कैसे हासिल किया जाए। परिषदों का समर्थन करने वाले कर्मचारियों के पास उस लक्ष्य को संभव बनाने के लिए आवश्यक कौशल, सक्षमता और अनुभव होना चाहिए और, विशेषकर भारत जैसी जटिल संघीय व्यवस्था में और आरयूएसए, जैसी व्यापक और अत्यधिक अपेक्षा रखने वाली योजना में। उपयुक्त काम और व्यक्ति विशेषज्ञता वाले पेशेवर कर्मचारियों की महत्ता पर अनेक उपर्युक्त बिंदुओं में जोर दिया गया है।

> *परिषदों का समर्थन करने वाले कर्मचारियों के पास उस लक्ष्य को संभव बनाने के लिए आवश्यक कौशल, सक्षमता और अनुभव होना चाहिए और, विशेषकर भारत जैसी जटिल संघीय व्यवस्था में, और आरयूएसए जैसी व्यापक और अत्यधिक अपेक्षा रखने वाली योजना में।*

एसएचईसी का आंतरिक प्रबंधन

अमरीका इंग्लैंड के अनुभव अपनी खुद की गतिविधियों की विस्तृत वार्षिक प्रबंधन योजनाएं रखने वाली एसएचईसी, जैसे निकायों के महत्व को दर्शाते हैं, ताकि वे अपने स्वयं के कार्य के लिए विकास के स्पष्ट लक्ष्य समूह रख सकें और संस्थानों से परामर्श करके उन्हें विनियमों में परिवर्तनों के संबंध में समय पर सूचना दे सकें। यह अनुभव समान रूप से आधुनिक कार्यक्रम और परियोजना प्रबंधन तकनीकों में निवेश करने की कीमत को दर्शाता है।

> *एसएचईसी के पास अपनी गतिविधियों की विस्तृत वार्षिक योजनाएं होनी चाहिएं, ताकि वे अपने स्वयं के कार्य के लिए विकास के स्पष्ट लक्ष्य समूह रख सकें और संस्थानों से परामर्श करके उन्हें विनियमों में परिवर्तनों से संबंधित सूचना समय पर दे सकें।*

पारदर्शिता

अंतरराष्ट्रीय अनुभव पारदर्शिता की कीमत को उन तरीकों में दर्शाते हैं, जिनसे ''एक हद तक दूरी'' वाले निकाय निर्णय लेते हैं, विशेषकर

प्रभावी एसएचईसी के लिए एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा उन तरीकों में पारदर्शिता है, जिनसे "एक हद तक दूरी" वाले निकाय निर्णय लेते हैं, विशेषकर संसाधन आवंटन, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, और विशेष तौर पर स्वयं एसएचईसी में अभिशासन व्यवस्था के मामले में।

संसाधन आवंटन, संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श, और विशेष तौर पर स्वयं एसएचईसी में अभिशासन व्यवस्था के मामले में।

भारतीय केस स्टडीज दर्शाती हैं कि अधिकांश एसएचईसी द्वारा उनकी बैठकों के कार्यवृत्त और निर्णयों, जैसे मामलों में सूचना का खुलासा किया जाना, सामान्य परिपाटी नहीं है। इसके अतिरिक्त, केवल कुछ ही एसएचईसी (उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल) की ही चालू और अद्यतन वेबसाइटें हैं और अधिकांश अन्य मूल सूचना को ही सार्वजनिक दायरे में लाने के लिए संघर्षरत हैं।

प्रभाव आकलन

एसएचईसी के प्रभावी और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए, उनका आवधिक प्रभाव आकलन करना महत्वपूर्ण है ताकि इस पर सूचित निर्णय लिया जा सके कि क्या परिषदों ने अपने घोषित भूमिकाएं और लक्ष्य निष्पादित किए हैं। ये आकलन नहीं किए गए हैं। जैसा कि अमरीकी मामले से परिलक्षित होता है, लंबे समय तक प्रभावी राज्य उच्चतर शिक्षा निकाय बनाए रखने के लिए प्रमुख उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आवश्यक कौशल और सक्षमता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर ध्यान देना अपेक्षित होता है।

एसएचईसी को अपने प्रभाव का आवधिक आकलन करना चाहिए ताकि इस पर सूचित निर्णय लिया जा सके कि क्या परिषदों ने अपनी घोषित भूमिकाएं और लक्ष्य निष्पादित किए हैं।

सिफारिशें

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय केस स्टडीज पर विचार करने के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिएः–

- **राज्य सरकारों को विधायी अधिनियम द्वारा एसएचईसी की स्थापना करनी चाहिए, जिसके माध्यम से एसएचईसी की शक्तियां, प्राधिकार, सदस्यता (संरचना और नियुक्ति की पद्धतियां) और राज्य सरकार के प्रमुख निकायों और संस्थानों के साथ उनके संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हों। भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की स्पष्टता समग्र रूप से एसएचईसी और आरयूएसए के सफल कार्यान्वयन के अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।** राज्य आरयूएसए के वित्तपोषण के लिए पात्र होने के लिए विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की बजाए वृहत्तर दृष्टिकोण से राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एसएचईसी के लिए एक ठोस कानूनी नींव की महत्ता की पहचान करनी चाहिए।
- **आरयूएसए मिशन प्राधिकरण को इस बात पर जोर देना चाहिए कि राज्य आरयूएसए निम्न से संबंधित प्रमुख अपेक्षाओं का अनुपालन करें:–**
  - राज्य सरकारों के साथ "एक हद तक दूरी" के संबंध।
  - पंजीयन और चयन के लिए सदस्यता प्रक्रियाओं और कार्यविधियों की सत्यनिष्ठा।

राज्यों को न्यूनतम प्रमुख अपेक्षाओं को पूरा किए बिना आरयूएसए में भागीदारी करने की अनुमति देने से आरयूएसए के सुधार कमजोर हो जाएंगेः–

- केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों को एसएचईसी के चरणबद्ध कार्यान्वयन की आवश्यकता को मान्यता देनी चाहिएः–
  - उन प्रमुख क्षमताओं की पहचान करना, जो कार्यान्वयन के पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और अनुवर्ती वर्षों के भीतर मौजूद होनी चाहिएं।
  - प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों में गुणवत्ता आश्वस्ति जैसे कुछ कार्य अन्य स्वतंत्र निकायों को सौंपना ताकि एसएचईसी रणनीति और नियोजन पर ध्यान केंद्रित कर सके।
  - जैसा कि ऊपर बल दिया गया है, "एक हद तक दूरी" और स्पष्ट भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों से संबंधित मूलभूत अपेक्षा पर समझौता न करना।

- **विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एसएचईसी के पेशेवर कर्मचारियों के लिए क्षमता–विकास पर ध्यान केंद्रित करनाः–**
  - **राज्य योजनाः** जैसा कि आरयूएसए की अपेक्षा द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं के निरूपण, निगरानी और मूल्यांकन की क्षमता।
  - **एमआईएस विकासः** राज्य नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए अनिवार्य राज्य–स्तरीय आंकड़ों/सूचना और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना।
  - **निधि/संसाधन आवंटन, निगरानी और मूल्यांकनः** केंद्रीय वित्तपोषण एजेंसियों, राज्य सरकारों और संस्थानों के संबंध में आरयूएसए की समन्वित/समेकित वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना।

- **मौजूदा और नई दोनों प्रकार की एसएचईसी के पेशेवर स्टाफ में निवेश इसमें शामिल होगाः–**
  - ऊपर सूचीबद्ध मुद्दों पर पेशेवर विकास कार्यशालाएं/गोष्ठियां।
  - विशेषज्ञता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों, जैसे राज्य योजना, में पेशेवर स्टाफ के बीच नेटवर्क।
  - एसएचईसी की स्थापना और प्रचालन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता से सीखने, पेशेवर विकास/सूचना एकत्रण और साझा करने के अवसर।
  - एसएचईसी के कर्मचारियों को पेशेवर विकास के अवसर प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम परिपाटियों का साझा करने के उपाय के तौर पर एसएचईसी का एक राष्ट्रीय स्तर का संघ।

अनुबंध – १:
भारत में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सिफारिश की गई है कि उच्चतर शिक्षा राज्य परिषद के माध्यम से उच्चतर शिक्षा का राज्य स्तरीय नियोजन और समन्वय किया जाएगा। परिषद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों तथा राज्य सरकारों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण और समन्वय के अपने सांविधिक दायित्व के दृष्टिगत यूजीसी के साथ मिलकर काम करेगी।[5] यूजीसी ने वर्ष 1988 में ऐसी राज्य परिषदों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक समिति गठित की थी। इस समिति ने सुझाव दिया कि परिषद में 10–13 सदस्य होने चाहिएं, जिनमें से अध्यक्ष का पद अधिकतम 5 वर्ष के लिए पूर्णकालिक होगा और अधिकांश सदस्य अकादमिक पृष्ठभूमि से होंगे और इसमें यूजीसी, शिक्षा या उच्चतर शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद की शक्तियों में नियोजन और समन्वय, अकादमिक और सलाहकारी कार्यों के साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को सहायता अनुदान को शासित और जारी करने जैसे प्रशासनिक कार्य भी शामिल होंगे। जैसा कि हम अगले खंडों में देखेगें, जिन राज्यों ने एसएचईसी स्थापित करने का विकल्प चुना, वे इन दिशानिर्देशों का अनुसरण बिल्कुल अलग अलग तरीके से कर रहे थे और इन सब राज्यों ने बोर्ड के सदस्यों के रूप में उल्लेखनीय रूप से अधिक सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया और इनके अध्यक्ष या तो उच्चतर शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री होंगे।

इन सिफारिशों का अनुसरण करते हुए, आठ राज्यों ने इन वर्षों के दौरान एसएचईसी स्थापित की हैं। सात एसएचईसी (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) की स्थापना विधायिका के अधिनियम द्वारा, जबकि गुजरात राज्य में एसएचईसी की स्थापना एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई।[6]

एसएचईसी द्वारा आरयूएसए के तहत निभाई जाने वाली केंद्रीय भूमिका को मान्यता देते हुए, निम्नलिखित खंडों में इन आठ एसएचईसी की समीक्षा संरचना, कार्यों, पहलों और परिणामों के लिहाज से की गई है। एक रिसर्च टीम ने आठों एसएचईसी (परिषद के सचिवालय और परिषद के सदस्यों दोनों) के साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के उन हितधारकों (उदाहरणार्थ कुलपतियों, प्रिंसिपल, सीनेट के सदस्यों, उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रमुख अधिकारियों आदि) के साक्षात्कार भी लिए, जिनके साथ परिषद अंतःक्रिया कर रही थी। इस समीक्षा के दायरे में निम्नलिखित प्रश्न शामिल थेः–

- मौजूदा परिषदों की मुख्य विशेषताएं (कानूनी स्थिति, शक्तियां, आकार, सदस्यता आदि) क्या हैं?
- राज्य सरकारों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ अंतःक्रिया में एसएचईसी के प्रमुख कार्य क्या हैं?
- एसएचईसी द्वारा की गई प्रमुख पहलें क्या हैं और इनके क्या परिणाम हासिल हुए?

निम्नलिखित खंड आठ एसएचईसी की संरचना, कार्यों, पहलों और परिणामों का एक सिंहावलोकन प्रदान करते हैं। अनुबंध में आठ एसएचईसी की संरचना, सदस्य पात्रता के साथ ही साथ इनकी

5 यूजीसी (1988) राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद स्थापित करने से संबंधित समिति की रिपोर्ट।

6 विभिन्न राज्य अपने राज्य की उच्चतर शिक्षा परिषद की भूमिका निभाने वाले निकाय का अलग अलग नाम इस्तेमाल करते थे।

शक्तियों और उत्तरदायित्व के संबंध में और अधिक ब्यौरा देखा जा सकता है।

आंध्र प्रदेश

संरचना

आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (एपीएससीएचई[7]) सबसे पुरानी एसएचईसी है और इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के प्रत्यक्ष परिणाम के तौर पर 1986–87 में राज्य विधायिका के अधिनियम के जरिए की गई। राज्य द्वारा इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर प्रख्यात शिक्षाविदों की नियुक्ति की गई थी। परिषद के छह पदेन सदस्य हैं, जो राज्य और केंद्रीय विभागों तथा निकायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार आठ अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है, जो उद्योग के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं (विस्तृत संरचना, शक्तियां और कार्यों का ब्यौरा अनुबंध–2 के रूप में संलग्न है)। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष परिषद के दैनिक प्रबंधन से जुड़े प्रमुख कार्यकारी हैं। इन्हें पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त किया जाता है और ये वेतन प्राप्त करते हैं। परिषद अपने स्थायी सचिवालय स्टाफ से लाभान्वित होती है और इसे राज्य विश्वविद्यालय व्यवस्था में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनुभव का लाभ प्राप्त होता है।

व्यवहार में, एपीएससीएचई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शिक्षाविद रहे हैं, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है। हालांकि अधिनियम में नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करके, इसे सरकार पर छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार, पदेन सदस्य (विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधि) और अन्य सदस्य (शिक्षा क्षेत्र, उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञ) सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इन्हें (पदेन सदस्यों को छोड़कर) हटाने की शक्ति सरकार के पास है।

कार्य

एपीएसएचई सभी संबद्ध राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सभी निजी संबद्ध कॉलेजों (इंजीनियरिंग कॉलेजों और बहु–तकनीकी कॉलेजों सहित) के विनियामक के रूप में कार्य करती है। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ ही साथ निजी विश्वविद्यालय भी राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र के अधीन आते हैं। अधिनियम में परिषद के लिए व्यापक प्रकार के नियोजन, निगरानी और अकादमिक कार्यों का प्रावधान किया गया है, जिनमें राज्य के लिए एक उच्चतर शिक्षा दृष्टिकोण योजना तैयार करना, नई संस्थानों के सृजन के लिए सिद्धांत निर्धारित करना, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षकों का प्रशिक्षण आदि शामिल है। बहरहाल, अधिनियम में परिषद को किसी प्रकार की वित्तीय शक्तियां प्रदान नहीं की गई हैं। जहां परिषद को नियोजन और समन्वय, अकादमिक और सलाहकारी कार्य सौंपे गए हैं, वहीं परिषद के निष्पादन की सरकार द्वारा गहन जांच की जाती है।

तथापि, वास्तव में, उच्चतर शिक्षा के लिए नियोजन, जैसे अधिकांश कार्य परिषद की बजाए सरकार द्वारा किए जाते हैं। वर्तमान में, परिषद मुख्य तौर पर नए संस्थानों को वितरित किए जाने और इनको समर्थन प्रदान किए जाने के लिए अनुदान राशि निर्धारित करने में सलाहकार की भूमिका निभाती है, जबकि अधिनियम के अनुसार परिषद को रणनीतिक नियोजन संबंधी कार्य भी करने चाहिएं।

बहरहाल, परिषद कुछ मामलों में सरकार और संस्थानों के बीच संपर्क सूत्र का काम करती है। उदाहरण के लिए 2004 तक यह वित्तीय मामलों पर सरकार और संस्थानों के बीच अंतःक्रिया नहीं करती थी। तथापि, 2004 में परिषद का सरकार द्वारा दी जाने वाली ब्लॉक ग्रांट की अपर्याप्तता के सबंध में संस्थानों की ओर से निरंतर आ रही शिकायतों पर ध्यान देने और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की अवश्यकता अनुभव हुई। परिषद ने राज्य के साथ सफलतापूर्वक वार्ता करके, संस्थानों के लिए ब्लॉक ग्रांट में लगभग 80 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि करवाई।

पहल और परिणाम

परिषद अनेक प्रकार की गतिविधियों में लगी है। परिषद की भूमिका में स्नातक और स्नातकोत्तर के दाखिलों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराना, कॉलेजों में निरीक्षण दल भेजकर संबद्धता पर निगरानी समितियों का गठन करना, सभी प्रकार के विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य सांविधियां और अध्यादेश तैयार करना और पीएचडी के लिए विनियमों का मानकीकरण और दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है। परिषद की विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वृहत्तर

7 एपीएसएचई के संबंध में अधिक जानकारी http://www.apsche.org पर देखी जा सकती है।

वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने और अकादमिक प्रदर्शन के साथ वित्तीय प्रोत्साहन को जोड़ने की भी योजनाएं हैं। भावी प्राथमिकताओं के भाग के रूप में, परिषद ब्लॉक ग्रांट में और वृद्धि करना तथा राज्य की अनेक संस्थानों में व्याप्त संकाय की कमी पर ध्यान देना चाहती है। इनमें से अधिकांश पहलें अनिवार्यत ''एकला चलो'' प्रकार की हैं, जो ऐसी तात्कालिक समस्याओं द्वारा उत्प्रेरित हुई हैं, जिन पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, यह पहलें विरले ही राज्य की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में किसी ठोस और दीर्घावधिक सोच का हिस्सा हैं।

गुजरात

संरचना

गुजरात में उच्चतर शिक्षा में समन्वय और गुणवत्ता सुधार की पहलों के लिए एक निकाय है, जिसे गुजरात ज्ञान संघ[8] का नाम दिया गया है। हालांकि संरचना और कार्यों की दृष्टि से गुजरात ज्ञान संघ अन्य राज्यों की राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के समान नहीं है, फिर भी यह राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग से इतर मुख्य निकाय है, जो उच्चतर शिक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों में शामिल है।

ज्ञान संघ की स्थापना उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा एक कार्यकारी आदेश के जरिए, एक ऐसे निकाय के रूप में की गई थी, जो मुख्यतः राज्य में उच्चतर शिक्षा की प्रगति के कदम उठाए। सलाहकार समिति 49 सदस्यों का निकाय है, जिसमें विश्वविद्यालयों, शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्यों ओर गुजरात की प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। संघ के प्रमुख शिक्षा मंत्री (अध्यक्ष) और उपाध्यक्ष (शिक्षा मंत्री के सलाहकार) हैं। संघ में 22 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, विशेषज्ञ विश्वविद्यालयों, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और अनुसंधान संस्थानों के प्रमुखों का प्रतिनिधित्व भी है। इसमें राज्य के सात औद्योगिक/वाणिज्यिक संघों के अध्यक्षों के जरिए उद्योग का प्रतिनिधित्व भी शामिल है।

संघ एक ढीली–ढाली संरचना वाला संगठन है, जिसमें व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है किंतु बहुत कम पदधारकों के स्पष्ट दायित्व हैं। यह विशाल और ढीली संरचना, इस निकाय द्वारा अपनाई गई निर्णयन और कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावोत्पादकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सलाहकार समिति ने अपनी शुरुआत से अब तक कितनी बैठकें की हैं, यह भी स्पष्ट नहीं हैं क्योंकि बैठकों के कार्यवृत्त और कार्यसूचियां सार्वजनिक दायरे में नहीं हैं।

कार्य

ज्ञान संघ की गतिविधियों के पांच प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, नामतः–

- **शिक्षाः** सेमेस्टर प्रणाली, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, ग्रेडिंग प्रणाली के कार्यान्वयन और निरंतर व्यापक मूल्यांकन जैसे अकादमिक सुधारों को आगे बढ़ाना।
- **अनुसंधान और नवप्रयोगः** प्रस्ताव लेखन में प्रशिक्षण संकाय, अनुसंधान संस्थानों के बीच नेटवर्किंग, पुस्तकालयों के सुधार, मुद्रण और ई–पत्रिकाओं के प्रकाशन आदि, जैसे कार्यक्रमों के जरिए अनुसंधान का संवर्धन।
- **विस्तारः** संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ाना, उद्योग की भागीदारी के जरिए छात्रों की रोजगार की योग्यता को बढ़ाना आदि।
- **गुणवत्ता आश्वस्तिः** संस्थानों को अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट (एएए) आयोजित करने में सहायता देना और एनएएसी की संबद्धता को प्रोत्साहित करना।
- **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माणः** उच्चतर शिक्षा संस्थानो। में प्रशासनिक और शिक्षण स्टाफ के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना।

पहल और परिणाम

संघ ने यह सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड इंप्लीमेंटेशन (एमएमआई) अपनाया है ताकि सभी पहल की तैयारी, नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी अच्छी तरह से हो। एमएमआई की कार्यान्वयन संरचना दिलचस्प है, सबसे छोटी इकाइयां राज्य के 1032 कॉलेज हैं, जिन्हें 286 क्लस्टरों में संयुक्त किया गया है। इन क्लस्टरों से 57 उच्चतर शिक्षा जिले बनते हैं, जिन्हें आगे 5 क्षेत्रों में समूहबद्ध किया गया है। इस संरचना के तहत गतिविधियों

8 गुजरात ज्ञान संघ के बारे में अधिक जानकारी http://kcg.gujarat.gov.in पर उपलब्ध है।

का नियोजन और कार्यान्वयन और सूचना का एकत्रण और प्रसार किया जाता है।

ज्ञान संघ की वेबसाइट में बहुत व्यापक प्रकार की गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी तर्कसंगतता, रणनीतियों और कार्यान्वयन की योजनाओं की दृष्टि से अच्छी खासी संरचना है:–

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली।
- ई–सामग्री विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी परियोजना।
- संकाय की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए संकाय के लिए ज्ञान प्रबंधन कार्यक्रम।
- **उदिशा:** उपयुक्त प्रशिक्षण के जरिए रोजगार योग्यता में ईजाफा करना, छात्रों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि और नौकरियों के बाजार में कौशल के अंतर को खत्म करने में मदद करना।
- **संधान** (राज्य भर में विनिर्दिष्ट विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर प्रसारित करना, जिन्हें छात्र सीधा देख सकें)–आईसीटी के प्रयोग की लीवरेजिंग करना और इसे व्यापक बनाना और शिक्षा में इसे प्रविष्ट कराना।
- **सप्तधारा:** शिक्षकों और छात्रों की प्रतिभाओं को निखारकर समग्र विकास।
- **यूजीसी योजनाएं:** शिक्षा ओर अनुसंधान में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी के अधीन आने वाली योजनाओं के प्रावधानों के बारे में कॉलेजों और संकायों के बीच जागरूकता सृजित करना।

विविध हितधारकों के साथ किए गए साक्षात्कारों के निष्कर्षों के आधार पर, यह पाया गया कि ज्ञान संघ महज कतिपय गतिविधियों को निष्पादित करने वाला निकाय है, जिन्हें आदर्शतः यह तो राज्य के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा या स्वयं संस्थानों द्वारा निष्पादित किया जाना चाहिए। संघ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की स्पष्टता की साफ तौर पर कमी है। इसलिए गुजरात ज्ञान संघ इस बात का मजबूत मामला है। इसे अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की समीक्षा करनी चाहिए, जो राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के प्रस्तावित उद्देश्यों से विपरीत हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्याशित परिणामों को हासिल करने के लिए समय–सीमाओं का उल्लेख कहीं नहीं है, न ही संघ की गतिविधियों का लेखा–जोखा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है।

कर्नाटक

संरचना

कर्नाटक सरकार ने दिनांक 15 जुलाई 2009 एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से कर्नाटक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद[9] की स्थापना हुई। राज्य परिषद का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें 14 पदेन सदस्य हैं। ये सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं, 10 प्रतिष्ठित शिक्षाविद सदस्य के रूप में और इनके अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में एक कार्यकारी निदेशक उपाध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित शिक्षाविद और उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंत्री, इसके अध्यक्ष हैं।

इस कार्यकारी आदेश को बाद में, अधिनियम में परिवर्तित कर दिया गया,जो अगस्त 2010 से लागू हुआ। अधिनियम में तीन प्रमुख पदाधिकारी थे–अन्य सदस्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक।[10] इन नियुक्तियों से संबंधित प्रक्रिया को अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। परिषद के कार्यकारी निदेशक सेवारत या सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिएं (इनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जानी है। कार्यकारी निदेशक परिषद के कार्यों के समन्वय के लिए प्रभारी है और इसके समर्थन के लिए सहायक कर्मचारी होते हैं। दस सदस्यों वाली अपेक्षाकृत कार्यकारी समिति प्रशासनिक मामलों पर निर्णय लेने और इन पर कार्य करने के लिए अधिकार–प्राप्त हैं, बशर्ते परिषद द्वारा इसके निर्णय की अभिपुष्टि कर दी जाए। शेष सदस्य परिषद के प्रतिदिन के कार्यों में निकट से निहित नहीं होते। अधिनियम के अनुसार, परिषद की बैठक, जितनी आवश्यक समझी जाए, उतनी बार होगी। किंतु निश्चित तौर पर इसकी बैठक साल में दो बार होनी चाहिए।

9 कर्नाटक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के बारे में अधिक जानकारी http://kshec.ac.in पर उपलब्ध है।

10 विस्तृत संरचना अनुबंध में दी गई है।

कार्य

परिषद के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

- नीति निरूपण और संभावित नियोजन के लिए अकादमिक सुझाव प्राप्त करके अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में उच्चतर शिक्षा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के साथ ही साथ इनके बीच समन्वय स्थापित करना।
- राज्य की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार उच्चतर शिक्षा के सौहार्दपूर्ण विकास का मार्गदर्शन करना।

अधिनियम में परिषद के लिए विविध प्रकार के कार्यों का प्रावधान है, जिनमें इस क्षेत्र के लिए योजना बनाना, राज्य में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उपाय करना और कोई भी अन्य कार्य करना, जैसा राज्य द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। अधिनियम में परिषद को शक्ति प्रदान की गई है कि वह संस्थानों को निधि आवंटन पर राज्य सरकार को सलाह दे और इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करे। तथापि, परिषद को संस्थानों को किसी भी प्रकार के वित्तीय आवंटन की शक्ति प्राप्त नहीं है। अधिनियम की संरचना इस प्रकार की गई है कि यह परिषद के लिए पहलें करने के लिए काफी गुंजाइश छोड़ता है, फिर भी इसमें प्रमुख कार्यों, इसके निष्पादन आकलन के लिए दिशानिर्देशों को स्पष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है और न ही कार्यों को इस से अलग किया गया है कि कौन से कार्य राज्य द्वारा और कौन से परिषद द्वारा किए जाएं।

पहले और परिणाम

अपने अस्तित्व के पिछले चार वर्ष से कुछ अधिक अवधि के दौरान, परिषद अनेक गतिविधियों में लगी रही हैं, जैसे बंगलौर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन कुछ क्षेत्रों को शामिल करके नए राज्य विश्वविद्यालय के सृजन के लिए प्रस्ताव करना, उच्चतर शिक्षा पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सेमीनार आयोजित करना, पाठ्यक्रम विकसित करना, उच्चतर शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों पर सेमीनार और सम्मेलन आयोजित करना आदि। परिषद ने सरकार द्वारा भेजे गए विश्वविद्यालयों की सांविधियों और विनियमों पर अपनी राय दी हैं। निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रस्तावों में प्रारंभिक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और संकाय प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव के मसौदे की सिफारिश की है।

परिषद, समाचार पत्रिकाओं और आवधिक रूप से अद्यतन की जाने वाली प्रयोक्ता मैत्रिक वेबसाइट के प्रकाशन के माध्यम से अपनी गतिविधियों से संबंधित सूचना के प्रसार में भी सक्रिय रूप से लगी रही है। परिषद ने वर्ष में कम से कम दो बार अपनी बैठकें की हैं और तीन वार्षिक रिपोर्टें भी प्रकाशित की हैं। इन तीन वार्षिक रिपोर्टों में परिषद की बैठकों में होने वाली प्रमुख चर्चाओं, लिए गए निर्णयों और की गई कार्रवाइयों को रेखांकित किया गया है।

परिषद ने अपनी भावी गतिविधियों के मार्गदर्शन के प्रयोजन से एक विजन 2020 तैयार किया है। यह विजन दस्तावेज राज्य परिषद के लिए लिए रोडमैप है कि अगले 10 वर्षों में कौन से कार्य आदर्शतः किए जाने चाहिएं। तथापि, इस संबंध में परिषद और/या राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पूरी तरह स्पष्ट नहीं है।

केरल

संरचना

केरल में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद गठित करने का पहला प्रयास वर्ष 2000 में किया गया था, जब एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक परिषद का गठन किया गया था। वर्ष 2003 में, राज्य विधानसभा में प्रस्तुत एकीकृत विश्वविद्यालय विधेयक में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पर एक अध्याय शामिल किया गया था। सरकार ने 2005 में एक एकदिवसीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें कुलपतियों, शिक्षाविदों और प्रशासकों ने भाग लिया। कार्यशाला में हुई चर्चाओं के आधार पर एक अध्यादेश का मसौदा तैयार किया गया। बाद में अध्यादेश के स्थान पर एक विधेयक का मसौदा तैयार किया गया। किंतु इस विधेयक का अधिनियमन भी नहीं किया गया। 2006 में उच्चतर शिक्षा परिषद गठित करने के लिए सरकार को सिफारिशें करने के लिए डॉ0 के0 एन0 पाणिक्कर की अध्यक्षता में एक उच्चतर शिक्षा परिषद आयोग द्वारा यह मुद्दा फिर से अपने हाथ में लिया।

आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के आधार पर, केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अध्यादेश 2006 जारी किया गया और 16 मार्च 2007 को परिषद का गठन किया गया। बाद में अध्यादेश का स्थान बिना

किसी बदलाव के केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम 2007 (2007 का अधिनियम 22)[11] लाया गया।

परिषद के तीन पृथक निकाय हैं:–

- **सलाहकार परिषद:** सर्वोच्च निकाय, जिसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है और इसका उद्देश्य अपनी संरचना के जरिए अत्यधिक लोकतांत्रिक प्रकृति का होना है। इसके पैंतीस सदस्य हैं, इसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। इसमें विभिन्न अकादमिक और सामाजिक क्षेत्रों से राज्य सरकार के नामांकित सदस्य शामिल हैं।
- **शासी परिषद:** यह मध्यवर्ती निकाय है, जिसका उत्तरदायित्व बड़े नीतिगत निर्णय लेने का है। इसकी अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें इक्कीस सदस्य (सरकार द्वारा नामित आठ पदेन और अन्य सदस्यों के साथ ही साथ राज्य की सभी संस्थानों के कुलपति) शामिल हैं।
- **कार्यकारी परिषद:** तीनों में सबसे छोटा निकाय – इसे नीतिगत निहितार्थों वाले सभी मामलों पर शासी परिषद की सहमति प्राप्त करके दिन–प्रतिदिन के कार्यों का ध्यान रखने का काम सौंपा गया है। इसकी अध्यक्षता सरकार द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष (अधिमानतः कोई भूतपूर्व कुलपति) द्वारा की जाती है। अन्य सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, कुलपति, राज्य द्वारा नियुक्त पांच शिक्षाविद और सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग शामिल हैं।

पहले दो निकायों में अनेक सदस्य हैं और विभिन्न हितधारकों की ओर से अनेक प्रतिनिधियों का प्रावधान है। तथापि, इससे इनका कार्य धीमा हो जाता है और ये अपर्याप्त निर्णयन निकाय बन जाते हैं, जिनमें फोकस और उद्देश्य की एकता की कमी होती है। राज्य परिषद को राजनीतिक कार्यपालिका या नौकरशाही के हस्ताक्षेप से पृथक नहीं किया गया है, गैर–राजनीतिक नियुक्तियां करने की व्यवस्था की कमी से परिषद की कार्यप्रणाली अवरुद्ध हो सकती है।

व्यवहारिक तौर पर, कार्यकारी परिषद और उपाध्यक्ष राज्य परिषद के प्रमुखकर्ता हैं, क्योंकि वे अपने पूरे कार्यकाल के दौरान परिषद के लिए पूर्णकालिक तौर पर काम करते हैं। व्यवहार में, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव राज्य परिषद में प्रमुखकर्ता हैं, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य भी हैं। राज्य परिषद की नियुक्ति चार वर्ष की अवधि के लिए होती है। तीनों परिषदों की हर तीन वर्ष में पुनर्संरचना की जाती है, जिसमें कार्यकारी परिषद और सचिवालय शामिल हैं, जो परिषद के दैनिक प्रशासन की देख–रेख करते हैं। सभी नियुक्तियों में इस व्यवधान से परिषद की संस्थागत स्मृति सीमित हो जाती है और इसकी गतिविधियों की निरंतरता और दिशा अवरुद्ध होती है।

कार्य

परिषद का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और विश्वविद्यालयों और सरकार और सर्वोच्च विनियामक निकायों के बीच प्रचालनिक स्थान ग्रहण करके सरकार, शैक्षिक जगत, सार्वजनिक बुद्धिजीवियों और लोगों के प्रतिनिधियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना है:–

- सरकार और विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य में उच्चतर शिक्षा के अन्य केंद्रों को उच्चतर शिक्षा पर नीतियों के निरुपण और कार्यान्वयन के लिए अकादमिक सुझाव प्रदान करना और उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए एक संभावित योजना तैयार करना।
- राज्य के लिए मानव संसाधन विकास योजना बनाना और इस योजना के अनुरूप उच्चतर शिक्षा की वृद्धि और विकास को नियोजित करना।
- विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थानों में शिक्षकों और शिक्षक–प्रशासकों के पदों के लिए नियुक्ति तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिलों को विनियमित करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थानों को अनुदान राशि जारी करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार करना और सरकार को प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों का ऐसा अनुदान जारी करने के बारे में सलाह देना।
- राज्य के विश्वविद्यालयों की सांविधियों, अध्यादेशों और विनियमों की आवधिक रूप समीक्षा करना और सामाजिक

11 केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद पर अधिक जानकारी http://www.kshec.kerala.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

न्याय और शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता के उद्देश्यों को मूर्तरूप देने के लिए समुचित सुधारों का सुझाव देना, और मौजूदा विश्वविद्यालयों या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों या नए विश्वविद्यालयों या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों के संबंध में नई सांविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के लिए फ्रेमवर्क का सुझाव देना।

अधिनियम के अनुसार, राज्य परिषद का कानूनी तंत्र है, जो इसे व्यापक प्रकार की गतिविधियां चलाने में मदद करता है।

पहल और परिणाम

पिछले छह वर्षों के दौरान, केरल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की कार्यप्रणाली दर्शाती है कि यह राज्य में उच्चतर शिक्षा के समक्ष आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों में से कुछ का सामना करने में सक्रिय रहा है। राज्य परिषद ने, राज्य के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए अनेक समितियां नियुक्त की हैं। इसने अनेक रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं: *''केरल राज्य उच्चतर शिक्षा नीति पर रिपोर्ट''*, *''केरल राज्य आकलन और परिषद पर रिपोर्ट ''*, *''उद्योग और शैक्षिक जगत के संपर्कों पर रिपोर्ट''*, ये सभी रिपोर्टें आवश्यक नीतिगत हस्ताक्षेप के लिए सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं, जो सरकार का विशेषाधिकार है। इसके अतिरिक्त, *''विकल्प आधारित क्रेडिट और सेमेस्टर प्रणाली पर रिपोर्ट''*, *''केरल में कॉलेजों की स्वायत्तता पर रिपोर्ट''* और *' 'राज्य संकाय प्रशिक्षण प्रणाली पर रिपोर्ट''*, प्रस्तुत की जा चुकी हैं, सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी हैं और अब समितियों की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के अधिनियमों की समीक्षा और क्लस्टर कॉलेजों के सृजन से संबंधित दो महत्वपूर्ण रिपोर्टों का प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

जहां छह वर्ष की अल्पावधि में राज्य परिषद द्वारा हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों को देखना उल्लेखनीय है, जो राज्य सरकार के सक्रिय समर्थन, सहयोग और अनुक्रियाशीलता की वजह से संभव हुआ है। वहीं परिषद अभी तक इसे प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकी है क्योंकि यह अस्पष्ट है कि परिषद की सिफारिशों पर किस सीमा तक अनुसरण कार्रवाई की जा रही है और अंततः इन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र

संरचना

महाराष्ट्र राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना, महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1994 के परिणाम के रूप में की गई थी। राज्य परिषद का सृजन मुख्य तौर पर सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। राज्य परिषद की संरचना और शक्तियां और कार्यों का ब्यौरा संलग्न अनुबंध में दिया गया है। परिषद इस तथ्य की वजह से संरचनागत खामियों से ग्रस्त है कि मोटे तौर पर इसमें उच्चतर शिक्षा में राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही शामिल है, जिसमें शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम 1994[12] के अनुसार वर्ष में कम से कम दो बार बैठक की सुस्पष्ट अपेक्षा के बावजूद, इसके गठन के बाद से उच्चतर शिक्षा परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई है, जिससे यह एक निष्क्रिय निकाय बन गया है।[13]

वर्ष 2010 में, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा वर्ष 2008 में आरंभ किए गए अभिशासन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, महाराष्ट्र में उच्चतर शिक्षा की पुनर्संरचना करने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक समिति का गठन किया। परिणामस्वरूप, डॉ0 अनिल काकोडकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति की प्रमुख सिफारिशों में से, एक उच्चतर शिक्षा और विकास के लिए एक राज्य आयोग का गठन करने से संबंधित थी (जिसका उद्देश्य प्रभावी तौर पर मौजूदा राज्य परिषद को प्रतिस्थापित करना है)। ऐसे निकाय के गठन का औचित्य ठहराते हुए समिति का कहना है, *''महाराष्ट्र उच्चतर शिक्षा और विकास (एमएएचईडी) एजेंसी वह निकाय होगी, जो राज्य सरकार, सार्वजनिक और निजी विश्वविद्यालयों, निजी कौशल शिक्षा प्रदाताओं और उद्योगों जैसे विभिन्न हितधारकों के बीच साहचर्य सृजित करेगा। एमएएचईडी अपनी गतिविधियों और परिणामों की सूचना अपनी सर्वोच्च सलाहकार–सह–पर्यवेक्षक परिषद को देगी और शिक्षाविदों और विकास परिषद द्वारा दी गई विशेषज्ञ सलाह लेगी।''*

पुरानी एजेंसी को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित नई एजेंसी – (हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है) – सुपरिभाषित

12 महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994, पृष्ठ 63, खंड–5।

13 कुमार, वेंकटेश बी (2010), महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम का कार्यान्वयन। आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 23 अक्टूबर, 2010, खंड– xiv सं. 43।

शक्तियों और कार्यों वाली एक बेहतर संरचना प्रतीत होती है, क्योंकि राज्य स्तर पर उच्चतर शिक्षा के नियोजन, निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण और समन्वय के बड़े प्रश्नों को संबोधित करती है, जो मौजूदा राज्य परिषद में नहीं है।

कार्य

अधिनियम में निम्नलिखित कार्य और शक्तियां पूर्वज्ञात हैं:–

योजना और समन्वय

- समाज की समग्र प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण और जरूरतों और उच्चतर शिक्षा से उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों में कार्यक्रम तैयार करना।
- विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रम पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना।

सलाहकार कार्य

- राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों की एकरूपता के निर्धारण और अनुरक्षण के संबंध में सलाह देना।
- राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को ऐसे उपायों की सिफारिश करना, जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए किए जा सकते हैं, पिछड़े वर्गों, ग्रामीण और जनजातीय समुदायों, महिलाओं और ऐसे किन्ही विनिर्दिष्ट समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना।
- विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना और एक तरफ विश्वविद्यालयों तथा उद्योग और दूसरी तरफ अन्य संगठनों के बीच अंतःक्रिया की संभावना तलाशना।
- उद्योग और अन्य स्रोतों से उच्चतर शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के तौर–तरीके सुझाना।

पहल और परिणाम

अधिनियम के पास होने से अब तक राज्य परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई है। बहरहाल, हाल ही में आरयूएसए द्वारा उपलब्ध कराए गए अवसरों को देखते हुए, परिषद को पुनर्जीवित करने के बारे में चर्चाएं हुई हैं।

तमिलनाडु

संरचना

तमिलनाडु सरकार ने एक राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद[14] स्थापित करने का निर्णय लिया और यह 1992 में एक अधिनियम के जरिए अस्तित्व में आयी। राज्य परिषद के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री हैं और इसमें सरकार के अनेक प्रतिनिधियों के साथ ही साथ विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षाविद शामिल हैं, इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। परिषद की वर्तमान सदस्यता संरचना शिक्षाविदों की अपेक्षा राज्य सरकार के नौकरशाहों के अधिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। राज्य परिषद और कुलपतियों के बीच निरंतर और बेहतर अनवरत अंतःक्रिया के उद्देश्य से, 1933 में कुलपतियों के सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया (अधिनियम में राज्य परिषद को सुविज्ञा सुझाव देने के लिए कुलपतियों का मंच सृजित करने का कोई उल्लेख नहीं है), जो परिषद के विचारार्थ सुझाव और सिफारिशें कर सकता है। राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति और इन्हें हटाए जाने के लिए लागू मानदंड राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर हैं और अधिनियम में ये पूरी तरह पारदर्शी प्रतीत नहीं होते।

कार्य

अधिनियम परिषद को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों में राज्य में उच्चतर शिक्षा योजनाएं विकसित करना, नए उच्चतर शिक्षा संस्थान आरंभ करने के लिए मानक निरूपित करना, इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संवर्धन के तरीके सुझाना, विश्वविद्यालयों के लिए ब्लॉक ग्रांट निर्धारित करने के लिए सरकार को सुझाव देना, विश्वविद्यालयों की सांविधियों, अध्यादेशों और विनियमों की जांच करना आदि शामिल हैं।

परिषद की कार्यप्रणाली में कतिपय महत्वपूर्ण अंतर हैं, इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जैसे केंद्रीय विनियामक निकायों के साथ अंतःक्रिया के लिए कोई स्थापित व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवहार में, परिषद की राज्य में उच्चतर शिक्षा के नियोजन में भी सीमित भूमिका है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त

14 तमिलनाडु राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संबंध में और जानकारी http://www.tnuniv.ac.in पर उपलब्ध है।

अनुसंधान अनुदानों के वितरण के अतिरिक्त, अधिनियम परिषद को कोई उल्लेखनीय वित्तीय शक्ति प्रदान नहीं करता। परिषद अत्यंत सीमित प्रशासनिक बजट पर काम करती है और इसके पास वित्तीय प्रोत्साहनों के जरिए संस्थानों को प्रभावित करने के बहुत थोड़े उपाय हैं। विगत में, परिषद ने नीतियां तैयार करने या निर्णय लेते समय हितधारकों के साथ परामर्श करने के लिए परामर्श के तरीके इख्तियार नहीं किए हैं। इससे इसकी कतिपय सुधारों, जैसे अन्ना विश्वविद्यालय को छह विश्वविद्यालयों में बांटना–एक ऐसा निर्णय, जिसको स्वीकार्यता की कमी की वजह से बाद में पलटा जाना पड़ा, के कार्यान्वयन की सक्षमता अवरुद्ध हुई है।

पहल और परिणाम

राज्य परिषद ने अकादमिक उत्कृष्टता के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, विश्वविद्यालयों में मानवशक्ति नियोजन के साथ ही साथ ब्लॉक ग्रांट के आवंटन द्वारा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के उपाय किए हैं और राज्य परिषद की भावी योजनाएं प्रोत्साहक प्रतीत होती हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं– विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों को विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए एकरूप संरचना तैयार करने, अधिक संख्या में संस्थानों को संबद्ध होने, और उन्हें स्वायत्तता हासिल करने के लिए आवेदन करने और राज्य में कौशल आधारित शिक्षा के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से समुदाय कॉलेजों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, आदि।

राज्य परिषद ने हाल ही के समय में अनेक गतिविधियां शुरू की हैं। इनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों में एकरूप शुल्क संरचना के लिए समन्वय करना, विभिन्न मुद्दों पर समितियों का गठन करना और समिति की रिपोर्टों को कुलपतियों के साथ साझा करना (बहरहाल, इन विचारों को संस्थागत किए जाने की आवश्यकता है) और रजिस्ट्रारों तथा संकाय सहित प्रशासनिक स्टाफ के लिए अनेक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करना शामिल है।

यह पाया गया है कि हालांकि मौजूदा परिषद के पास राज्य के उच्चतर शिक्षा परिवेश में उल्लेखनीय बदलाव लाने के लिए काफी शक्तियां हैं, फिर भी विगत और मौजूदा राज्य परिषद उन्हें प्रदत्त की गई शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करने में समर्थ नहीं रही हैं।

उत्तर प्रदेश

संरचना

उत्तर प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में राज्य विधायिका के अधिनियम द्वारा की गई थी। अध्यक्ष का नामांकन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसे कुलपति या भारत सरकार के अपर सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए, अन्य किसी पात्रता या चयन प्रक्रिया का उल्लेख अधिनियम में नहीं है। परिषद में राज्य सरकार के अन्य विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार पदेन सदस्य, तीन कुलपति, एक प्रधानाचार्य के साथ ही साथ शिक्षा, विधि और उद्योग में से प्रत्येक के एक–एक प्रतिनिधि और एक प्रख्यात उद्योगपति शामिल होता है। नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं और सदस्यों को नियुक्त करने के मानदंड पारदर्शी तरीके से विनिर्दिष्ट नहीं किए गए हैं। सचिवालय के कर्मचारियों की एक टीम परिषद की सहायता करती है। वर्ष 2007 में परिषद निष्क्रिय थी क्योंकि राज्य द्वारा परिषद में कोई भी नियुक्ति नहीं की गई थी।

कार्य

अधिनियम के अनुसार, परिषद के प्रमुख कार्य निम्नानुसार हैं:–

योजना और समन्वय

- राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए संभावित योजना तैयार करना।
- यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास कार्यक्रम अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करना।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना और उद्योग और अन्य संबंधित स्थापनाओं के साथ अंतःक्रिया की संभावना तलाशना।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा कॉलेजों में अतिरिक्त विषय और विभाग तथा नए कॉलेज आरंभ करने के लिए मानक और सिद्धांत निरूपित करना।

अकादमिक कार्य

- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना और अद्यतन में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मानकों को उन्नत करने के तरीके और उपाय तैयार करना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुगम बनाना और समन्वय के जरिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना और गुणवत्तापरक पाठ्य पुस्तकों, मोनोग्राफों और संदर्भ पुस्तकों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।
- विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संकायों के बीच प्रभावपूर्ण अकादमिक सहयोग और अंतःक्रिया के लिए कार्यक्रम तैयार करना और राज्य के भीतर और बाहर शिक्षकों और छात्रों के संचलन को सुगम बनाना।

पहल और परिणाम

अपने गठन से लेकर 2007 तक, राज्य परिषद, एक कार्यशील निकाय थी और संस्थानों की गुणवत्ता के अनुरक्षण और संवर्धन के अपने अधिदेश के अनुसार गतिविधियां चलाती रहती थी। गुणवत्ता संवर्धन के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लाभार्थ कार्यशालाएं, सेमीनार और सम्मेलन आयोजित करने के अतिरिक्त, परिषद संस्थानों में आंतरिक गुणवत्ता आश्वस्ति प्रकोष्ठों की स्थापना और निगरानी के लिए अनुदान उपलब्ध कराने में शामिल रही है। यह कार्यशालाओं के माध्यम से अधिक संख्या में संस्थानों को एनएएसी द्वारा मान्यता दिए जाने की प्रक्रिया से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करती रही है। परिषद छोटी अनुसंधान सहायताएं प्रदान करती थी और विभिन्न संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र के विकास की दिशा में काम करती थी।

तथापि, राज्य परिषद की बैठक वर्ष 2007 के बाद शायद ही हुई हो, जिससे यह एक निष्क्रिय निकाय बन गई है। परिषद के अस्तित्व से अब तक इसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण, इस बिंदु को सामने लाता है कि यह स्वतंत्र निकाय नहीं है। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किए जाने या न किए जाने में काफी हद तक राजनीतिक हस्तक्षेप रहा है और साथ ही इसकी संरचना में राज्य की नौकरशाही पर भारी निर्भरता भी परिलक्षित होती है। अधिनियम राज्य उच्चतर शिक्षा विभाग के कार्यों से अलग परिषद के कार्यों को स्पष्ट नहीं करता।

तथापि, अप्रैल 2014 में उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक सरकारी अधिसूचना के जरिए अध्यक्ष के रूप में एक शिक्षाविद और सदस्यों के रूप में तीन अन्यों की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की पुनर्संरचना की है। यह काफी सालों तक निष्क्रिय रहने के बाद राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद को पुनर्जीवित करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम होने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल

संरचना

पश्चिम बंगाल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद[15] की स्थापना पश्चिम बंगाल की राज्य विधायिका द्वारा अधिनियम पारित करके 29 जुलाई 1994 को की गई थी और इसने अप्रैल 1995 से काम करना आरंभ किया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 2007 में राज्य परिषद की संरचना में संशोधन करके इसे और अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का उपाय किया, जिसके जरिए राज्य में उच्चतर शिक्षा के प्रभारी मंत्री का राज्य परिषद का अध्यक्ष होना समाप्त हो गया। इसका उद्देश्य परिषद को अतिरिक्त शक्तियों और कार्यों के साथ ही साथ इसे और अधिक स्वायत्त और स्वतंत्र बनाना था। परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शिक्षाविद हैं और परिषद के शेष सदस्यों में उच्चतर शिक्षा सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव, 19 उप–कुलपति, 6 प्रख्यात शिक्षाविद, 3 वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी और इसके अतिरिक्त 1 प्रतिनिधि उद्योग जगत से और 1 प्रधानाचार्य शामिल हैं। अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में सदस्यों की वजह से एक जोखिम यह रहता है कि परिषद एक कुशल निर्णयन निकाय नहीं है।

कार्य

राज्य परिषद के सांविधिक कार्य हैं:–

क. राज्य की सहायता प्राप्त और प्रशासित संस्थानों के अकादमिक मानकों की निगरानी करना।

ख शिक्षण, परीक्षण और अनुसंधान की गुणवत्ता अनुरक्षित करना।

15 पश्चिम बंगाल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के संबंध में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया www.wbsche.ac.in वेबसाइट देखें।

ग. उच्चतर शिक्षा के रुख को पश्चिम बंगाल की सामाजिक आर्थिक जरूरतों पर सही दिशा में मोड़ना।

घ. देश के अन्य अकादमिक विनियामकों और प्रशासकों सहित राज्य सरकार के साथ उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के नियोजन और समन्वय को सुदृढ़ करना।

पहल और परिणाम

अपने अस्तित्व के लगभग दो दशकों में, राज्य परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जो निम्न प्रकार हैं:–

- नए राज्य सहायता–प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों, निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा के अन्य ऐसे संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करना, उदाहरण के लिए अतिरिक्त संसाधनों के प्रवेश को सुगम बनाकर और यूजीसी के विकास कार्यक्रमों के जरिए ऐसा किया जा सकता है।
- यह विश्वविद्यालय अधिनियम को तैयार करने में शामिल रही है और इसने नई सांविधियों का प्रारूप तैयार करने में विश्वविद्यालयों को मदद दी है।
- इसने लंबित और वंचित उच्चतर शिक्षा सुधारों की जांच की है और सक्षम प्राधिकारी को इन सुधारों के कार्यान्वयन की सिफारिश करके अग्रसक्रिय भूमिका निभाई है।
- संस्थानों के प्रमुखों की आवधिक बैठकें आयोजित की हैं, अकादमिक ऑडिट का कार्यान्वयन किया और राज्य के विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय और सहयोग के लिए राज्य विश्वविद्यालय नेटवर्क स्थापित किया।

हाल ही में राज्य परिषद द्वारा हाथ में ली गई कुछ पहलों में शामिल हैं, अकादमिक कलेंडर, पाठ्यक्रम में एकरूपता लाना, चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम आरंभ करना, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली का कार्यान्वयन, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और उद्योग के बीच संपर्कों को प्रोत्साहित करना, सभी जिला मुख्यालयों में फिनिशिंग स्कूलों की स्थापना, उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अकादमिक और प्रशासनिक ऑडिट आरंभ करना और अंतिम अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के सृजन के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना।

अपने कार्यकाल के दो दशकों के दौरान, पश्चिम बंगाल राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद ने दर्शाया है कि यह उच्चतर शिक्षा सुधारों का समर्थन करने में अपेक्षाकृत कुशल रही है। इसमें अकादमिक और वरिष्ठ अधिकारियों का अच्छा मिश्रण है और इसकी अध्यक्षता प्रख्यात शिक्षाविदों और पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। परिषद की बैठकें आवधिक रूप से हुई हैं और ऊपरोल्लिखित निर्णय दर्शाते हैं कि इसने काफी हद तक अपनी स्थापना का लक्ष्य हासिल किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य परिषद को राज्य सरकार द्वारा कुछ वित्तीय शक्तियां भी सौंपी गई हैं। पश्चिम बंगाल उच्चतर शिक्षा परिषद निधि, जिसमें सरकार की ओर से अनुदान शामिल हैं, उच्चतर शिक्षा के लिए केंद्र से प्राप्त अनुदान और अन्य स्रोतों से परिषद द्वारा प्राप्त की गई ऐसी अन्य निधियां शामिल हैं, जो संसाधनों को संचलित करने के साथ ही साथ व्यय किए गए संसाधनों की बेहतर निगरानी में भी मदद करती है। राज्य परिषद को विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान आवंटित करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड (एनबीए) द्वारा राज्य परिषद को पेशेवर पाठ्यक्रम पेश करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अनिवार्य मान्यता के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

आठ भारतीय राज्यों में राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों का सारांश

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
आंध्र प्रदेश		
पूर्णकालिक सदस्य ▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष	सरकार द्वारा तीन वर्षों के लिए नियुक्त प्रख्यात शिक्षाविद, जो दूसरी अवधि के लिए नियुक्ति का पात्र होगा, बशर्ते इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की आयु पैंसठ वर्ष न हुई हो।	*योजना* ▪ राज्य योजनाएं – अल्पावधिक और दीर्घावधिक। ▪ योजनाओं का कार्यान्वयन। ▪ पाठ्यक्रम गुणवत्ता और अद्यतन के लिए राज्य संस्थानों के बीच समन्वय। *अकादमिक* ▪ परीक्षाओं की गुणवत्ता। ▪ शिक्षकों का प्रशिक्षण सुगम बनाना। ▪ खेलकूद और शिक्षेणत्तर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। ▪ यूजीसी को विश्वविद्यालयों पर रिपोर्ट भेजना। *सलाहकार* ▪ ब्लॉक अनुरक्षण ब्लॉक के आधार और मात्रा पर। ▪ अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, अनुसंधान बोर्ड का गठन करना। ▪ विश्वविद्यालयों द्वारा पारित सांविधियों और अध्यादेशों पर। ▪ नए संस्थानों की स्थापना पर।
पदेन सदस्य ▪ सरकार के सचिव, शिक्षा विभाग ▪ सरकार के सचिव, वित्त विभाग ▪ सरकार के सचिव, श्रम, रोजगार एवं तकनीकी विभाग ▪ सचिव या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का न हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित	सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित और वह दूसरी कार्य अवधि के लिए पुनःनियुक्ति का पात्र होगा, बशर्ते नियुक्त अधिकारी पैंसठ वर्ष की आयु तक न पहुंच चुका हो।	
अन्य सदस्य ▪ चार व्यक्तियों की नियुक्ति सरकार द्वारा ▪ एक व्यक्ति की नियुक्ति सरकार द्वारा ▪ तीन व्यक्तियों का नामांकन राज्य सरकार द्वारा	▪ प्रख्यात शिक्षाविद ▪ उद्योग के प्रतिनिधि ▪ 1 तकनीकी विशेषज्ञ ▪ 2 अन्य सदस्य ▪ तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति और वह दूसरी कार्य अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र होगा, बशर्ते नियुक्त अधिकारी पैंसठ वर्ष की आयु तक न पहुंच चुका हो	
गुजरात ज्ञान संघ		
▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष ▪ सह–उपाध्यक्ष ▪ सदस्य सचिव ▪ गुजरात के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति (नवंबर 2013 में 22 कुलपति) ▪ उद्योग से विशेषज्ञ सदस्य (नवंबर 2013 में 7) ▪ शिक्षा क्षेत्र से विशेषज्ञ सदस्य (नवंबर 2013 में 21)	▪ शिक्षा मंत्री ▪ माननीय मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार ▪ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग ▪ उच्चतर शिक्षा आयुक्त, गांधीनगर	सामान्य तौर पर शिक्षा क्षेत्र और विशेष तौर पर उच्चतर शिक्षा के सभी हितधारकों में ज्ञान की व्यापक हिस्सेदारी और प्रसार के लिए एक ठोस मंच उपलब्ध कराना। ▪ राज्य में उच्चतर शिक्षा प्रवेश और समानता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन राशि आरंभ करना और विभिन्न क्षेत्रों में अकादमिक सुधारों को सुगम बनाना, जैसेः– ❖ पाठयक्रम संबंधी पहलू।

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
▪ गुजरात के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों से सदस्य (नवंबर 2013 में 5) ▪ अन्य सदस्य (गुजरात स्थित संस्थानों के निदेशक, प्रोवोस्ट और कुलपति, नवंबर 2013 में 11)		❖ प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का क्षमता निर्माण। ❖ पठन–पाठनः शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सक्षम नवीनतक पठन–पाठन, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियां आरंभ करके। ❖ व्यापक निरंतर क्रेडिट और ग्रेड आधारित मूल्यांकन आरंभ करके मूल्यांकन संबंधी सुधार। ❖ छात्रों की रोजगार योग्यता बढ़ाना। ❖ उच्चतर शिक्षा में जवाबदेह गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम। ▪ सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और पुस्तकालयों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ना। ▪ संधान नामक पहल के माध्यम से राज्य में अनुसंधान विद्वानों और संकायों तथा आगंतुक अंतरराष्ट्रीय शिक्षाविदों, विशेषकर अनिवासी भारतीयों, जो अपने विशेषज्ञता क्षेत्र में काम कर रहे हों, को विश्वविद्यालयों/विभागों/कॉलेजों में बुलाने का प्रबंध करके और उनके भाषण कराने का प्रबंध करके अंतःक्रिया को सुगम बनाना। ▪ राज्य के उत्कृष्टता केंद्रों का देश विदेश में उनके समकक्ष संस्थानों के साथ सक्रिय सहयोग सुगम बनाना। ▪ बेहतर ज्ञान प्रबंधन के लिए प्राध्यापक वर्ग के अंग्रेजी और कंप्यूटर संबंधी मूल कौशल को तराश कर भाषा, ज्ञान और डिजिटल भेद को मिटाना – और मौजूदा प्राध्यापक वर्ग के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। ▪ भारतीय ज्ञान प्रणालियों और ज्ञान की पांडुलिपियों का संरक्षण और संवर्धन करना और राष्ट्रीय/क्षेत्रीय ज्ञान संबंधी पहलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना। ▪ ज्ञान से परिपूर्ण पुस्तकों के अनुवाद के केंद्र के रूप में काम करने और मौजूदा अनुवाद और अनुवादकों का एक कोष तैयार करना। ▪ छात्रों/अनुसंधान विद्वानों/शिक्षकों और उनके प्रकाशनों का डेटाबेस तैयार करके संसाधन केंद्र के रूप में काम करना और गुजरात ज्ञान संघ के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सर्वेक्षणों, अध्ययनों, परियोजनाओं को समर्थन देना।

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
		▪ अत्याधुनिक अनुसंधान और ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना – उपर्युक्त प्रक्रियाओं में लगे व्यक्तियों/संस्थानों/ एजेंसियों की नेटवर्किंग को सुगम बनाकर बौद्धिक संपदा अधिकारों के अनुसार नव प्रयोग और पेटेंट प्रक्रिया अपनाना।
कर्नाटक		
▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष ▪ सदस्य सचिव ▪ 16 प्रख्यात शिक्षाविद नामित सदस्यों के तौर पर ▪ राज्य विश्वविद्यालयों के 17 कुलपति ▪ उच्चतर शिक्षा सचिव ▪ चिकित्सा शिक्षा सचिव ▪ वित्त सचिव ▪ विधि सचिव ▪ सचिव, संसदीय कार्य ▪ मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार **कार्यकारी समिति** ▪ परिषद के उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं ▪ कार्यकारी निदेशक सदस्य सचिव हैं ▪ परिषद के 2 कुलपतियों को परिषद द्वारा रोटेशन में नामित किया जाता है ▪ परिषद के 10 प्रख्यात शिक्षाविदों में से 4 को परिषद द्वारा रोटेशन से सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है ▪ सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव इसके पदेन सदस्य हैं	▪ शिक्षा मंत्री ▪ पप्रख्यात शिक्षाविद, जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या सरकार द्वारा नामित उच्चतर शिक्षा के किसी सर्वोच्च निकाय के सदस्य हों या रह चुके हों। ▪ प्रख्यात शिक्षाविद	▪ नीति निरूपण और संभावित नियोजन के लिए अकादमिक सुझाव प्राप्त करके अकादमिक उत्कृष्टता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। ▪ राज्य में उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों की स्वायत्तता और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करना। ▪ राज्य की सामाजिक आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करना। ▪ परिषद की सहमति के अधीन परिषद की ओर से नीति संबंधी मामलों पर निर्णय लेना, कतिपय प्रशासनिक मामलों पर कारवाई करना और वार्षिक अकादमिक वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करना भी समिति का उत्तरदायित्व है।
केरल		
▪ पैटर्न ▪ विजिटर ▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष		▪ सरकार, विश्वविद्यालयों और सर्वोच्च विनियामक एजेंसियों की भूमिका का समन्वय करना। ▪ राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाएं बनाना। ▪ योजनाएं बनाने और उनके कार्यान्वयन पर अकादमियों और अनुसंधान संस्थानों को सुझाव प्रदान करना। ▪ सामाजिक न्याय के संवर्धन और उच्चतर शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए नए विचारों की पीढ़ी के लिए स्वतंत्र अनुसंधान कराना।

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
सलाहकार परिषद ▪ 33 सदस्य	▪ राजनीतिक प्रतिनिधि जैसे मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, संसद सदस्यों के प्रतिनिधि, पंचायतों, निगमों के सदस्य और प्रख्यात व्यक्तित्व	▪ मौजूदा नियमों/सांविधियों में सुधार करना और नए नियम/सांविधियां सृजित करना। ▪ शिक्षा में मानव संसाधनों का विकास करना। ▪ उच्चतर शिक्षा संस्थानों और अन्य सरकारी एजेंसियों के बीच संपर्क विकसित करना। ▪ पाठ्यक्रमों में परिवर्तन। ▪ सरकारों द्वारा विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुदान जारी करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश तैयार करना। ▪ निम्नलिखित केंद्रों की स्थापना द्वारा समस्त राज्य के लिए सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराना:– ▪ उच्चतर शिक्षा में नीतियों पर अनुसंधान केंद्र। ▪ पाठयक्रम विकास केंद्र। ▪ प्राध्यापक वर्ग और शैक्षिक प्रशासकों के संबंध में क्षमता निर्माण केंद्र। ▪ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन के लिए राज्य परिषद। ▪ परीक्षा सुधार प्रकोष्ठ। ▪ मानव संसाधन विकास, रोजगार और वैश्विक कौशल विकास प्रकोष्ठ। ▪ राज्य के विभिन्न संस्थानों और परिषदों के बीच समन्वय।
शासकिय परिषद ▪ शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 35 सदस्य	▪ राज्य विश्वविद्यालयों के सभी कुलपति ▪ शिक्षाविद (एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण सहित) ▪ राज्य विश्वविद्यालयों की अकादमिक परिषदों के चुने हुए प्रतिनिधि ▪ नामित छात्र संघों के प्रतिनिधि (महिलाओं के लिए आरक्षण सहित) ▪ राज्य के अधिकारी (सचिवों और निदेशकों के स्तर से नीचे नहीं)	
कार्यकारी परिषद ▪ परिषद के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 9 सदस्य	▪ एक पूर्णकालिक सदस्य सचिव, पांच अंशकालिक सदस्य ▪ एक कुलपति ▪ सचिव, उच्चतर शिक्षा	
महाराष्ट्र		
▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष ▪ अन्य सदस्य (कार्यकाल 3 वर्ष) ▪ 32 अन्य सदस्य ▪ कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी सांविधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति	▪ मुख्यमंत्री ▪ उच्चतर शिक्षा मंत्री ▪ चिकित्सा शिक्षा मंत्री ▪ खेलकूद मंत्री ▪ उच्चतर शिक्षा राज्य मंत्री ▪ चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री ▪ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित चार विधायक ▪ महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित चार विधान परिषद सदस्य	*योजना और समन्वय* ▪ समाज की समग्र प्राथमिकताओं, दृष्टिकोण और जरूरतों और उच्चतर शिक्षा से उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों में कार्यक्रम तैयार करना। ▪ विश्वविद्यालयों के विकास कार्यक्रम पर विचार करना और उसे अनुमोदित करना। ▪ उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार से सबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतर–विश्वविद्यालय कार्यक्रम आरंभ करना। ▪ राज्य सरकार और विश्वविद्यालयों को ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए किए जा सकते हैं, पिछड़े वर्गों, ग्रामीण और जनजातीय समुदायों, महिलाओं और ऐसे किन्ही विनिर्दिष्ट समूहों के लिए उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराना।

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
	▪ कुलाधिपति द्वारा नामित दस प्रख्यात शिक्षाविद या शिक्षा प्रशासक, जिनमें से दो प्रबंधन के प्रतिनिधि होंगे ▪ कुलाधिपति द्वारा नामित प्रधानाचार्यों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि निकाय की कार्यकारी समिति के सदस्यों या पदाधिकारियों में से दो प्रधानाचार्य ▪ कुलाधिपति द्वारा नामित शिक्षकों के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि निकाय की कार्यकारी समिति के सदस्यों या पदाधिकारियों में से दो शिक्षक ▪ कृषि विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी सांविधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति ▪ सचिव, उच्चतर एवं तकनीकी शिक्षा ▪ सचिव, चिकित्सा शिक्षा ▪ सचिव, वित्त ▪ सचिव, योजना ▪ सचिव, खेलकूद ▪ महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशक ▪ महाराष्ट्र राज्य चिकित्सा शिक्षा निदेशक ▪ शिक्षा निदेशक (उच्चतर शिक्षा), महाराष्ट्र राज्य	*सलाहकार कार्य* ▪ राज्य सरकारों को विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मानकों की एकरूपता के निर्धारण और अनुरक्षण के संबंध में सलाह देना। ▪ विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग और समन्वय को प्रोत्साहित करना और एक तरफ विश्वविद्यालयों तथा उद्योग और दूसरी तरफ अन्य संगठनों के बीच अंतःक्रिया की संभावना तलाशना। ▪ उद्योग और अन्य स्रोतों से उच्चतर शिक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधान जुटाने के तौर–तरीके सुझाना। ▪ अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए अंतर–विश्वविद्यालय कार्यक्रमों पर सलाह देना ▪ विश्वविद्यालय शिक्षकों, कॉलेज शिक्षकों और विश्वविद्यालय के विभागों के शिक्षकों के अधिक सहयोग और अंतःक्रिया और विचार विनिमय के लिए कार्यक्रमों की सलाह देना।
तमिलनाडु		
▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष ▪ सदस्य सचिव **पदेन सदस्य** ▪ सचिव, तमिलनाडु के राज्यपाल ▪ अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग ▪ प्रधान सचिव, वित्त विभाग ▪ सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	▪ उच्चतर शिक्षा मंत्री	*नियोजन कार्य* ▪ राज्य उच्चतर शिक्षा योजना तैयार करना और इसके कार्यान्वयन की निगरानी करना। *अकादमिक कार्य* ▪ परीक्षा मानदंडों का अनुरक्षण करना। ▪ किसी विषय विशेष में विकास के लिए विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान करना। ▪ शिक्षकों का प्रशिक्षण और विकास ▪ विश्वविद्यालयों के बीच अनुसंधान और समन्वय के लिए राज्य केंद्र की स्थापना।

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
▪ महाविद्यालयी शिक्षा निदेशक ▪ तकनीकी शिक्षा आयुक्त ▪ एक अनुसंधान अधिकारी ▪ एक लेखा अधिकारी ▪ एक अधीक्षक		*सलाहकार कार्य* ▪ ब्लॉक ग्रांट के संबंध में दिशानिर्देश और मानक तैयार करना। ▪ नए संस्थानों के प्रस्तावों का मूल्यांकन करना। ▪ मौजूदा सांविधियों और अध्यादेशों में सुधारों और परिवर्तनों का सुझाव देना। *वित्तपोषण कार्य* ▪ सरकार की ओर से अनुदान सहायता को प्रशासित करना। ▪ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एजेंसियों से प्राप्त अनुसंधान अनुदानों को प्रशासित करना। ▪ उद्योगों की परामर्श सेवाओं स्व–उत्सर्जित निधियों के माध्यम से वहनीय विकास के लिए नए कार्यक्रमों की पहचान और प्रशासन करना।
उत्तर प्रदेश		
▪ अध्यक्ष ▪ सदस्य सचिव ▪ 11–13 सदस्य	▪ राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद, जो कुलपति हो या रह चुका हो, सेवानिवृत्त या सेवारत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो भारत सरकार के अपर सचिव से कम स्तर का न हो, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता और अनुभव प्राप्त हो ▪ राज्य सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव/सचिव ▪ राज्य सरकार के वित्त विभाग में प्रधान सचिव/सचिव ▪ राज्य सरकार के योजना विभाग में प्रधान सचिव/सचिव ▪ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सचिव या कोई अन्य अधिकारी, जो संयुक्त सचिव से कम स्तर का न हो ▪ उच्चतर शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश	*योजना और समन्वय* ▪ राज्य में उच्चतर शिक्षा की समग्र प्राथमिकताओं और संदर्भों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए राज्य में उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में समेकित कार्यक्रम तैयार करना और इनके कार्यान्वयन में सहायता कराना। ▪ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को मानकों के निर्धारण और अनुरक्षण में सहायता देना और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना। ▪ राज्य में उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए संभावित योजना तैयार करना। ▪ यदि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो, तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास कार्यक्रम अपनी टिप्पणियों और सिफारिशों के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत करना। ▪ उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना तथा उद्योग और अन्य संबंधित स्थापनाओं के साथ अंतःक्रिया की संभावना तलाशना। ▪ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा कॉलेजों में अतिरिक्त विषय और विभाग तथा नए कॉलेज आरंभ करने के लिए मानक और सिद्धांत निरूपित करना। ▪ राज्य में उच्चतर शिक्षा के अतिरिक्त संसाधनों के संवर्धन के लिए तौर तरीके सुझाना

संरचना	योग्यता	शक्तियां और उत्तरदायित्व
	▪ तकनीकी शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश; तीन व्यक्तियों का चयन राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से किया जाता है ▪ शिक्षा, इंजीनियरिंग और विधि, प्रत्येक क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविदों में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम तीन व्यक्तियों को नामित किया जाता है ▪ परिषद द्वारा एक व्यक्ति का सह–चयन प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से, जिनका उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में योगदान रहा हो	▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान संबंधी वित्तपोषण का समन्वय करना। *अकादमिक कार्य* ▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पाठयक्रम विकास, पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना और अद्यतन में नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना। ▪ विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के मानकों को उन्नत करने के तरीके और उपाय तैयार करना और आवश्यक सुधारों का सुझाव देना। ▪ स्वायत्त कॉलेजों के कार्यक्रमों का समन्वय करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना। ▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुगम बनाना और समन्वय के जरिए अकादमिक स्टाफ कॉलेजों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना, और गुणवत्तापरक पाठ्य पुस्तकों, मोनोग्राफों और संदर्भ पुस्तकों आदि के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना। ▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के संकायों के बीच प्रभावपूर्ण अकादमिक सहयोग और अंतःक्रिया के लिए कार्यक्रम तैयार करना और राज्य के अंदर और बाहरी शिक्षकों और छात्रों के संचलन को सुगम बनाना। ▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में दाखिला प्रक्रिया के विनियमन पर सलाह देना। ▪ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियों और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों को प्रोत्साहित करना।
पश्चिम बंगाल		
सदस्य ▪ अध्यक्ष ▪ उपाध्यक्ष ▪ सदस्य सचिव	▪ सरकार द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित शिक्षाविद ▪ प्रतिष्ठित शिक्षाविद ▪ आईएएस अधिकारी	▪ गुणवत्ता, सेवा संबंधी मामलों (शिक्षण और गैर–शिक्षण। कर्मचारियों), नियमों और सांविधियों की व्याख्या और निरूपण के लिए यूजीसी, राज्य और विश्वविद्यालयों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करना। ▪ योजनाओं का विकास और अनियोजित विस्तार को नियंत्रित करना। ▪ पाठयक्रम विकास, परीक्षा प्रपत्र आदि। ▪ नए संस्थानों, स्व–वित्तपोषित पाठ्यक्रमों और संस्थानों से संबंधित प्रस्तावों की जांच करना। ▪ प्रत्येक विश्वविद्यालय को भेजे गए संबद्धता के प्रस्तावों पर विचार करना। ▪ गुणवत्ता आश्वस्ति प्रकोष्ठ के जरिए गुणवत्ता की निगरानी करना।

अनुबंध – २

राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के संबंध में देशों की केस स्टडी

चीन

वर्ष 1978 से चीन की उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था–केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार, उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा लोक निकायों को प्राधिकारों एवं कार्यों का पुनः आवंटन

चीन की उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था – संरचनागत/प्रबंध स्तरीय सुधार

चीन की बुनियादी उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था की रूपरेखा

नीचे प्रस्तुत डायग्राम से वर्ष 1978 तथा वर्तमान (2014) में चीन की उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था के संबंध में बुनियादी रूपरेखा का अभिज्ञान होता है। इस रूपरेखा में उनके स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वर्गीकृत किया गया है:–

- केन्द्र सरकार द्वारा संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को बुशु गायोक्सीयो कहा जाता है: वर्ष 1978 में ये विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा संचालित थे, जिनमें से कुछ शिक्षा मंत्रालय द्वारा भी संचालित थे। बुशु गायोक्सीयो अथवा जिशु गायोक्सीयो के नाम से ज्ञात उच्चतर शिक्षा संस्थान, जबकि आज मुख्यतः शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित हैं परन्तु किन्हीं विशेष कारणों से[16] क्विता बुशु गायोक्सीयो के नाम से ज्ञात कुछ अन्य मंत्रालयों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
- स्थानीय सरकारों द्वारा संचलित प्रांतीय/स्थानीय उच्चतर शिक्षा संस्थनों को डिफांग गायोक्सीयो के नाम से जाना जाता है।
- गैर–सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थान मिन्बान गायोक्सियो के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे संस्थानों का वर्ष 1980 से पूर्व तथा चीन के इस अवधि के उच्चतर शिक्षा सुधारों में कोई अस्तित्व नहीं था। वर्तमान में गैर–सरकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की प्रबंध व्यवस्था संबंधित स्थानीय सरकारों के अधीन है।

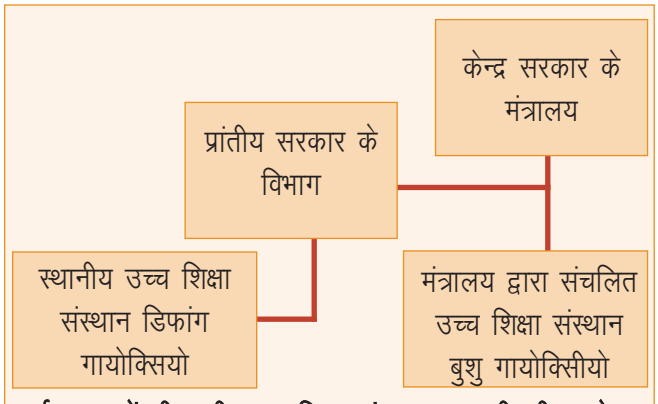

वर्ष 1978 में चीन की उच्च शिक्षा संचालन प्रणाली की रूपरेखा

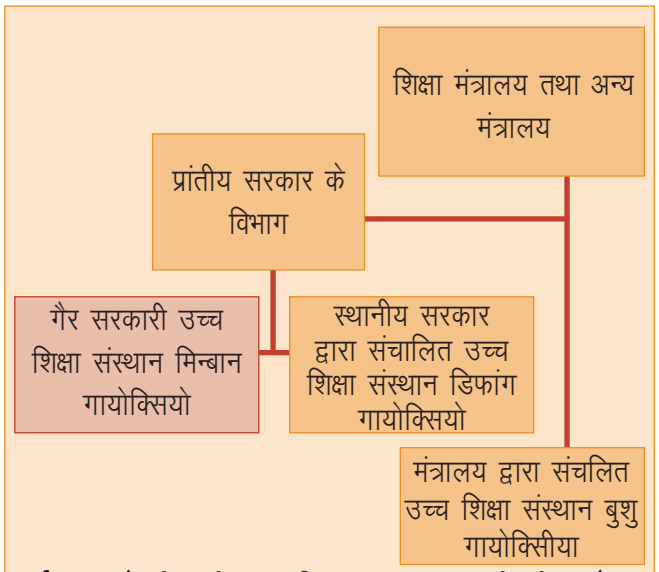

वर्ष 2014 में चीन की उच्च शिक्षा संचालन प्रणाली की रूपरेखा

16 उदाहरणतः कुछ संस्थान रक्षा तकनीक से सम्बद्ध हैं तथा उनका नियंत्रण संबंधित मंत्रालयों के पास है।

प्रजातांत्रिक गणराज्य चीन में उच्चतर शिक्षा प्रणाली की स्थापना वर्ष 1950 में सोवियत संघ में व्याप्त उस व्यवस्था के आधार पर की गई थी, जो उस काल में उच्चतर केन्द्रीकृत एवं योजनागत अर्थव्यवस्था की अवधारणा के रूप में प्रचलित थी। उस काल में न केवल समाज के प्रत्येक उत्पाद, निवेश, मूल्य तथा आय का निर्धारण सरकार द्वारा केन्द्रित रूप में किया जाता था अपितु उच्चतर शिक्षा के लिए नामांकन, विषय एवं पाठ्यक्रम सभी विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों की मांग के आधार पर योजनागत किए जाते थे तथा प्रत्येक स्नातक के लिए रोजगार सरकार की केन्द्रीय योजना के अनुरूप योजनागत किया गया था। इस प्रकार की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था से चीन की यद्यपि देश में कौशल एवं औद्योगिकीकरण[17] की क्षमता विस्तार की तात्कालिक मांग पूरी हो सकी परन्तु इसमें अनेकों खामियां भी थीं।

"सोवियत स्वरूप" की प्रबंध व्यवस्था की खामियां

अतीत की ओर यदि दृष्टि डालें तो हमें सोवियत व्यवस्था के स्वरूप की चीन की उच्चतर शिक्षा प्रबंध व्यवस्था में अनेक खामियां दिखाई देंगीः–

(क) **संसाधनों का अपक्षय तथा संस्थानों के संचलन में अक्षमताः** वर्ष 1950 से 1980 की अवधि के दौरान उच्चतर शिक्षा संस्थान मुख्यतः राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों को अथवा स्थानीय स्तर पर विभिन्न स्थानीय सरकारी विभागों को रिपोर्ट करने वाले विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों की सहायतार्थ विशेषज्ञ संस्थान के रूप में कार्यरत थे। इन मंत्रालयों अथवा विभागों की स्थापना विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों के आलम्बन के लिए की गई थी, जैसे कि मोटर वाहन उत्पादन उद्योग मंत्रालय द्वारा वाहन उत्पादन उद्योग का संचलन किया जाता था। यह मंत्रालय नामांकन, पाठ्यक्रम तथा संबंधित मोटर वाहन उत्पादन उद्योग के विशेषज्ञ उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए निर्धारित स्नातकों की संख्या का नियंत्रण करता था, जैसे कि अपने आप में अनूठे चांगचुन नगर में स्थापित जेआईएलआईएन यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नोलोजी पहला ऐसा संस्थान था, जो चीन के सबसे बड़े वाहन उत्पादन संयंत्र में स्थापित था। उच्चतर शिक्षा सेक्टर के विलगीकरण से अनेक विशेषज्ञ संस्थान स्थापित हुए, जिसके फलस्वरूप चीन की उच्चतर शिक्षा प्रणाली अक्षम हुईः–

- उच्चतर शिक्षा संस्थान के अत्याधिक कम विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात के साथ लघु स्तर के आत्म मूलक संस्थान थे। सांख्यिकी से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1992 में अधिकांश विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 2,000 तथा 3,000 के मध्य थी तथा इनमें से कुछ (13.1 प्रतिशत) में विद्यार्थियों की संख्या 1,000 से अधिक नहीं थी।
- राष्ट्रीय स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा यद्यपि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन किया जाता था परन्तु साथ ही स्थानीय सरकारी विभागों द्वारा भी स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ उच्चतर शिक्षा संस्थान चलाए जाते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक ही प्रकृति, व्यवस्था एवं विशेषज्ञता वाले अनेक संस्थान स्थापित हो जाते थे।
- पूर्व उप प्रीमियर ली लेंक्विंग द्वारा उच्चतर शिक्षा के इस विखंडन की तुलना कुछ इस प्रकार की कि मानो किसी केक को बार–बार काटते हुए टुकड़ों का अम्बार लगा दिया गया हो। इस समस्या की ओर ध्यान दिया गया तथा माओ के काल में राष्ट्रीय सरकार द्वारा इसे युक्तिसंगत बनाने के प्रति अनेक प्रयास किए गए, परन्तु समस्या की जड़ें उस समय की 11 ''योजनागत अर्थव्यवस्था'' में काफी गहरी पैठ जमा चुकी थी, अतः इसका वास्तविक अर्थों में सुधार नहीं हो सका।

(ख) **सूक्ष्म विशेषज्ञता प्रशिक्षणः** उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना चूंकि उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई थी तथा इनका संचलन विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किया जाता था[18], अतः ऐसा होने से पाठ्यक्रमों का निर्माण विशेषज्ञ व्यावसायिक कार्यों की आवश्यकता के अनुसार तो किया जाता था परन्तु विद्यार्थियों के समग्र विकास की ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। इसके परिणामस्वरूप स्नातक होने पर विद्यार्थियों में बाजार एवं समाज के प्रति अनुकूलता के गुण प्राप्त नहीं आ सके। इस सूक्ष्म विशेषज्ञता उच्चतर शिक्षा प्रणाली से वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास और पूर्णतः शिक्षित व्यावसायिकों का संवर्धन भी प्रभावित हुआ।

17 उस काल में चीन की कृषि अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी थी।

18 जैसे वाहन उत्पादन, कोयला खान, पैट्रोलियम, जहाजरानी, लौह एवं इस्पात, रेलवे, राजमार्ग, विमान निर्माण, कृषि, कृषि मशीनें, डाक, विद्युत, हाइड्रो इंजीनियरिंग, वस्त्र, लघु उद्योग, ब्राडकास्टिंग मंत्रालय इत्यादि।

(ग) स्वायत्तता एवं चेतना का अभावः शिक्षा प्रणाली से सम्बद्ध अधिकांश शक्तियां सरकारी स्तर पर, विशेषतः केन्द्र सरकार में केन्द्रित थीं, उच्चतर शिक्षा संस्थान सरकारी नीतियों एवं निदेशों के अनुसार कार्य करते थे, जिससे वे बुनियादी स्वायत्तता एवं ओजस्विता प्राप्त नहीं कर पाए। यह भी स्मरण रखना आवश्यक होगा कि ''महान श्रम संस्कृति क्रांति'' के काल के दौरान चीनी विश्वविद्यालयों में लगभग एक दशक तक स्थिरता रही थी। तत्पश्चात चीन ने वर्ष 1978 में बाहरी विश्व के लिए अपने द्वार खोलने का निर्णय लेकर सोवियत प्रकार की व्यवस्था को तो अपनाया ही परन्तु साथ ही विकास के द्वार बन्द कर दिए। उस काल में विलगाव की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था कि वे शैक्षणिक विनिमय अथवा विदेशी सहयोगियों के साथ सहकारिता करार कर सकें। तथापि, 06 दिसम्बर, 1979 को फुदान विश्वविद्यालय, तोंगजी विश्वविद्यालय, हुआडोंग नार्मल विश्वविद्यालय तथा शंघाई जिआयोटोंग विश्वविद्यालय के अध्यक्षों द्वारा चाईना डेली समाचार पत्र में प्रकाशित संयुक्त कथन के माध्यम से सरकार से यह अपील की कि वह विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करे, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था व्यवस्थित होकर सामाजिक हित एवं प्रयोजन से सम्बद्ध हो सके।

सुधारों का मूल्यांकन

उच्चतर शिक्षा सुधारों का प्रारम्भः 1985–1991

वर्ष 1978 में चीन में हुए सुधारों के प्रारम्भ से यह अभिप्राय है कि चीन सरकार द्वारा यह विचार किया गया कि चीन में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए समग्र आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाए जाने चाहिए। ऐसा वर्ष 1985 में हुआ, जब चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा चीन की अर्थव्यवस्था को उच्चतर केन्द्रित योजनागत अर्थव्यवस्था से बदलकर मिश्रित ''योजनागत'' तथा ''बाजार'' अर्थव्यवस्था में बदलने का निर्णय लिया गया। शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में निर्णय भी उसी वर्ष लिया गया, जिसमें यह अपेक्षा की गई थी कि केन्द्र सरकार की भूमिका प्रत्यक्ष प्रबंधन के स्थान पर अप्रत्यक्ष प्रबंधन के स्वरूप में हो अर्थात् यह मार्गदर्शक सिद्धांतों के निर्धारण तथा सामान्य योजनाओं, स्थानीय सरकारों को उच्चतर संस्थानों के संचलन का प्रोत्साहन देने एवं स्थापना करने के प्रति केन्द्रित होनी चाहिए जिससे केन्द्र, प्रान्त तथा प्रमुख नगरों (नगरपालिकाओं) के संचलन की त्रि–आयामी अभिशासन व्यवस्था की स्थापना हो सके और साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वायत्त शक्तियों से सम्पन्न हो सकें।

इस निर्णय से, चीन की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधारों का दौर प्रारम्भ हुआ। तथापि, महत्वपूर्ण उपाय 1990 के दशक के प्रारम्भ में तब लिया गया, जब चीन द्वारा वर्ष 1992 में ''बाजार अर्थव्यवस्था'' को अंगीकार किया गया था।

वृहत सुधारों एवं विकास का अंवेषण : 1992–1997

वर्ष 1993 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति तथा राज्य परिषद द्वारा *चीन के शिक्षा सुधार एवं विकास के लिए कार्यक्रम* जारी किए गए, जो 1990 के दशक में चीन के उच्चतर शिक्षा सुधारों के मार्गदर्शन के लिए सैद्धांतिक नीतिगत प्रलेख बने।

वर्ष 1992 में चीन ने ''चीन की समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थापना'' के सुधार के प्रति अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लिया था। इन बाजार सुधारों से उच्चतर शिक्षा सुधारों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित व्यावहारिक स्थितियां तैयार हुईं। बाजार सुधारों के दौरान राज्य परिषदों के मंत्रालयों का आकार काफी छोटा कर दिया गया था, कुछ मंत्रालयों (लगभग 20) को तो समाप्त ही कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने मूल सम्बद्ध मंत्रालय से विलग हो गए और उन्हें अपने आस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे अधिकांश संस्थानों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित कर दिए गए थे। उदाहरणतः तियांजिन टैक्स्टाईल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट का प्रशासन केन्द्रीय वस्त्र उद्योग मंत्रालय के पास था परन्तु यह मंत्रालय समाप्त होने के पश्चात, इसका विलय तियांजिन पॉलिटैक्निक यूनिवर्सिटी के साथ किया गया,जो अब तियांजिन नगरपालिका सरकार के न्यायाधिकार क्षेत्र में है। केन्द्र सरकार की पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप नई बाजार अर्थव्यवस्था प्रारम्भ होने से चीन की उच्चतर शिक्षा प्रणाली की भी संगत पुनर्संरचना हुई।

इस अवधि के दौरान, केवल कुछ पुराने मंत्रालयों से सम्बद्ध उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया और अधिकांश अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रत्यक्ष स्थानांतरण, विलय, सहयोग अथवा अन्य पद्धतियों से स्थानीय सरकारों को सौंप दिया गया।

इसी बीच विलय के परिणामस्वरूप नॉनचांग यूनिवर्सिटी, शंघाई यूनिवर्सिटी, यांगझोउ यूनिवर्सिटी, गुयागक्सी यूनिवर्सिटी, यांम्बियान यूनिवर्सिटी इत्यादि, जैसे नए विश्वविद्यालय बने। ऐसा होने से, नए मार्ग खुले और सुधार के अच्छे उदाहरण स्थापित हुए।

सुधार एवं विकास की सर्वव्यापि उन्नतिः 1998 से वर्तमान तक

राज्य परिषद के सामान्य कार्यालय द्वारा उच्चतर शिक्षा प्रशासन प्रणाली के संबंध में चार विचार गोष्ठियां आयोजित की गई[19]। इन परामर्शदात्री बैठकों से अनुभवों का संक्षेप एवं आदान–प्रदान, विभिन्न स्थलों के मध्य सांमजस्य की स्थापना, कुछ पथ–प्रदर्शक मामलों से समग्र उच्चतर शिक्षा सेक्टर में सुधारों में तेजी तथा वृहद स्तर पर उच्चतर शिक्षा प्रशासनिक प्रणाली के पुनर्निमाण की नींव का निर्माण संभव हुआ।

जनवरी 1998 में आयोजित चौथी उच्चतर शिक्षा प्रशासनिक प्रणाली की विचार गोष्ठी के अवसर पर उप प्रीमियर ली लेंक्विंग द्वारा एक महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने ''अष्ट अक्षरों के सिद्धांत'' प्रस्तुत किए (चार सूत्रीय नीति)[20]:–

- गांग जियान (निर्माण सहभागी) कुछ उच्चतर शिक्षा संस्थान, यद्यपि अपने पिछले मंत्रालयों से हटाकर स्थानीय सरकारों अथवा शिक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिए गए थे, तो भी पूर्व संबद्ध मंत्रालय अथवा उनके संबंध निकायों (समाप्त अथवा विलय किए गए मंत्रालय) द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के नए सम्बद्ध सरकारी निकायों के साथ उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निधियां प्रदान की जा रही थी। उदाहरण के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एण्ड टेलीक्म्यूनिकेशन शिक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित की गई थी परन्तु सूचना उद्योग मंत्रालय (पूर्व विद्युत मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय का पूर्व काल में संचलन करने वाले डाक मंत्रालय का संयुक्त मंत्रालय) द्वारा अभी भी विश्वविद्यालय को कुछ निधियां प्रदान की जा रही हैं।
- *तियो झेंग (विलय/समेकित):* उच्चतर शिक्षा संस्थान की प्रशासनिक शक्तियां स्थानीय सरकार अथवा अन्य मंत्रालयों को बिना किन्हीं अतिरिक्त शर्तों के साथ समायोजित की गई थीं (अर्थात स्थानांतरित) की गई थीं। उदाहरण के तौर पर ईस्ट चाईना टैक्स्टाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, नार्थ वेस्ट चाईना टैक्टाइल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट से संबद्ध प्रशासनिक शक्तियां (पूर्व में वस्त्र उद्योग मंत्रालय के पास) क्रमशः शिक्षा मंत्रालय, शांक्सी की प्रांतीय सरकार तथा तियांजिन की नगरपालिका सरकार को स्थानांतरित की गई।
- *हे जुयो (सहकारिता):* एक ही स्थान पर स्थित कुछ विश्वविद्यालयों को अपनी शक्तियों एवं संसाधनों के आपसी आदान–प्रदान, अध्यापन एवं अनुसंधान में अंतर–अनुशासन सहयोग के पोषण, विवृत प्रकृति से संस्थान को चलाने के यथासंभव प्रयास तथा समरूपी विश्वविद्यालयों अथवा निकायों का परिवर्जन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उदाहरण के तौर पर नॉनकई यूनिवर्सिटी एवं तियांजिन यूनिवर्सिटी का आपसी विलय नहीं हुआ था परन्तु वे सरकार द्वारा वितपोषित संयुक्त डिग्री कार्यक्रम एवं संयुक्त अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए आपसी सहयोग करते थे।
- *हि–बिंग (विलय/समेकित):* स्थानीय स्थितियों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अति–विशेषज्ञता की समस्या के निपटान तथा अध्यापन गुणवता एवं प्रशासनिक कार्यकुशलता, विलयित विश्वविद्यालयों को बहु–अनुशासनिक संरचना एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए, उनके संसाधनों के आपसी सामंजस्य तथा विलयों के स्वरूप उत्पन्न एक विस्तृत स्तर तक कार्यकुशलता के लाभों की सुपुर्दगी जैसे उद्देश्यों से कुछ विश्वविद्यालयों का विलय किया गया था। उदाहरण के तौर पर बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन का विलय पेकिंग यूनिवर्सिटी के साथ, हांगझोउ यूनिवर्सिटी तथा झेजियांग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का विलय झेजियांग यूनिवर्सिटी में किया गया था।

चार सूत्रीय, यह नीति आगामी सुधारों के लिए मार्गदर्शिका बनी। तभी से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधारों की दृष्टि से अत्याधिक तीव्रता आई है।

इन चार उपायों में किसी भी दृष्टि से आपसी संबंध नहीं है। ऐसा होते हुए भी गोंग जियान तथा हे बिंग यथार्थ रूप में उच्चतर शिक्षा संरचना में परिवर्तन में सहभागिता के लिए पथ प्रदर्शक व्यवस्था स्थापित हुई।

इस अवधि के दौरान 1,200 से अधिक संस्थान मौलिक रूप में विकेन्द्रीकरण एवं समामेलन द्वारा परिवर्तित हुए।

19 1994 में शंघाई, 1995 में नॉनचांग, 1996 में बेदाहे तथा 1998 में यांगझो।

20 गोंग जॉन, तिआयो झेंग, हे जुयो, हे बिंग सामान्यतः आठ शब्दों में चीनी में लिखे जाते हैं (परन्तु जैसा कि देखा गया है यह चार सूत्रीय नीति के नाम से ज्ञात है)।

अत्याधिक परिश्रम के पश्चात, वर्ष 2,000 में ली लेंक्विंग द्वारा यह घोषणा की गई कि ''उच्चतर शिक्षा की प्रशासनिक संरचना का बुनियादी तौर पर इष्टतम उपयोग कर लिया गया है तथा यह सफलतापूर्वक हुआ है''। पुनर्संरचना के दौरान 452 संस्थान केन्द्र से स्थानीय नियंत्रण में आ गए। पुनर्संरचना के पश्चात केन्द्रीय नियंत्रण में आने वाले संस्थानों की संख्या लगभग 400 से घटकर 113 हो गई। इनमें से लगभग 70 विश्वविद्यालय सर्वोत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे, जबकि 40 से भी कम उच्चतर शिक्षा संस्थान किन्हीं विशिष्ट कारणों से तदनुरूपी मंत्रालयों के अधीन आ गए।

चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्वायत्तता सुधार

वर्ष 1949 से चीन की उच्चतर केन्द्रीकृत योजनागत अर्थव्यवस्था के कारण सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान, केन्द्र सरकार के प्राधिकार के दायरे में थे। 1990 के दशक तक सरकार द्वारा तथापि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्राधिकार प्रदान करने के लिए नीतियां तैयार की गई एवं उपाय किए गए परन्तु ऐसी सभी नीतियां सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों एवं संस्थानों की स्वायत्तता के समर्थन की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण असफल हुई।

वर्ष 1978 के पश्चात, चीन में बाजार अर्थव्यवस्था की क्रमिक स्थापना से संस्थानों की स्वायत्तता में संवर्धन की आवश्यकता अनुभव की गई–विशेषतः तब जब दिसम्बर,1979 में फुडान, तोंगजी तथा अन्य विश्वविद्यलयों द्वारा पहल करते हुए वृहद उच्चतर शिक्षा स्वायत्तता की आवश्यकता का मुद्दा उठाया गया था। तथापि, जून, 1983 मे शिक्षा मंत्रालय द्वारा नीतिगत प्रलेख जारी करते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्राणाधार एवं उत्साह अनुकूलन में सशक्तिकरण के लिए आंतरिक संस्थागत प्रशासनिक संवर्धन की अनुमति प्रदान की गई और फिर वर्ष 1988 में सरकार द्वारा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने एवं अध्यापन, पठन एवं अनुसंधान के लिए निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सहायतार्थ ''बकाया शेष रखने की अनुमति सहित उच्चतर शिक्षा संस्थानों को नियत बजट प्रदान करने'' की नीति का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया गया।

तत्पश्चात वर्ष 1998 में ''उच्चतर शिक्षा कानून'' लागू हुआ, जिसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों की निम्नलिखित सात क्षेत्रों से संबद्ध विशिष्ट आवश्यकताओं का समावेश,उनकी स्वायत्तता के सशक्तिकरण के लिए किया गया था : नामांकन, पाठ्यक्रम प्रावधान (अनुशासन), अध्यापन, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता, मानव संसाधन प्रबंधन, तथा परिसम्पतियों का उपयोग। कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार, सात स्वायत्त अधिकार दिए जाने के साथ ही साथ चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की इन क्षेत्रों के प्रति उत्तरदेयता (अर्थात लेखादेयता) भी थी। यह उल्लेखनीय है कि अभी तक ये अधिकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्राप्त नहीं हो पाए हैं।

चीन की उच्चतर शिक्षा का स्थानीकरण एवं विविधीकरण

चीन की उच्चतर शिक्षा के संरचना सुधारों के दो लोकप्रिय आकर्षण

यह उपयुक्त होगा कि इस क्रमिक विकास की जानकारी प्राप्त करने से पूर्व चीन की उच्चतर शिक्षा संरचना सुधारों के दो लोकप्रिय आकर्षणों पर एक नजर डाल ली जाए। उच्चतर शिक्षा संरचना सुधारों का पहला आकर्षण स्थानीकरण था, अभिशासन व्यवस्था के अनुसार अभिशासन व्यवस्था के प्राधिकार केन्द्र से स्थानीय सरकार को स्थानांतरित करना ही स्थानीकरण है। इस सुधार से स्थानीय उच्चतर शिक्षा संस्थान चीन के उच्चतर शिक्षा सेक्टर में समानुपात स्थापित करने में सक्षम हुए, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने चीन के उच्चतर शिक्षा सेक्टर में लोकतांत्रिकता, लोकप्रियता, प्रादेशिकता तथा विविधीकरण का अनूठा योगदान दिया–उदाहरण के तौर पर 1978 से 2012 के दौरान चीन के उच्चतर शिक्षा संस्थानों का समग्र स्तर 598 से बढ़कर 2,442 हो गया तथा स्थानीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की संख्या 343 से बढ़कर 2,329 (इसमें 706 गैर–सरकारी ''मिन्बान'' भी शामिल हैं, जो स्थानीय सरकारी प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं) हुई अर्थात 1978 के 57.34 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012 में 95.37 प्रतिशत हो गई। स्थानीकरण अथवा विकेन्द्रीकरण का मार्ग अत्यंत ही स्पष्ट है, जिसका संदर्शन उच्चतर शिक्षा के प्राधिकारों का अंतरण केन्द्र से स्थानीय स्तर पर और फिर स्वयं उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अंतरण के माध्यम से किया जा सकता है।

चीन के उच्चतर शिक्षा संरचना सुधारों का दूसरी महत्वपूर्ण आकर्षण विविधता है। एक बार फिर यदि शासकीय दृष्टि से देखें तो विविधता का अर्थ है एकल निकाय (केन्द्र सरकार) से बहुसंख्य निकायों

(स्थानीय सरकार के भिन्न स्तर, सामाजिक संगठन (गैर–सरकारी) तथा स्वयं उच्चतर शिक्षा संस्थान) शासकीय प्राधिकारों का अंतरण, जिससे अभिशासन व्यवस्था के फ्रेमवर्क में भागीदारी के द्वारा खुलते हैं।

स्थानीकरण तथा विविधीकरण के साथ गैर–सरकारी संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों का विकास भी, इन सुधारों की एक प्रमुख उपलब्धि है। राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2012 में चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 5.33 मिलियन विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 20 प्रतिशत से अधिक 707 गैर–सरकारी संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे थे तथा उस वर्ष (2012) 1.2 मिलियन विद्यार्थी गैर–सरकारी संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों से स्नातक हुए थे, जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्नातकों का 17 प्रतिशत है। इससे यह सिद्ध होता है कि गैर–सरकारी संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थान चीन के उच्चतर शिक्षा सेक्टर में पहले से ही एक अत्यंत भूमिका निभा रहे हैं।

'उच्चतर शिक्षा ''प्राधिकारों'' के अंतरण का अवलोकन

चीन की उच्चतर शिक्षा प्रशासनिक प्रणाली में विभिन्न निकाय, विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह कर रहे हैं, इनमें से मुख्य निकाय हैं (1) सरकार–केन्द्र तथा स्थानीय सरकार दोनों, जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए 'प्रशासक' की भूमिका का निर्वाह करते हैं तथा सरकार द्वारा संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 'स्वामी' (2) उच्चतर शिक्षा संस्थान, सरकार तथा गैर–सरकारी द्वारा संचलित दोनों, जिनका प्रमुख कार्यकलाप शैक्षणिक गतिविधियों के लिए 'अधिशासी प्राधिकरण' के स्वरूप का है (3) सामाजिक संगठन अथवा विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों में लिप्त गैर–सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी निकाय,जिनके कार्यों में प्रमुख कार्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के निष्पादन के 'मूल्यांकनकर्ता', उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा सरकार के आचरण के 'प्रेक्षक' तथा गैर–सरकारी संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 'स्वामी' का है। तदनुसार सुधारों के साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा प्राधिकारी का स्थानांतरण निकायों तथा उनके कार्यकलापों अथवा भूमिकाओं के रूप में किया जाता है,जिससे उच्चतर केन्द्रीकृत व्यवस्था परिवर्तित होकर उच्चतर विकेन्द्रीकृत व्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार, स्थानीय सरकार तथा स्वयं उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं समाज के मध्य प्रशासनिक कार्यकलापों का आदान–प्रदान होता है और सभी भागीदार होते हैं।

प्रशासन प्राधिकार का अंतरण (सरकारी प्राधिकार)

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन के प्राधिकार में मुख्यतः नीचे उल्लिखित शक्तियां एवं अधिकार शामिल हैं :–

(क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन (संस्थानों के प्रमुख को नियुक्त करने अथवा हटाने) करने।

(ख) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन के लिए परीक्षण एवं अनुमोदन प्रदान करना।

(ग) अकादमिक डिग्री प्रदान करने का अधिकार का प्रत्यायोजन करना।

(घ) चीनी–विदेशी सहकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन के लिए अनुमोदन प्रदान करना।

(ड़) उच्चतर शिक्षा हेतु विनियमों एवं नीतियों का निर्माण।

(च) विद्यार्थी निकाय के आकार तथा उच्चतर शिक्षा संरचना एवं विभिन्न प्रकार के उच्चतर शिक्षा संस्थानों सहित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विकास योजना का विकास।

(छ) उच्चतर शिक्षा संस्थानों के निष्पादन का मूल्यांकन।

इस सुधार से पूर्व, ये अधिकार मुख्यतः केन्द्र सरकार के हाथ में थे, जिनमें से अधिकार (क) उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन स्थानीय सरकारों के साथ भागीदारी में था परन्तु ये परीक्षा एवं केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्ति की शर्त के साथ थे। अब (घ) तथा (च) के अतिरिक्त,ये अधिकार स्थानीय सरकारों के साथ भागीदारी में हैं और वस्तुतः सरकारी प्राधिकरण मुख्य स्थानीय सरकारें ही हैं, जो 95 प्रतिशत से अधिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करती हैं। चीनी–विदेशी सहकारी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमोदन अभी भी केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है परन्तु ऐसी आशा है कि निकट भविष्य में नए खुलने वाले तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में चीन के विकेन्द्रीकरण के साथ ही साथ कुछ सीमा तक, इसका भी स्थानीकरण होगा।

यहां यह उल्लेख करना भी उपयुक्त होगा कि वर्ष 1980 से गैर–सरकारी सामाजिक संगठनों को (क) केन्द्र अथवा राज्य सरकार अनुमोदन प्राप्ति पर उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करने एवं संचलित करने का अधिकार प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर 1987 में स्थापित जियान इंस्टीट्यूट ऑफ लेंगुएज ट्रांसलेशन एक प्रारम्भिक

निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान है। इसका अभिप्राय यह है कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं संचलन के अधिकार गैर–सरकारी निकायों को भी प्रदान किए गए हैं तथा ये केवल केन्द्र 'सरकारी प्राधिकरण' के दायरे में नहीं हैं तथा ये विधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों के निष्पादन के मूल्यांकन के अधिकार का अंतरण अब केन्द्र तथा स्थानीय सरकारों से गैर–सरकारी संगठनों को भी किया गया है। गैर–सरकारी संगठनों को भी स्वतंत्र तौर पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान के निष्पादन के मूल्यांकन का अधिकार प्राप्त है। इससे यह संकेत मिलता है कि उच्चतर शिक्षा संस्थान के निष्पादन के मूल्यांकन का अधिकार मात्र सरकारी निकायों को ही प्राप्त नहीं है अपितु समाज के अन्य निकायों की भी इसमें भागीदारी है।

शैक्षणिक गतिविधियों (संस्थागत प्राधिकार) के अधिशासी प्राधिकार (परिचालन) का अंतरण

अधिशासी प्राधिकार के दायरे में निम्नलिखित प्राधिकार आते हैं:–

क. विद्यार्थियों का पंजीयन।

ख. संकाय एवं स्टाफ की भर्ती एवं प्रोन्नति।

ग. अध्यापन संचलन।

घ. अनुसंधान संचलन।

ड़. राष्ट्रीय एवं विदेशी सहभागियों के साथ विनिमय एवं सहकारिता का संचलन।

च. उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए आंतरित अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना एवं संचलन।

वर्ष 1998 के उच्चतर शिक्षा कानून के अनुसार, ये अधिकार संस्थागत प्राधिकार (अर्थात समग्र संस्थान के लिए अधिशासी प्राधिकार) करने के रूप में जाने जाते थे तथा इनमें से कुछ सरकारी प्राधिकार होते थे। उदाहरण के तौर पर 1980 के दशक के अंत तक संकाय की भर्ती एवं प्रोन्नति का कोटा अग्रिम रूप से प्राप्त करना होता था, जिसके संबंध में अंतिम अनुमोदन सरकार द्वारा ही दिया जाता था तथा सरकार ही उच्चतर शिक्षा संस्थानों के वेतन का नियंत्रण भी करती थी। उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने स्तर पर अपने अध्यापन कार्यक्रमों का निर्धारण अथवा अनुसंधान करारों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे तथा इसके लिए उन्हें परीक्षा तथा सरकार से अनुमोदन प्राप्ति के चरण से गुजरना ही होता था, भले ही अध्यापन सामग्री केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर किए गए निष्पादन के अनुरूप ही क्यों न हो।

वर्ष 1985 से, नीचे उल्लिखित कुछ ऐसे अधिकार धीरे–धीरे उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अंतरित कर दिए गए:–

- संकाय एवं अन्य स्टाफ की भर्ती एवं प्रोन्नति का अधिकार।
- अकादमिक पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं अनुसंधान करारों के अनुमोदन का अधिकार।
- आंतरिक अकादमिक एवं प्रशासनिक विभागों की स्थापना तथा उनके प्रमुखों इत्यादि को नियुक्त करने का अधिकार।

विद्यार्थियों के पंजीयन का अधिकार अब भागीदारी में है–केन्द्र सरकार द्वारा पंजीयन के लिए विद्यार्थियों की कुल संख्या उच्चतर शिक्षा संस्थानों के कोटे का निर्धारण किया जाता है। प्रान्त अथवा प्रान्तीय सरकारें परीक्षाएं आयोजित करती हैं तथा पंजीयन के लिए निम्नतम स्तरीय अंक निर्धारित किए जाते हैं तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान पंजीयन के लिए अपनी योजनाएं एवं विभिन्न क्षेत्रों के लिए सीमा रेखाओं का निर्धारण किया जाता हैं।

आर्थिक प्रबंधन के लिए प्राधिकार का अंतरण

आर्थिक प्रबंधन के प्राधिकार में नीचे उल्लिखित अधिकार शामिल हैं:–

क. उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं इसकी गतिविधियों में निवेश।

ख. निधियों एवं दान की प्राप्ति।

ग. उच्चतर शिक्षा संस्थान के वेतन स्तर का नियंत्रण।

घ. उच्चतर शिक्षा संस्थान के लिए बजट का निर्धारण।

ड. ट्यूशन फीस के स्तर का निर्धारण।

च. आईपीआर सहित सम्पति का प्रयोग एवं प्रबंधन।

सुधारों से पूर्व, सरकार द्वारा सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का संचलन किया जाता था तथा 'स्वामी' एवं उच्चतर शिक्षा से सम्बद्ध प्रत्येक कार्य के उत्तरदायित्व साथ ही साथ राजस्व का कड़ा नियंत्रण

किया जाता था। सुधारों के 30 वर्ष के पश्चात नीचे दी गई प्रस्तुति के अनुसार स्थिति में काफी परिवर्तन हुआ है:–

1. न केवल सरकार को अपितु अन्य निकायों को भी उच्चतर शिक्षा में निवेश का अधिकार प्राप्त है।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को निधियों एवं दान की प्राप्ति का अधिकार प्रदान किया गया है।
3. सरकार द्वारा अब वेतन स्तर का नियंत्रण नहीं किया जाता है तथा उच्चतर शिक्षा संस्थान 'स्वामियों' द्वारा निर्धारित मार्गनिदेशों का अनुसरण किया जाता है।
4. बजट का निर्धारण उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपने निवेशकों के अनुमोदन से किया जा सकता है परन्तु सरकार द्वारा संचलित उच्चतर शिक्षा संस्थानों में निवेश की मूलभूत व्यवस्था का नियंत्रण अभी भी सरकार द्वारा ही किया जाता है।
5. ट्यूशन फीस के स्तर के निर्धारित के अधिकार केन्द्र से स्थानीय सरकार को अंतरित किए गए हैं तथा इसमें यह छूट दी गई है कि एक निर्धारित फ्रेमवर्क में उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने लिए फीस का निर्धारण कर सकते हैं।
6. उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अध्यापन, अनुसंधान एवं अन्य अकादमिक उद्देश्यों से अपनी सम्पति एवं सम्बद्ध आईपीआर (जिसका स्वामित्व पहले सरकार के पास था) के प्रयोग का अधिकार दिया गया है। तथापि, अन्यों को सम्पति के अधिकार अंतरित करने के संबंध में अनुमोदन का अधिकार अभी भी सरकार के पास है।

सरकारी सम्पति प्रबंधन में सुधारों के लिए सरकार द्वारा घोषित मार्गनिर्देशों के अनुसार सुधारों के अगला चरण 'स्वामी' तथा 'प्रचालक/प्रबंधक' की भूमिकाओं को विलगित करना होगा, ऐसा होने से उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सम्पति एवं परिसम्पतियों के प्रबंधन के संबंध में और अधिक प्राधिकार प्राप्त होने की आशा की गई है।

चीन के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तताएं एवं उत्तरदेयताएं

सुधारों के बावजूद भी अर्ध अथवा गैर–सरकारी लोक निकायों से सहयोग के रूप में प्राप्त विद्यमान प्रणाली अभी भी अपर्याप्त है तथा अनेक ऐसी प्रक्रियाएं हैं, जिनसे उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपेक्षित प्रबंधन, मूल्यांकन एवं नेतृत्व की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इसके साथ ही उच्चतर शिक्षा संस्थान 1998 के उच्चतर शिक्षा कानून, जिसके अनुसार सरकार द्वारा स्वयं अग्रेतर सुधार किए जाने हैं और उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी आंतरिक व्यवस्था की उत्तरदेयता के संबंध में यह प्रदर्शित करना है कि वे प्रभावी तौर पर एवं कार्यकुशलता से स्वयं प्रबंध कर सकते हैं, के अंतर्गत उन्हें प्राप्त उच्चतर स्वायत्तता से पूर्णत लाभान्वित नहीं हो सके हैं। तदनुसार, जब तक संस्थानिक एवं अभिशासन के दोनों स्तरों पर अधिक प्रभावी विकास एवं कार्यान्वयन नहीं हो पाता तब तक गैर–सरकारी लोक निकायों द्वारा उच्चतर शिक्षा के प्रशासनिक विकास में दिए गए योगदान तथा चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वयं सात सूत्रीय स्वायत्तता से लाभान्वित होने के बावजूद भी सरकार के पास चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में चौकसी एवं मूल्यांकन के वास्तविक अधिकार रहेंगें।

संस्थानिक केस स्टडी:
नानकाई विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एवं उत्तरदेयताओं का कार्यान्वयन एवं प्रभाव

नीचे प्रस्तुत सात क्षेत्रों से कार्यान्वयन एवं प्रभाव्यता के संदर्भ में नानकाई विश्वविद्यालय की संस्थागत स्वायत्तता एवं उत्तरदेयता की जानकारी प्राप्त होती है। नानकाई विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध उच्चतर शिक्षा संस्थान है तथा संस्थागत स्वायत्तता एवं उत्तरदेयता के मूल्यांकक के संदर्भ में, इसका प्रमुख साझेदार शिक्षा मंत्रालय ही है।

1. **निधियों की प्राप्ति एवं उसके उपयोग के संबंध में स्वायत्तता एवं उत्तरदेयता**

   स्वायत्तता: चीन के सुधारों के प्रारम्भ से एवं वर्ष 1978 में उनके लागू होने तक संस्थागत वित्तपोषण केवल केन्द्रीय आर्थिक निधि में से ही उपलब्ध करवाया जाता था। निधियों के प्रयोग तथा परिसम्पतियों के संचलन के संबंध में किसी प्रकार की स्वायत्तता नहीं थी। 1980 के दशक के मध्य में संस्थागत वित्तपोषण (केन्द्रीय आर्थिक निधि, अनुसंधान निधि, ट्यूशन फीस, सामाजिक दान एवं अन्य आय) की वृद्धितर विविधता के परिणामस्वरूप संस्थागत स्वायत्तता सशक्त हुई। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय को अपनी अपेक्षित योजनाओं के अनुसार निधियों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है परन्तु यह शिक्षा

मंत्रालय द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन की शर्त के साथ है। अपने बजट में संस्थान स्वयं सरकारी मार्गनिर्देशों के अधीन में स्टाफ के वेतन के संबंध में निर्णय ले सकते हैं तथा अपनी सांस्थानिक शक्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निधियां का नियतन कर सकते हैं।

उत्तरदेयता: संस्थानों को अनुमोदित वार्षिक बजट के अनुसार सरकारी आर्थिक निधि एवं ट्यूशन फीस का प्रयोग करना होता है तथा इसके लिए वे शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष तथा/अथवा स्वतंत्र लेखापरीक्षा फर्मों के माध्यम से विश्वविद्यालय का लेखापरीक्षा तथा संचलन किया जाता है) को जवाबदेह हैं। अनुसंधान निधियों का प्रयोग केवल अनुसंधान निधियों के निवेशक द्वारा निर्धारित अनुमोदित बजट के अनुसरण में किया जाना होता है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा निधियों का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया जाता है तो, बजट के अनुसार विनियोजन में कमी लाकर तथा/अथवा संबद्ध परियोजना को समाप्त करके दण्ड दिया जाता है तथा साथ ही संबद्ध व्यक्ति भी दण्डित किए जा सकते हैं।

2. **प्रवेश के संबंध में स्वायत्तता, उत्तरदेयता एवं उत्तरदायित्व**

स्वायत्तता: नानकाई विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों के प्रवेश के संबंध में प्रांतीय सरकारों द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा पर आधारित तथा विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं आयोजित प्रतिबंधित अतिरिक्त परीक्षाओं के संबंध में अनेक प्राधिकार प्राप्त हैं। यह स्वयं शिक्षा मंत्रालय द्वारा निश्चित कुल संख्या के दायरे में विभिन्न विशेषज्ञताओं/विषयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश अनुपात निर्धारित कर सकती है तथा विशेषज्ञताओं/विषयों की सूची के अनुसार डिग्री प्रदान करने के प्राधिकार भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हैं।

उत्तरदेयता: प्रवेश की कुल संख्या का नियंत्रण शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। प्रवेश के लिए पूर्ण प्रक्रिया की आंतरिक देख–रेख संबंधित अधिशासी कार्यालय से संबंधित स्टाफ, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिनियुक्त सुपरवाईजरी इंस्पेक्टर, विद्यार्थियों के प्रतिनिधि, संकाय एवं भूतपूर्व छात्रों से युक्त समिति द्वारा की जाती है तथा बाह्य रूप से इसकी देख–रेख परीक्षा निकाय, शिक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय सरकार (जहां से विद्यार्थियों का प्रवेश किया जाना है) तथा अंत में सीधे ही जनता द्वारा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रांत के लिए प्रवेश किए गए विद्यार्थियों के नामों की सूची उनके संबंधित परीक्षा अंकों एवं संबंधित विशेषज्ञता के साथ जारी की जाती है। अभिभावक एवं मीडिया द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया तथा प्रणाली की काफी रूचि लेकर मॉनीटर किया जाता है।

3. **अध्यापन के संबंध में स्वायत्तता, उत्तरदेयता एवं उत्तरदायित्व**

स्वायत्तता: 1980 के दशक से नानकाई द्वारा अध्यापन गतिविधियों, अध्यापन सामग्री के चयन, पाठ्यक्रम तैयार करने, विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों की काल अवधि के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के संबंध में 3–6 वर्ष की अवधि के अंदर क्रमशः स्वायत्तता प्राप्त की गई है तथा यह अपनी सेमेस्टर योजना इत्यादि स्वयं तैयार करती है। उदाहरण के तौर पर, वर्ष 1985 में विश्वविद्यालय द्वारा क्रेडिट आधारित प्रणाली प्रारम्भ करने के संबंध में स्वयं अपना निर्णय लिया गया। स्नातक पूर्व विद्यार्थी अपने विषयों में परिवर्तन कर सकते हैं अथवा विश्वविद्यालय के मानदण्डों को पूरा करते हुए दोहरी स्नातक डिग्री के लिए अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रणाली से विद्यार्थियों को अपने स्वयं के हित के अनुसार अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जिससे वे अपनी संभावित योग्यता एवं रचनात्मकता के अनुरूप योगदान देने में सक्षम हुए तथा इससे विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप में अपने वैयक्तिक अध्ययन, सामर्थ्य तथा अपनी जीवन निर्वाह स्थितियों के अनुरूप, अपने कैम्पस निर्धारण के अवसर प्राप्त हुए।

उत्तरदेयता: विश्वविद्यालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अध्यापन की गुणवता का सुनिश्चिय करे तथा इसके संबंध में प्रमाणन निकायों द्वारा आवधिक मूल्यांकन भी किया जाता है। वर्ष 2012 से शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं के अनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा अपनी अध्यापन गुणवता रिपोर्ट लोक दर्शन के लिए अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करवानी प्रारम्भ की है।

4. **वैज्ञानिक अनुसंधानों के संबंध में स्वायत्तता, उत्तरदेयता एवं उत्तरदायित्व**

स्वायत्तता: अनुसंधान निधियों के लिए विश्वविद्यालय का विनियोजन शिक्षा मंत्रालय से नहीं किया जाता है परन्तु इनका निकाय द्वारा प्रतिस्पर्धा के आधार पर भिन्न अनुसंधान निवेशकों द्वारा अपने अकादमिक हितों से व्यवहार में लाया जाता है। तथापि, विश्वविद्यालय द्वारा अपनी निधियों का कुछ अंश अपनी अकादमिक विकास आवश्यकताओं

के अनुरूप चयनित पाठ्यक्रमों तथा अच्छी अनुसंधान उपलब्धियों के लिए निकायों को पुरस्कृत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वर्ष 2010 से चूंकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालयों को अपनी अनुसंधान गतिविधियों के पोषण एवं युवा निकायों को अनुसंधानों में सहयोग के लिए विशेष निधियां निर्धारित की गई हैं। विश्वविद्यालय, शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित बजट के दायरे में इन निधियों को नियंत्रित करता है।

उत्तरदेयता: परियोजनाओं को पूरा करने की प्रक्रिया के दौरान विश्वविद्यालय का अनुसंधान करार के एक पक्ष होने के रूप में, यह उत्तरदायित्व है कि वह परियोजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों की सामयिक प्राप्ति तथा अनुसंधान की सम्पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करे एवं अध्यापकों तथा अनुसंधानकर्ताओं की सहायता प्रदान करे। यदि निधियों का गलत प्रयोग हो रहा है अथवा अनुसंधान की सम्पूर्णता के संबंध में किसी प्रकार का उल्लंघन हो रहा है तो, विश्वविद्यालय को तदनुसार दण्डित किया जाता है।

5. **मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में स्वायत्तता, उत्तरदेयता एवं उत्तरदायित्व**

स्वायत्तता: 1970 के दशक के अंत में विश्वविद्यालय की मानव संसाधन प्रणाली का प्रबंधन अर्थात सभी योजनाएं, भर्ती, प्रोन्नति, पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता था। आज विश्वविद्यालय के पास स्वयं अपने मानव संसाधन प्रबंधन का स्वायत्तव का (निर्धारित कोटे की प्राप्ति द्वारा) उत्तरदायित्व है।

वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए कोटे के दायरे में विश्वविद्यालय द्वारा स्वायत्तता से अपने अध्यापकों के व्यावसायिक पदों का निर्धारण किया जाता है, अपने आंतरिक अकादमिक एवं प्रशासनिक विभागों के लिए प्रमुखों का चयन किया जाता है, अध्यापकों एवं सहायक स्टाफ की नियुक्ति की जाती है तथा अध्यापकों के निष्पादन के आधार पर वेतन का निर्धारण किया जाता है।

उत्तरदेयता: स्टाफ रोजगार तथा अपने कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी देने के संबंध में विश्वविद्यालय के विधिक दायित्व हैं। विश्वविद्यालय के प्रमुख, विशेष स्टाफ यथा सुपरवाईजरी इंस्पेक्टर तथा वित्त प्रमुख की नियुक्ति का प्राधिकार स्वयं अपने पास रखते हुए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय की मानव संसाधन प्रबंधन की प्रणाली का पर्यवेक्षण किया जाता।

6. **डिग्री कार्यक्रम के प्राधिकार के संबंध में स्वायत्तता, उत्तरदेयता एवं उत्तरदायित्व**

स्वायत्ता: संबद्ध विषयों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा अकादमिक डिग्री प्रदान के प्राधिकार दिए जाने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय के पास पंजीयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम योजना के निर्माण, क्रेडिट अपेक्षाओं एवं अनुसंधान मानकों इत्यादि के निर्धारण सहित विभिन्न विषयों के लिए अपने स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डाक्टरल कार्यक्रम के निर्धारण एवं अनुमोदन के प्राधिकार हैं। वर्ष 2012 में चीन की अकादमिक डिग्री अध्ययन प्रणाली की अभिशासन व्यवस्था के सुधार कार्यक्रमों के प्रवर्तन अर्थात शिक्षा मंत्रालय से अर्हताप्राप्त बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष बाह्य मूल्यांकन के साथ दो नए (संख्या काफी सीमित है क्योंकि यह एक पायलट अर्थात पथप्रदर्शक अभ्यास था) डॉक्टरेट कार्यक्रमों के अनुमोदन के उद्देश्य से नानकाई विश्वविद्यालय पथप्रदर्शक विश्वविद्यालयों में से एक था तथा ऐसा होने पर स्वयंमेव ही इसे संबद्ध डिग्री प्रदान करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया।

उत्तरदेयता: अपने अकादमिक डिग्री कार्यक्रम की गुणवता के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी है तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित चीनी अकादमिक डिग्री कार्यक्रम मूल्यांकन केन्द्र, इसका आवधिक मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के परिणाम लोक मीडिया में प्रकाशित किए जाते हैं ताकि जनता को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। यदि कोई कार्यक्रम अकादमिक डिग्री की राज्य समिति के मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो विश्वविद्यालय को कुछ अवधि के लिए कार्यक्रम के लिए नए विद्यार्थियों का प्रवेश न देने का दण्ड दिया जाता है अथवा संबंधित विषयों के लिए अकादमिक डिग्री प्रदान का प्राधिकार वापिस ले लिया जाता है।

7. **अंतराष्ट्रीय विनिमय एवं सहकारिता गतिविधियों के लिए स्वायत्तता तथा उत्तरदेयता**

चीन के सुधारों के प्रारम्भ से एवं वर्ष 1978 में चीनी उच्चतर शिक्षा में इनके लागू होने से नानकाई तथा अन्य विश्वविद्यालयों को क्रमिक तौर पर विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा अन्य अकादमिक संस्थानों सहित निगमों

एवं गैर–सरकारी संगठनों के साथ संचार एवं सहकारिता के स्वायत्तता देने के साथ ही साथ विदेशी विद्यार्थियों को प्रवेश देने, विदेशी विशेषज्ञों को आमंत्रित करने तथा अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को विदेश इत्यादि भेजने का प्राधिकार भी दिया गया। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सहकारी डिग्री कार्यक्रमों के आयोजन के लिए शिक्षा मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्ति आवश्यक है।

उत्तरदेयता: किसी भी प्रकार के विनिमय तथा सहकारिताओं की गुणवता के आश्वासन तथा संबद्ध विधिक उत्तरदायित्वों के प्रति विश्वविद्यालय उत्तरदायी हैं।

उपर्युक्त के अध्ययन से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यद्यपि चीनी उच्चतर संस्थानों की स्वायत्ताओं, उत्तरदेयताओं तथा उत्तरदायित्वों में और अधिक विस्तार किया जाना है तथा इन्हें सुधारा जाना है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उचित अनुभव प्राप्त व्यक्तियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रबंधन में प्रतिभागिता की स्थापना के अवसर (क्योंकि अंततः वास्तविकता यह है कि चीनी सरकार अभी भी चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तताओं एवं उत्तरदेयताओं की प्रधान पर्यवेक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता है) अभी प्रदान किए जाने हैं। नानकाई विश्वविद्यालय के मामले से यह पता चलता है कि संस्थागत स्वायत्तता से निधियों के समर्थन, अध्यापन एवं अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के घटक संस्थागत विकास एवं प्रगति से काफी लाभान्वित हुए हैं। इससे पठन–पाठन के प्रति उत्साह एवं का प्रवाह उत्पन्न हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय समाज की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझने में सफल हुए हैं और उन्होंने चीन के उच्चतर शिक्षा सेक्टर में सुधार एवं उपलब्धियों के रूप में अपना योगदान प्रदान किया है।

उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था में लोक एवं मध्यवर्ती निकायों की प्रतिभागिता के रूप में गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका

चीन में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली के विकास के साथ ही साथ चीन में मध्यवर्ती निकायों के रूप में लोक सेवाएं प्रस्तुत करने वाले गैर–सरकारी तथा अर्ध–सरकारी संगठनों का उदय हुआ। तथापि, ऐसे सभी संगठनों के पास समग्र उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था में शक्तियां काफी सीमित थी एवं इनका प्रभाव अपेक्षाकृत काफी दायरे में था।

उच्चतर शिक्षा से संबद्ध गैर–सरकारी संगठनों के मुख्य प्रकार

उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में छह प्रकार के गैर–सरकारी संगठन आते हैं: प्राधिकृत संगठन (लोक प्रतिनिधि निकाय, अथवा अर्ध–सरकारी निकाय), स्वैच्छिक संगठन (लाभ के लिए नहीं), स्वायत्त संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन, निजी प्रशिक्षण संस्थान तथा दूरस्थ शिक्षा सेवा संगठनः–

- **प्राधिकृत संगठनः** केन्द्र अथवा स्थानीय सरकार से कार्यकलापों का प्राधिकार प्राप्त अर्ध–सरकारी लोक प्रतिनिधि निकाय हैं, जैसे राष्ट्रीय परीक्षा केन्द्र, प्रान्त अथवा नगरों के शिक्षा प्रवेश एवं परीक्षा संस्थान, चीनी अकादमिक डिग्री एण्ड ग्रेजूएट एज्यूकेशन इवेल्युएशन सेन्टर इत्यादि। ये सभी लोक निकाय वैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं परन्तु सरकार द्वारा उनके कार्यकलापों को प्राधिकृत किया जाता है तथा इसके लिए अधिकारियों का सिविल सेवा रैंक, चाहे वे सरकारी सेवानिवृत्त तथा गैर–सरकारी संगठनों से स्वतंत्र भुगतान प्राप्त करने वाले हो, बनाया जाता है।

- **स्वैच्छिक संगठनः** वे संगठन होते हैं, जिनका स्तर परोपकार के उद्देश्य से होता है तथा जिन्हें फाउंडेशन्स भी कहा जाता है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वयं स्थापित शैक्षणिक फाउंडेशन्स के अतिरिक्त शओ यीफु फाउंडेशन, लि जियाजेन्ग फाउंडेशन, जेन्ग जियाएन्जी एज्यूकेशन फाउंडेशन, तियान जियाबिंग फाउंडेशन, हो यिंगडांग एज्यूकेशन फाउंडेशन, वांग कुयानचेंग एज्यूकेशन फाउंडेशन, बाओगेंग एज्यूकेशन फाउंडेशन इत्यादि,जैसी प्रसिद्ध फाउंडेशन्स, ऐसी फाउंडेशन्स हैं, जिनकी स्थापना हांगकांग के ख्याति–प्राप्त व्यक्तियों तथा देश से बाहर रहने वाले चीनियों तथा बड़े निगमों द्वारा की गई थी तथा ये राष्ट्रीय शिक्षा वित्तपोषण के लिए इन फाउंडेशनों के दान एक महत्वपूर्ण घटक हैं। उदाहरण के तौर पर चीन में स्थापित सैंकड़ों उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शयो विफु पुस्तकालय है, जिससे मिलियन विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होता है।

- **विदेशी गैर–सरकारी संगठनः** फोर्ड फाउंडेशन तथ फुलब्राईट फाउंडेशन,जैसे संगठन चीन की उच्चतर शिक्षा में उत्कृष्ट अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को पुरस्कृत करके तथा उनके अनुसंधान एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता को प्रोन्नत करते हुए सक्रिय योगदान दे रहे हैं।

- **निजी शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम** का विकास 1990 के पश्चात से तेजी से हुआ है तथा न्यू ओरिएन्टल, एम्बो, टुमारो एडवांसिंग लाईफ, जुएदा एज्यूकेशन, जैसी लाभ के उद्देश्य से कार्य करने वाली कंपनियां हैं। आज मात्र विदेशी भाषा प्रशिक्षण के लिए ही चीन में 55,000 से अधिक निजी संस्थान हैं और ऐसे भी संस्थान हैं,जो अध्यापन निदेश, परीक्षा तथा अध्यापन/चर्चा स्थल इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करते हुए विश्वविद्यालयों के लिए दूरस्थ शिक्षा सेवाएं दे रहे हैं। चीन का अति–लोकप्रिय दुरस्थ शिक्षा सेवा संगठन 2002 में स्थापित सेन्टर ऑफ एपोंग डिस्टेंस एज्यूकेशन है, जिसके 1,000 से भी अधिक अध्यापन केन्द्र हैं तथा 30 प्रमुख विश्वविद्यालयों के लिए वयस्क डिप्लोमा एज्यूकेशन कमीशन हैं।

- **स्वायत्त संगठन** की संख्या कम है, परन्तु इनमें से कुछ समाज तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गहरी पैठ जमा चुके संगठन हैं। उदाहरण के तौर पर गुआनहोंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा चीन के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग की एक सूची प्रकाशित की जाती है तथा चीनी परिवारों पर अपने बच्चों के लिए किसी संस्थान का चयन करते समय, इसका गहरा प्रभाव होता तथा इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के निष्पादन के लिए संगठित मूल्यांकनों पर पड़ता है। इस प्रकार के संगठन, जैसे कि नेटबिग, उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अन्य प्रकार की रैंकिंग करते हैं तथा इसके फलस्वरूप उसका प्रभाव भी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के भागीदारों पर पड़ता है।

सरकार तथा समाज की द्विविधता

तथापि, हाल ही के वर्षों में समाज के अनेक संगठनों का विकास काफी तेजी से हुआ है परन्तु उनमें से अधिकांश उच्चतर शिक्षा अभिशासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। लोक निकायों की संचलन भूमिका मुख्यतः उनके द्वारा निभाई जा रही है, जिनके पास सरकार तथा समाज, अर्ध–सरकारी तथा अर्ध–समाज द्वारा संचलित संगठनों में दोहरे कार्यकलाप हैं।

चीन में अत्यंत प्रभाव वाले अर्ध–सरकारी संगठन प्रांतों तथा नगरों में कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षा केन्द्र एवं शिक्षा प्रवेश एवं परीक्षा संस्थान हैं, जिनकी स्थापना सरकार द्वारा की गई थी तथा जो अर्ध–सरकारी संस्थानों के रूप में कार्यरत हैं। उनके द्वारा चीन की कॉलेज प्रवेश परीक्षा प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है तथा वे संस्थागत अभ्यास एवं लोक प्रशासन के मध्य स्थापित एक महत्वपूर्ण सेतू की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे संस्थानों की यर्थाथता यह है कि ये विधि परीक्षित संस्थान हैं तथा सभी शैक्षणिक प्रशासन निकायों की ओर से उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए विधिक सुपरवाइजिंग संस्थान होने के कारण विकास के लिए मार्गदर्शन देने के साथ ही साथ वे बुनियादी शिक्षा के मानदंडों का संरक्षण भी करते हैं। उनकी भूमिका लोक प्रशासन प्राधिकरण के रूप में है, जो उच्चतर परीक्षा प्रवेश, परीक्षाओं का पर्यवेक्षण (सुपरवीजन) करते हैं तथा उनका पर्यवेक्षण (सुपरवीजन) सरकार द्वारा किया जाता है।

अन्य प्रभावकारी अर्ध–सरकारी संस्थान (प्राधिकृत संगठन), चीनी अकादमिक डिग्री तथा स्नातक शिक्षा मूल्यांकन केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना भी सरकार द्वारा की गई थी तथा वे अर्ध–सरकारी संस्थान की भूमिका निभाते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये केन्द्र अनुशासनिक विकास पर आधारित उच्चतर शिक्षा केन्द्रों के अकादमिक निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकृत किए गए हैं तथा इनके मूल्यांकन परिणाम लोक मीडिया में प्रकाशित किए जाते हैं, जिससे संस्थागत साख पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है तथा इसके हाल ही में 2012 के मूल्यांकन परिणामों का प्रयोग केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में केन्द्र सरकार द्वारा संचलित उच्चतर शिक्षा सस्थानों के विनियोजन के समायोजन के उद्देश्य से किया गया था। इसी प्रकार चीनी उच्चतर शिक्षा अध्यापन मूल्यांकन केन्द्र उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रायोजित प्रत्येक स्नातकपूर्व कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जाता है: वर्ष 2008 तक 592 विश्वविद्यालयों के स्नातकपूर्व कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया था तथा मूल्यांकन के संबंध में इसका अगला चरण इस वर्ष (2014) प्रारम्भ होगा। इन मूल्यांकनों से प्राप्त होने वाले परिणामों का प्रयोग शिक्षा मंत्रालय तथा स्थानीय सरकारों द्वारा अपने कोटे के समायोजन के लिए किया जाता है। सार संक्षेप यह है कि इस केन्द्र के मूल्यांकनों से विश्वविद्यालयों को अपने लक्ष्य तथा मानक स्थापित करने में सहायता मिलती है,जिसके परिणामस्वरूप वे अपनी अध्यापन सुविधाओं में सुधार लाते हैं और अधिक कार्यकुशल अध्यापन प्रणाली तथा अधिक प्रभावी सुपरवीजन प्रणाली की स्थापना कर पाते हैं। यद्यपि इस स्थिति में यह कहना भी उचित होगा कि अधिकांश अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा इन मूल्यांकनों के पठन–पाठन पर होने वाले प्रभाव के संबंध में पूर्ण सराहना नहीं की जाती हैं।

अंडर ग्रेजुएट, ऐसे अधिकांश संगठन लोक निधियों के प्रतियोगी होते हैं तथा अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए धन अर्जित करते हैं तथा चलन के अनुसार उन्हें उत्तरोतर स्वायत्त होना होता है। अधिकांश का नेतृत्व ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनके पास शिक्षा प्रशासन का अनुभव होता है तथा ऐसे जो सरकारी सेवक हैं अथवा रहे होते हैं (अर्थात सरकारी रैन्क अथवा वेतन के साथ)।

तथापि इन गैर–सरकारी संगठनों का प्रभाव उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विभिन्न निष्पादनों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप काफी मजबूत होता जा रहा है। द चाईना मैनेजमेंट साईंस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा चीन के विश्वविद्यालयों की वर्ष 1987 में सर्वप्रथम रैंकिंग प्रकाशित की गई थी। वर्तमान में 30 ऐसी रैंकिंग उपलब्ध है, जो 14 गैर–सरकारी निकायों द्वारा प्रकाशित की जा रही हैं। इनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली रैंकिंग में से जनधारणा के अनुसार सबसे प्रभावशाली रैंकिंग श्री डब्ल्यू यू शुलियन तथा उनके अनुसंधान दल द्वारा गुआनडोंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के संबंध में वर्ष 1993 से दी जा रही तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में नेटबिग के सहयोग से चाईना यूथ डेली में वर्ष 2000 से प्रकाशित की जा रही रैंकिंग है। सरकार द्वारा प्राधिकृत मूल्यांकनों की तुलना में इन गैर–सरकारी निकायों द्वारा प्रकाशित मूल्यांकनों का प्रभाव सरकार द्वारा संसाधन निर्धारण पर मूलभूत रूप से कम होता है परन्तु जन विचारधारा इससे प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी मूल्यांकनों पर होता है तथा विश्वविद्यालयों की सामर्थ्यता पर भी इसका प्रत्यक्ष प्रभाव निधियों के निर्माण के लिए होता है।

उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था में चीनी लोक निकायों की प्रतिभागिता का विकासशील चलन

चीन की सरकार द्वारा 'संसाधन निर्धारण के संबंध में बाजार को अपनी निश्चयात्मक भूमिका का निर्वाह करने देने' तथा परीक्षाओं तथा अनुमोदनों के संबंध में सरकारी प्राधिकार को बड़े पैमाने पर हटाने अथवा उन्हें निचली स्तर की सरकारों अथवा अन्य गैर–सरकारी संगठनों को अंतरित करने के संबंध में हाल ही में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ताकि इसके परिणामस्वरूप इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकारी कार्यकलापों में परिवर्तन लाया जा सके। इन त्रिपक्षीय 'सरकार–समाज–उच्चतर शिक्षा संस्थान' संबंधों के समन्वय से यह आशा की गई है कि भविष्य में विशेषतः निम्नलिखित क्षेत्रों में चीन में और अधिक प्रगति लाई जा सकेगी।

लोक निकायों की अधिक स्वायत्तता तथा अभिशासन के प्रति अधिक उत्तरदेयता

चीनी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अभिशासन व्यवस्था में स्वतंत्र अर्ध–सरकारी मध्यवर्ती निकायों तथा अन्य संगठनों की प्रतिभागिता का औचित्य यह है कि इसके परिणामस्वरूप सरकार का विकेन्द्रीकरण अथवा शक्ति विलगाव होगा तथा आधारभूत रूप में इससे बाजार की आर्थिक व्यवस्था सुधार की आवश्यकताएं पूरी होगी।

वर्ष 2013 में, उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वास्तविक विधिक स्वायत्ता प्रदान करने तथा व्यवस्था विकास में लोक निकायों को अपनी भूमिका का निर्वाह करने एवं अंतत उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अभिशासन व्यवस्था संभालने तथा नए उत्तरदायित्व स्वयं अपने कंधों पर उठा सकने हेतु एक बड़ा अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चीन की सरकार द्वारा शैक्षणिक प्रशासन सुधारों के अपने हाल ही के लक्ष्यों के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थानों के प्रशासन की भूमिका से तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन से अलग होने के संबंध में घोषणा की गई थी।

ऐसे संगठनों को स्थानीय सरकार के लिए अधिक अवयवों की स्थापना, स्टाफ नियुक्त करने, निधियां उत्पन्न करने तथा केन्द्र तथा स्थानीय सरकार द्वारा वर्तमान में उपलब्ध करवाई जा रही सुपरवाईजरी तथा मूल्यांकन के प्राधिकार से अभिशासन व्यवस्था में प्रतिभागिता की और अधिक स्वतंत्रता उपलब्ध होगी। इसमें विधान तथा विनियमों में निर्धारित सरकारी कार्यों के प्रत्येक स्तरों की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन तथा संबंधित कार्य यथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अध्यापन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की गुणवता तथा अनुसंधान स्थितियों की मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन से संबद्ध कार्य शामिल हो सकते है।

मध्यवर्ती निकायों तथा गैर–सरकारी संगठनों की अभिशासन व्यवस्था की निष्पक्षता एवं कार्यकुशलता पर अधिक ध्यान दिया जाना

सुधारों के 30 वर्ष के पश्चात चीन के प्राधिकृत मध्यवर्ती उच्चतर शिक्षा लोक निकायों तथा गैर–सरकारी संगठनों विशेषतः परीक्षण संस्थानों तथा मूल्यांकन संस्थानों द्वारा सरकार एवं शैक्षणिक सेवाओं के मध्य एक सेतु का निर्माण किया गया है तथा ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों एवं समाज को लोक उत्पाद एवं लोक सेवाओं के उद्देश्य से सरकार के एक महत्वपूर्ण चैनल के रूप में कार्यरत हैं।

वर्तमान में, गैर–सरकारी अथवा अर्ध–सरकारी संगठनों की उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था में सक्रिय प्रतिभागिता तथा उच्चतर शिक्षा सेक्टर के लिए सेवाओं की उपलब्धि के महत्व के संबंध में उनकी जागरूकता धीरे–धीरे बेहतर हो रही है। ऐसी आशा है कि ऐसे निकायों के कार्यकलाप तथा कार्यकुशलता, अपने उत्पादों तथा सेवाओं की डिलीवरी के प्रति प्राप्त जन विश्वास से और अधिक बेहतर होंगे, जिसके परिणामस्वरूप समाज लाभान्वित होगा तथा अधिक निष्पक्ष एवं कार्यकुशलता प्रणाली का पोषण हो सकेगा।

मध्यवर्ती निकायों तथा सामाजिक संगठनों के व्यावसायिकता एवं विधिक संरचना पर अधिक ध्यान दिया जाना

उच्चतर शिक्षा की अभिशासन व्यवस्था अकादमिक तथा प्रशासनिक प्राधिकारों की विधि पर आधारित होनी चाहिए तथा इसमें उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अकादमिक प्रकृति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। तदनुसार अध्यापन गुणवता, वित्तीय प्रबंधन की मजबूती तथा सुपरवीजन के लिए, विधिक स्थिति तथा गैर–सरकारी एवं अर्ध–सरकारी संगठनों की व्यावसायिकता अवश्य ही सुदृढ़ होनी चाहिए तथा ऐसे संगठनों को अपनी व्यावसायिकता क्षमता एवं प्रशासनिक बेहतरी एवं प्राधिकारों में और अधिक सुधार लाने चाहिए।

उच्चतर शिक्षा की अभिशासन व्यवस्था में प्रतिभागिता करने वाले ऐसे संगठनों के लिए यह एक मूलभूत अनुभव होता है। 'मध्यम एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय शिक्षा सुधार एवं विकास' (2010–2020) में प्रशासनिक व्यवस्था के सुधारों पर अधिक ध्यान दिया गया है तथा निधियन, मॉनीटरिंग एवं उच्चतर शिक्षा उद्योग की स्व–विनियमन प्रणाली के संबंध में 'सरकार के शिक्षा प्रशासन कार्यकलापों में परिवर्तन', 'मध्यवर्ती निकायों एवं अन्य शिक्षा संगठनों की सहभागिता में सुधार' की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए चीन के वर्तमान उच्चतर शिक्षा सुधार ने व्यापक सुधारों का एक नया स्तर प्राप्त कर लिया है। शिक्षा की लोक अभिशासन व्यवस्था में औद्योगिक संघों, व्यावसायिक सोसायटियों, फाउंडेशनों, तथा अन्य प्रकार के सामाजिक संगठनों की भूमिका के सक्रिय विकास की ओर ध्यान दिया गया है। शिक्षा के संबंध में नई राष्ट्रीय सलाहकार समिति तथा उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना से प्राप्त होने वाला प्रभाव चीन की उच्चतर शिक्षा अभिशासन को प्रोन्नत एवं बेहतर बनाते हुए एक स्तर पर अधिक लाभकारी एवं त्वरित विकास की ओर ले जाएगा।

चीन में उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था सुधारों का निष्कर्ष

व्यवस्था एवं संस्थागत के दोनों ही स्तरों पर चीन की उच्चतर शिक्षा अद्भूत राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों 1978 से चले आ रहे विकास के परिणामस्वरूप अत्यंत लाभान्वित हुई है। इस अवधि से पूर्व यदि देखा जाए तो स्पष्ट रूप में इसका उच्च केन्द्रीकृत व्यवस्था से हटकर वृद्धितर विस्तार अथवा प्रत्यायोजित मॉडल में परिवर्तित होना प्रदर्शित होता है। सुधारों से स्पष्ट रूप में संस्थागत स्वायत्तता में वृद्धि हुई हैं तथा ऐसा होने से उत्तरदेयता की प्रभावी प्रणाली विकसित हुई है। अब जबकि यह स्पष्ट है कि अन्य देशों की भांति चीन उच्चतर शिक्षा सेक्टर के संबंध में अधिक प्रभाव्यता एवं कार्यकुशलता के अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है–तो अन्य देशों की भांति इसके सम्मुख भी चुनौतियों के रूप में एवं साथ ही लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के रूप में अनेक समानताएं सम्मुख हैं। ''सरकारों के सम्मुख चुनौतियां ये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बढ़ती हुई स्वायत्तता तथा बाजार संचालित संस्थान अपनी वित्तीय वहनीयता का सम्पूर्ण दायित्व लेते हुए, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर जनहित कार्यों के अनुरूप कार्य करें। संस्थानों के सम्मुख उद्देश्यों तथा वित्तपोषण का एक जटिल पोर्टफोलियों के प्रबंधन : वृद्धितर प्रतिस्पर्धी परिवेश में अपनी अलग पहचान स्थापित करने : तथा अकादमिक गुणवता एवं दीर्घकाल, उन्हें प्रदान करते रहने की सामर्थ्यता की चुनौतियां है।''[21]

प्रत्येक भागीदार, सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायों एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सम्मुख व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संस्थागत प्रभावशीलता की ओर ध्यान दिए जाने के संबंध में अनेक प्रमुख चुनौतियां हैं। चीन के उच्चतर शिक्षा सेक्टर में विकास के अगले चरण में, जिन सुधारों पर उपलब्धियां प्राप्त होने की आशा है, उनका स्वरूप स्पष्ट है। यह स्पष्ट है कि चीन द्वारा भागीदारी के रूप में नए मार्ग खोलने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के संबंध में प्रमुख एवं महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। विकास के अगले चरण का महत्वपूर्ण प्रश्न यह होगा कि महान स्वायत्तता द्वारा न केवल उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संबंध में बल्कि लोक निकायों के संबंध में भी कितनी पारदर्शिता, निष्पक्षता, प्रभावी एवं कार्यकुशल उत्तरदेयता का निरूपण किया गया है। लोक निकायों से भी सहयोग तथा/अथवा अपने सभी भागीदारों, सरकार, वृहत समाज, संस्थान प्रमुखतः विद्यार्थियों की ओर से सेवाओं की डिलीवरी की आशा की गई है। जैसा कि देखा जा सकता है कि स्थानीकरण एवं विविधिकरण किया जा चुका है तथा यह जारी है। लोक निकायों की यद्यपि प्रमुखता होगी परन्तु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा संस्थानों की उच्चतर शिक्षा की समग्र अभिशासन व्यवस्था में उनका प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। उनके सम्मुख ऐसी कार्यकुशल व्यवस्था को स्थापित करने की चुनौति होगी, जो विद्यार्थियों एवं उनके संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुरूप अच्छी गुणवतापूर्ण सेवाओं की उपलब्धि कर सके तथा त्वरित परिवर्तन की ओर अग्रसर विश्व के साथ कदम मिलाकर चलते हुए उनके प्रति लोचकता बनाए रखे।

21 ओईसीडी (2005)। उच्चतर शिक्षा के चिरस्थायी भविष्य का संरक्षण,पेरिस।

इंग्लैंड

१९७० के दशक से इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा मध्यवर्ती निकायों का विकास

संक्षेप

यह केस स्टडी इंग्लैंड के संबंध में है। इसमें उच्चतर शिक्षा की दूरदर्शिता, वित्तपोषण तथा प्रशासन में मध्यवर्ती निकायों की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। यह तीन भागों में विभाजित है:–

- मध्यवर्ती निकायों का विकास।
- अध्यापन निधियन।
- अनुसंधान निधियन।
- गुणवत्ता आश्वासन।
- संस्थागत अभिशासन व्यवस्था।

इसमें कार्यकुशल एवं प्रभावकारी मध्यवर्ती निकायों के संलक्षणों तथा उनकी कार्यशैली का पता लगाने का प्रयास किया गया है, जो अन्य देशों के लिए भी संगत हो सकती है। कार्यकुशलता तथा प्रभावकारी मध्यवर्ती निकायों के संलक्षणों में निम्नलिखित शामिल है:–

- मध्यवर्ती निकायों की भूमिका तथा उनकी भूमिका की सीमाओं के संबंध में स्वच्छ एवं सुस्पष्ट परिभाषा।
- अन्य भागीदारों तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों से संबद्धता के लिए मध्यवर्ती निकायों से की गई प्रत्याशाओं की शैली का स्वच्छ एवं सुस्पष्ट विवरण।
- प्रत्येक मध्यवर्ती निकाय की उत्तरदेयताओं का स्वच्छ एवं सुस्पष्ट विवरण।
- भविष्य की योजनाओं के संबंध में व्यापक परामर्श का महत्व।
- मध्यवर्ती निकायों की कार्यशैली के संबंध में पारदर्शिता का महत्व।
- भावी योजनाओं के संबंध में गहन परामर्श की आवश्यकता।
- मध्यवर्ती निकायों में उन कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता, जो कौशल, ज्ञान तथा विशेषज्ञता के मध्य आवश्यक संतुलन स्थापित कर सकते हैं तथा जिनमें वैयक्तिक शुद्धता है।
- उच्च गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा उच्च गुणवत्ता सांख्यिकी की आवश्यकता।
- उच्चतर शिक्षा के सांस्थनिक दृष्टिकोण से स्वायत्तता तथा उत्तरदेयता के मध्य संतुलन स्थापित किए जाने का महत्व,जिससे संस्थानों को उच्च मानकों की उपलब्धि हो सकेगी।

इन संलक्षणों के संबंध में नीचे प्रस्तुत भागों में विस्तृत उल्लेख करते हुए उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं:–

मध्यवर्ती निकायों का विकास

अन्य देशों के समान संस्थानों से यदि तुलना की जाए, तो इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को अत्याधिक अकादमिक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय स्वायत्तता प्राप्त है। यह स्थिति सदैव नहीं रही है। विश्वविद्यालयों के इतिहास में शताब्दियों से स्वायत्तता का चलन है परन्तु वे ऐसे संस्थानों के सम्पूरक हैं जिन्हें मूलतः कड़े विनियमन से गुजरना पड़ा है तथा जो सफलता प्राप्त करते हुए पॉलिटैक्निक बने तथा फिर अधिकार–युक्त विश्वविद्यालयों का दर्जा प्राप्त कर पाए। एकीकृत उच्चतर शिक्षा सेक्टर के लिए प्रधान मध्यवर्तन वित्तपोषण निकाय हायर एज्यूकेशन फंडिंग काउंसिल फॉर इंग्लैंड (HEFCE: www.hefce.ac.uk) है तथा वर्ष 1992 से सभी संस्थानों को वृहत स्वायत्तता प्राप्त है।

पिछले 50 वर्षों से, इंग्लैंड के उच्चतर शिक्षा सेक्टर को 5 प्रतिशत से 40 प्रतिशत से अधिक की बढ़ती हुई प्रतिभागिता तथा साथ ही साथ आयतन के विस्तार एवं अनुसंधान की गुणवत्ता के पोषण की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। प्रत्येक मामले का प्रधान उद्देश्य अर्थशास्त्रीय है। विद्यार्थी ऋणों में वृद्धि के प्रयोग से स्नातक पूर्व शिक्षा की लागत करदाताओं से स्नातकों पर पहले जीवन यापन लागत के लिए और हाल ही में इसे ट्यूशन के लिए करने की समानांतर प्रक्रिया चल रही है। इसके परिणामस्वरूप एचईएफसीई की वित्तपोषण की भूमिका परिवर्तित होकर विनियामक की हो गई है।

20वीं शताब्दी से ही विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान समिति–यूजीसी द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। यह मुख्यतः सरकार के कार्यकलापों से स्वतंत्र थी। संभवतः यूजीसी के संबंध में अति–महत्वपूर्ण राजनैतिक घटना

1981 में लोक व्यय कटौति के रूप में हुईं, जिसके परिणामस्वरूप सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई। यूजीसी द्वारा प्रति–विद्यार्थी वित्तपोषण स्तर निर्धारित करते हुए तथा विद्यार्थियों की संख्या घटाते हुए तथा कुछ विश्वविद्यालयों के लिए मनचाही अथवा अधिक कमियां करते हुए कटौतियां कार्यान्वित की गईं। ये निर्णय अत्याधिक विवाद का कारक बने। बाद में 1980 के दशक में विश्वविद्यालयों की तुलना में अधिक नियंत्रण के दायरे में आने वाले पॉलिटेक्निस द्वारा सरकार से विश्वविद्यालयों के समान स्वायत्तता प्राप्ति का अनुरोध किया गया। राजनैतिक दबाव में इसके परिणाम विद्यमान समग्र एकीकृत सेक्टर के मंचित संक्रमण के रूप में सामने आए तथा एचईसीएफई इसके लिए एकमात्र मध्यवर्ती वित्तपोषण निकाय बन गया।

उच्चतर शिक्षा से संबद्ध विशिष्ट कार्यकलापों वाले अन्य राष्ट्रीय निकायों की संख्या में हुए महत्वपूर्ण विकास से समय के साथ ही साथ इसका समेकन हुआ।[22] सात में से पहली अनुसंधान परिषद, जो अनुसंधान के लिए लोक वित्तपोषण करती है, की स्थापना 1920 में हुई थी। पिछले 25 वर्षों की उत्तरोतर सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों तथा एचईएफसीई द्वारा शामिल सहयोग से स्टूडेंट लोन कंपनी (www.slc.co.uk), द क्वालिटी एश्यूरेंस कंपनी (www.qaa.ac.uk), संयुक्त सूचना सेवा समिति द्वारा उच्चतर शिक्षा के आईटी नेटवर्क के लिए स्थापित जेआईएससी (www.jisc.ac.uk), हायर एज्यूकेशन स्टैटिसटिक्स एजेंसी(www.hesa.ac.uk), विद्यार्थियों की शिकायतों की देख–रेख के लिए द आफिस ऑफ द इंडिपेंडट एडज्यूडिकेटर (www.oiahe.org.uk), द ऑफिस फार फेयर एस्सेस (www.offa.org.uk) तथा टीचर ट्रेनिंग एजेंसी (बाद में समाप्त) की स्थापना की गई थी। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय निकाय के रूप में विश्वविद्यालयों तथा कॉलेज प्रवेश सेवाओं के लिए (www.ucas.com) भी है, जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रिटेन में अंडर ग्रेजुएट प्रवेश की व्यवस्था की जाती है।

उच्चतर शिक्षा के मध्यवर्ती निकायों को मान्यता प्रदान करने वाला कोई भी देश बहु–उद्देशीय तथा एकक उद्देश्य वाले संगठनों के संतुलन से अवश्य लाभान्वित होना चाहेगा। इंग्लैंड के व्यवहार से यह प्रतीत होता है कि एकक उद्देश्य निकायों से अत्याधिक लाभ प्राप्त होते हैं तथा इससे विशेषज्ञता संकेन्द्रित होती है तथा नेतृत्व की दृष्टि से एकक मिशन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अन्य राष्ट्रीय निकायों से प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सम्पूरक व्यवहार स्थापित होता है।

यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में अन्य अनेक ऐसे हितधारक है, जिनकी उच्चतर शिक्षा के प्रति प्रत्यक्ष रूचि है। उदाहरण के तौर पर उनमें इंजीनियरिंग, औषधी तथा वास्तुशिल्प, जैसे क्षेत्रों के व्यावसायिक एवं वैधानिक संस्थान तथा यूके बार्डर एजेंसी, द चैरिटी कमीशन एवं स्वास्थ्य एवं संरक्षा अधिशासी, जैसे सरकारी निकाय शामिल हैं। राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर भागीदारों का एक कॉम्प्लेक्स वेब की व्यावर्हयता है।

इस संरचना के लिए वैधानिक फाउंडेशन अत्यंत सारगर्भित है। इसके मुख्य प्रावधान के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विस्तृत नियंत्रण के संबंध में केन्द्र सरकार को विलग रखने का तथाकथित ''एक हाथ की दूरी पर'' का सिद्धांत, यह विधिक शक्ति प्रदान करता है कि जब सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं तो एचईएफसीई के मामले में ऐसे अनुदानों के साथ किसी विशेष पाठ्यक्रम का अध्ययन करवाने अथवा चयन तथा अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति अथवा विद्यार्थियों के प्रवेश की किसी प्रकार की शर्ते नहीं होती हैं। एचईएफसीई बोर्ड के पास विधान के अनुसार 12 से 15 सदस्य होते हैं, जिसकी प्रतिभागिता वरिष्ठ अकादमिक सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों में विविध गुण प्राप्त व्यक्तियों के मध्य व्यावहारिक तौर पर समान रूप से विभाजित की जाती है। एचईएफसीई के बोर्ड में एक पूर्ण सदस्य के स्थान पर मूल्यांकनकर्ता के रूप में सरकारी प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिए 'एक हाथ की दूरी पर' का सिद्धांत व्यावहारिक तौर पर प्रयोग में लाया जाता रहा है तथा यही व्यवहार अन्य राष्ट्रीय निकायों के बोर्डों में भी देखा जा सकता है। मूल्यांकनकर्ता के पास बोर्ड की बैठकों में वोट देने का अधिकार नहीं होता तथा उसे केवल सरकार से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए ही आमंत्रित किया जाता है।

जिस प्रकार इंग्लिश विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण किया जाता है, उसी प्रकार एचईएफसीई की भूमिका में भी बदलाव आया है। परन्तु इसके कुछ अभिलक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है तथा वे ऊपर उल्लिखित संक्षेप में सूचीबद्ध प्रत्येक मदों का प्रतिपादन करते हैं। परिषद की बुनियादी भूमिका संविधान में निर्धारित की गई है। प्रत्येक वर्ष इसे संबद्ध सरकार के मंत्री से उपलब्ध करवाई जाने वाली निधियों के निर्धारण तथा उन प्राथमिकताओं के संबंध में पत्र आता है जिस पर सरकार कार्यान्वयन की अपेक्षा करती है। एचईएफसीई द्वारा वित्तपोषण किए जाने वाले संस्थानों से अपने संबधों को लोक दस्तावेजों में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह सरकार तथा संसद के प्रति तथा उन विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के प्रति भी उत्तरदायी है, जिनका इसके द्वारा वित्तपोषण किया जाता है–उदाहरण के तौर पर इसकी वार्षिक बैठकों में प्रत्येक संस्थान आमंत्रित होता है।

22 लगभग 30 इंग्लैड में हैं–इनमें से सात एचईएफसीई से तथा अन्य यूके वित्तपोषण परिषदों से संबद्ध निकाय है।

इसके कार्यकलाप अत्यंत पारदर्शिता पूर्ण होते हैं तथा संशोधन अत्यंत विस्तृत एवं लोक परामर्श से किए जाते हैं। वर्षों के अनुभव से इसे विश्लेषण तथा सांख्यिकी के संबंध में उल्लेखनीय विशेषज्ञता प्राप्त हुई है तथा संस्थानों को वित्तपोषण के संबंध में इसके द्वारा आंकड़ों की अति–उत्तम आधारभूत संरचना स्थापित की गई है।

इन सभी प्रक्रियाओं की डिजायनिंग उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रत्याशित स्वायत्तता के महत्वपूर्ण परिणाम की सहायता के लिए की गई थी। जबकि अध्यापन के लिए मुख्य वित्तपोषण एचईएफसीई द्वारा किया जाता था– उदाहरणतः इसके अनुदान तथाकथित ब्लॉक अनुदान कहे जाते थे, जिसमें अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान को अपनी प्राथमिकताओं पर व्यय करने की काफी छूट दी जाती थी। संस्थानों की अपनी कूटनीतियां थी और उनसे ऐसी अपेक्षा भी की जाती थी। एचईएफसीई द्वारा अंडर ग्रेजुएट क्षेत्र की समग्र संख्या (विद्यार्थी समर्थन लागत पर होने वाले संभावित प्रभावों के कारण) तथा सस्ते एवं अधिक मंहगे पाठ्यक्रमों के मध्य संतुलन का नियंत्रण किया जाता था। परन्तु संस्थानों को अंडर ग्रेजुएट क्षेत्र को एक विषय से दूसरे विषय में करने की स्वतंत्रता है तथा उन्हें स्नातकोत्तर क्षेत्र के लिए अपनी संख्या के निर्धारण करने एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए फीस के स्तर का निर्धारण करने की स्वतंत्रता उपलब्ध है। दखलंदाजी के बिना, किसी राजनैतिक हस्तक्षेप के उन्हें अपने स्टाफ को नियुक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

संस्थानों को वाणिज्यिक एवं अन्य स्रोतों से निधियां उत्पन्न करने तथा उस धन को अपनी प्राथमिकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की स्वतंत्रता है तथा, जब ऋण अदायगी की लागत उनकी कुल आय अनुपातिक पर सार्थक होती है तो उन्हें एचईएफसीई के अनुमोदन से उन्हें ऋण प्राप्ति की स्वतंत्रता है।

एचईएफसीई द्वारा अपने जीवन काल में वित्तपोषण की विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया गया है, जिनमें अपने कुल अनुदान का काफी थोड़ा भाग[23] प्रयोग में लाते हुए सर्वांगिक विकास तथा सुधार के लक्ष्य के साथ संस्थानों की बिडिंग तथा केन्द्रित मूल्यांकन द्वारा अनेक बार प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण किया गया है। पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा सत्यता के महत्व के प्रति ये उदाहरण हैं।

एचईएफसीई द्वारा सदैव यह स्पष्ट किया जाता रहा है कि उसकी भूमिका वित्तपोषण निकाय की है, न कि योजना निकाय की क्योंकि पाठ्यक्रमों की पेशकश तथा पाठ्यक्रम की विषय सूची के संबंध में अधिकांश निर्णय संस्थान स्तर पर लिए जाते हैं तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय (अधिकार पूर्वक) सरकार लिए जाते हैं। परन्तु इसके द्वारा सदैव विनियामक तथा संस्थानों स्थिति सबल बनाने की भूमिका निभाई जाती रही है। इसके द्वारा विशेषतः वित्तीय सबलता तथा जहां अपेक्षित हो लक्षित दौरे एवं यदि अपेक्षित हो तो लक्षित दखल दिए जाने के लिए व्यवस्था की मॉनीटरिंग के संबंध में मिश्रित भूमिकाएं निभाई जाती रही हैं। उदाहरण के तौर पर एचईएफसीई द्वारा संस्थानों से अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खाते, उनकी अपने ऑडिटर की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक आश्वासन रिपोर्ट मंगवाई जाती है। ऐसे काफी कम मामले हैं, जिनमें संस्थानों को किसी भी कारण से किसी प्रकार कोई विशेष कठिनाई हुई हो। इस प्रकार के मामलों में, ''एक हाथ की दूरी पर रखने'' के सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि सरकार के मंत्री एचईएफसीई से संबंधित विभाग के नियंत्रण बिना आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हैं।

एचईएफसीई में वर्तमान में 250 स्टाफ कार्यरत हैं। कुछ वर्षो से इसके द्वारा वित्तपोषण से संबद्ध कार्यविधियों एवं प्रणालियों के प्रति उल्लेखनीय विशेषज्ञता प्राप्त की गई है। ऐसी प्रक्रियाएं समय के साथ ही साथ विकसित हुई हैं तथा एचईएफसीई तथा इसके पूर्ववर्ती निकायों द्वारा उच्चतर शिक्षा नीतियों में नीचे दिए गए परिवर्तन किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा के लिए लोक नीति के निर्णय लेने का दायित्व कार्यरत सरकार का होता है। एचईएफसीई तथा अन्य एजेंसियों को आबंटित की जाने वाली निधियों के निर्धारण का दायित्व सरकार का होता है। एचईएफसीई, जैसे निकाय जिसके द्वारा अनुदान के आवंटन की पद्धति एवं संस्थानों में संभावित महत्व की पहचान करने की वृहद इलैक्ट्रानिक एमआईएस अवसंरचना के बिना अपने कार्यकलाप नहीं कर सकते हैं। एकत्रित आंकड़ों की बड़ी रेंज एचईएसए द्वारा प्रकाशित की जाती हैः देखें www.hesa.ac.uk।

अध्यापन वित्तपोषण

इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा में प्रतिभागिता बढ़ने के परिणामस्वरूप, केन्द्र सरकार द्वारा समग्र ब्रिटेन तथा यूरोपियन संघ के अंडर ग्रेजुएट सभी विद्यार्थियों के संबंध में उत्तरदायित्व लिया गया है। केवल मेडिकल विद्यार्थियों के कुछ अवयवों के अतिरिक्त इसकी कुल संख्या के संबंध में एचईएफसीई द्वारा बिना सरकारी दखल के अध्यापन निधियों के आवंटन का उत्तरदायित्व लिया गया है। ऐसी व्यवस्था संस्थानों को इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए दी गई है कि इससे उन्हें अधिक स्वतंत्रता मिलेगी तथा विशिष्ट

23 वर्तमान में लगभग 10 प्रतिशत के अंदर है।

विषयों एवं विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संबंध में वे विद्यार्थियों की मांग पूरी कर सकेंगे।

संस्थानों को घरेलू अंडर ग्रेजुएट की स्थिति की तुलना में, प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का पंजीयन करने की पूर्ण स्वतंत्रता तथा स्नात्तकोतर विद्यार्थियों, घरेलू अथवा अंतर्राष्ट्रीय का पंजीयन करने की पर्याप्त स्वतंत्रता है। इन सभी स्वतंत्रताओं के मिश्रण का वित्तपोषण ब्लॉक अनुदान अथवा ट्यूशन फीस के रूप में आता है, जिसका अर्थ यह है कि संस्थानों को अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अध्यापन आय का व्यय करने की आंतरिक स्वतंत्रता के साथ ही साथ विशेषतः अपनी पसन्द तथा विशिष्ट वित्तपोषण वर्ग द्वारा अनुमत्त स्थितियों के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के मध्य प्रति सहायता की स्वतंत्रता उपलब्ध है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है कि प्रतिभागिता में हुई वृद्धि एचईएफसीई द्वारा परिवर्तनीय ट्यूशन फीस में वित्तपोषण के स्थान पर घरेलू विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अधिकतम निर्धारित फीस स्तर पर वित्तपोषण के परिणामस्वरूप है। स्नातक कर के रूप में लागू कर के प्रभाव स्वरूप अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थी अपनी फीस की लागत को पूरा करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं तथा ऐसे ऋण की वापसी स्नातक होने पर आय के एक नियत स्तर की प्राप्ति होने के पश्चात निश्चित अनुपात में की जाती है। इन विकासों से विश्वविद्यालय वित्तपोषण के प्रबंधन के लिए विद्यार्थी ऋण कम्पनियों की मध्यवर्ती निकाय की भूमिका में काफी वृद्धि हुई है।

हाल ही के वर्षों में, केन्द्र सरकार द्वारा सामाजिक अथवा ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिभागिता करने वाली प्रजाति के विद्यार्थियों की प्रतिभागिता के लिए इसमें अनेक महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। इस प्रक्रिया की देख रेख के लिए एक केन्द्रीय निकाय–द ऑफिस ऑफ द फेयर एस्सेस, की स्थापना की गई है। इसे द्वारा पारदर्शिता तथा परामर्श को महत्व देते हुए, प्रत्येक संस्थानों के लक्ष्य निर्धारण एवं उनकी प्रगति की मॉनीटरिंग की जाती है।

विश्वविद्यालयों के पास सदैव से अपनी डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियां रही हैं तथा इन पॉलिटेक्निक्स को ये शक्तियां तब दी गई, जब उन्होंने 1992 में अपनी वर्तमान स्थिति को प्राप्त किया। कुछ छोटे कॉलेजों की डिग्रियों का वैद्यीकरण अभी भी विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है परन्तु यहां अन्य देशों की भांति राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय की व्यवस्था नहीं है।

अनुसंधान वित्तपोषण

इंग्लैंड तथा यूनाईटिड किंगडम में अनुसंधान वित्तपोषण की अवसंरचना अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भिन्न है। वर्ष 1920 से यहां तथाकथित दोहरी विधियन प्रणाली का चलन है। धन का प्रमुख अंश केन्द्रीय निकाय, अब सात अनुसंधान परिषद द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाता है। परन्तु यहां एक अलग वित्तपोषण प्रवाह भी है, जिसका वितरण एचईएफसीई द्वारा किया जाता है तथा यह अनुसंधान अवसंरचना से संबद्ध है न कि वैयक्तिक परियोजनाओं से। दूसरे वित्तपोषण प्रवाह के पीछे तर्क यह है कि यह विश्वविद्यालयों को ऐसी अनुसंधान क्षमता के निर्माण में सहयोग देता है, जो विभिन्न परियोजनाओं पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। इस दोहरी वित्तपोषण प्रणाली को अनेक बार चुनौतियां दी जा चुकी हैं तथा इसकी समीक्षा भी हुई है परन्तु इसे इस आधार पर कायम रखा जाता रहा है कि यह यूनाईटिड किंगडम के विश्वविद्यालयों के कारगर अनुसंधान निष्पादनों की बढ़त का आधार माना जाता रहा है।

एक प्रत्यक्ष उपमा के रूप में ''एक हाथ की दूरी'' के सिद्धांत का ऊपर वर्णन किया गया है, अनुसंधान वित्तपोषण के निर्णय अनुसंधान परिषदों द्वारा सरकारी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं परन्तु परियोजनाओं पर निधियों के आवंटन के लिए इस पर कोई सरकारी दबाव नहीं होता है तथा इसका निर्धारण पूर्णतः अनुसंधान की गुणवत्ता के आधार पर किया है–यह सिद्धांत हाल्दाने का सिद्धांत कहलाता है।[24]

विश्वविद्यालय अनुदान समिति द्वारा पहले वर्ष 1986 में अध्यापन एवं अनुसंधान वित्तपोषण के मध्य एक सुस्पष्ट अंतर स्थापित किया गया था तथा साथ ही प्रथम मूल्यांकन की कवायद (आरएई–रिसर्च एस्सेसमेंट एक्सरसाईज) भी प्रारम्भ की गई थी। संस्थान द्वारा प्रत्येक प्रस्तुति की ग्रेडिंग तैयार करने वाले विषय पैनलों के संबंध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर विश्वविद्यालयों के अनुसंधान निष्पादन की विषय–वार गहन समीक्षा की पुनरावृत्ति आरएई द्वारा प्रत्येक छः माह अथवा आवश्यकता होने पर की जाती थी। इस प्रकार ग्रेडिंग से अनुसंधान निधि के लिए एचईएफसीई द्वारा आवंटन निर्धारित किए जाते थे।

आरएई द्वारा अनुसंधान की उत्कृष्टता के फ्रेमवर्क (आरईएफ) में हाल ही में किए गए विकास चर्चा का आकर्षण रहे हैं। संक्षेप में

24 ब्रिटिश अनुसंधान नीति के अनुसार हाल्दाने का सिद्धांत इस आशय से लिया जाता है कि अनुसंधान निधियों पर किए जाने वाले व्ययों के संबंध में निर्णय अनुसंधानकर्ताओं द्वारा लिया जाना चाहिए न कि राजनीतिज्ञों द्वारा। इसका नामकरण रिचर्ड बर्डन हाल्दाने के नाम पर किया गया है, जो 1904 तथा 1909 से 1918 में इस नीति की अनुशंसा करने वाली समितियों तथा आयोगों के अध्यक्ष थे।

निर्धारित विशिष्टिताओं की सूची की तुलना में इस क्रियाविधि से स्पष्ट भूमिकाओं के मूल्य तथा पारदर्शिता का सम्मिश्रण, प्रोत्साहन, यथोचित विशेषज्ञता, सम्पूर्णता एवं निष्पक्षता प्रदर्शित होती है। तथापि आरएई की कार्य पद्धति विवाद का मुद्दा होते हुए भी इसकी पुनरावृत्ति से निस्संदेह नई एवं सबल प्रतिस्पर्धी सरकारी नीति निर्देशिका का प्रभाव तथा इससे यह प्रदर्शित होता है कि किस प्रकार यह मूल्यांकन एवं वित्तपोषण (मध्यवर्ती निकायों द्वारा) के रूप में विकसित हुई है।

इसके साथ ही आईएई से संबंधित पूर्व जानकारियां अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने तथा वित्तपोषण की अति जटिल स्थितियां उत्पन्न करने के साथ ही साथ मामले विशेष में नए प्रयासों के प्रभाव को मॉनीटर करने तथा इन्हें अवांछित परिणामों से संरक्षित करने की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। इसका अर्थ यह है कि अपने कार्य के समग्र प्रभाव पर विचार करने तथा अपने दृष्टिकोण तथा मूल्यांकन के एक दौर तथा दूसरे दौर के मध्य किए गए विकास में आवश्यकतानुसार बदलाव लाने तथा ऐसे विचारों के प्रति नए दृष्टिकोण की ओर ध्यान केन्द्रित करने का उत्तरदायित्व मध्यवर्ती निकायों का ही है। ऐसा कहा जाता रहा है कि अत्याधिक निष्पक्ष प्रेक्षक आरएई को एक ऐसी व्यवस्था का सबल उदाहरण मानते है, जिससे वर्षों से बनाई जा रही वित्तपोषण नितियों के लक्ष्यों का बेहतर निष्पादन हो सकता है।

गुणवता आश्वासन

परम्परागत ज्ञात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मात्र एक अथवा अधिक प्रभावी गुणवता आश्वासन युक्त व्यवस्था ही पर्याप्त है अतः प्रमाणन से संबंधित किसी क्रियाविधि के बिना, केवल व्यावसायिक विषयों को छोड़कर, राष्ट्रीय व्यवस्था हेतु गहन अकादमिक स्वायत्ता का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। इंग्लैंड में यह मुद्दा विवाद का रहा है क्योंकि पुराने स्थापित विश्वविद्यालयों में बाह्य गुणवता आश्वासन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पॉलिटेक्निक अपनी योग्यताओं की मान्यता यदा–कदा बाह्य निकायों से करवाते थे तथा यह स्वतंत्र इंस्पेक्टरों (परिषद में महारानी द्वारा नियुक्त (प्रीवी काउंसिल–अतः महारानी की सेवा में कार्यरत इंस्पेक्टर) द्वारा की जाने वाली जांच की शर्त के साथ होता था।

1980 के दशक में हुए राजनैतिक वाद विवाद के अनुसरण में 1990 के दशक के प्रारम्भ में नव स्थापित एचईएफसीई (विषय आधारित अध्ययन मूल्यांकन के लिए) तथा हाई एज्युकेशन क्वालिटी काउंसिल (उस काल के विश्वविद्यालयों द्वारा यू0के0 में संस्थानों के ऑडिट के लिए स्थापित) के तत्वाधान में अध्यापन की गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में पहल हुई। बाद में 1997 में दोनों संगठनों का क्वालिटी एश्यूरेंस एजेंसी–क्यूएए में समामेलन हो गया। यह जरूरी नहीं है कि इसकी रूपरेखा की ओर ध्यान दिया जाए परन्तु इसमें संदेह नहीं कि जो अत्याधिक महत्वपूर्ण पहल यह थी कि प्रत्येक संस्थान की अध्यापन गुणवत्ता एवं अध्यापन की विधि के प्रेक्षण की समीक्षा की जाए क्योंकि ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों में पठन और पाठन के संबंध में एक ध्वज तले बाह्य मूल्यांकन किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप सत्यनिष्ठा के साथ समीक्षा एवं पारदर्शिता पूर्ण प्रक्रिया महत्वपूर्ण समझी गई क्योंकि इसके परिणाम जनता को उपलब्ध करवाए गए थे।

समय के साथ ही साथ इसके प्रति ध्यान बाह्य पीर (समकक्ष) समीक्षा दल द्वारा पठन एवं पाठन की विस्तृत समीक्षा से हटकर, विद्यार्थियों के विचार एकत्र कर उन्हें प्रकाशित करने की ओर आकर्षित हुआ। वर्ष 2005 में एचईएफसीई के आयोजन में एक बहुराष्ट्रीय बाजार अनुसंधान/सर्वेक्षण कंपनी आईपीएसओएस एमओआरआई द्वारा राष्ट्रीय विद्यार्थी सर्वेक्षण किया चुका था। राष्ट्रीय विद्यार्थी सर्वेक्षण अब संस्थानिक आचरण के प्रति प्रभावशाली महत्वपूर्ण घटक बन चुका था। उप्रत्येक संस्थानों के लिए परिणाम पाठ्यक्रमवार उपलब्ध होते थे। यह भी एक विवाद का एक सशक्त कारण बना परन्तु इससे संस्थानों में तथा उनके मध्य भी विविधताएं उत्पन्न हुई। विद्यार्थी सर्वेक्षण का प्रयोग यू0के0 तथा अन्य देशों द्वारा प्रयुक्त ऐसा मॉडल था, जिससे प्रगति तेज हुई।

संस्थानों की अभिशासन व्यवस्था

केन्द्रीय स्थिति में विद्यार्थियों की राय को स्थान मिलने का प्रभाव यू0के0 की अभिशासन व्यवस्था पर भी प्रतिबिम्बित हुआ। ऐसा, इस वास्तविकता से हुआ कि यू0के0 के उच्चतर शिक्षा संस्थानों के संचलन निकाय के सदस्य विद्यार्थी भी होते हैं तथा उन्हें यह स्थान इस आशय से दिया गया है कि वे संचलन और प्रबंधन के प्रत्येक कार्य में सक्रिय भूमिका निभाए ताकि विद्यार्थियों की आवाज विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में प्रत्येक स्तर पर सुनी जा सके और प्रत्येक को उचित लाभ प्राप्त हो सके।

स्वायत्त संस्थानों को बेहतर संचलन तथा बेहतर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। 1990 के दशक में इंग्लैंड के इतिहास को फिर से दो भागों में विभक्त होना पड़ा। विश्वविद्यालयों का परम्परागत रूप से मजबूत सैनेट्स (केवल अकादमिक स्टाफ के

लिए निर्मित) तथा बड़ा संचलन निकाय होता था, जिसकी भूमिका सीमित होती थी। पॉलिटेक्निक संचलन निकाय छोटे होते थे तथा स्थानीय सरकार द्वारा उनकी आवाज सुनी जाती थी। उच्चतर शिक्षा सेक्टर का एकीकरण होने के पश्चात संस्थानों के दोनों ग्रुप एक साथ हो गए, जिसके अच्छे संचलन के लिए सिद्धातों की स्थापना की आवश्यकता उत्पन्न हुई। लार्ड डियरिंग की अध्यक्षता में वर्ष 1997 में उच्चतर शिक्षा की समीक्षा के माध्यम से अधिकांश कार्य पूरा किया गया था।

इस समीक्षा में, अन्य के साथ ही साथ यह निर्णय भी लिया गया कि संचलन संकायों में 25 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और यह कि इसमें सदैव बाहरी सदस्यों का बाहुल्य होना चाहिए और सदस्यों की सेवा के संबंध में सीमा स्पष्ट होनी चाहिए तथा प्रत्येक संचलन निकायों द्वारा अपनी स्वयं की प्रभाव्यता की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए।

संस्थानिक स्तर पर संचलन की मजबूती यू0के0 तथा भारत सहित अन्य देशों तथा एसएचईसी जैसे निकायों में मध्यवर्ती निकायों की भूमिका को पुनः परिभाषित करने तथा सबल बनाने की एक अत्याधिक वांछित आवश्यकता है क्योंकि ऐसा करने से संस्थानिक निष्पादन की प्रभाव्यता तथा संस्थानिक निष्पादन की बेंचमार्किंग सुनिश्चित करने के लिए निर्धारक संस्थान की कार्यपद्धति स्पष्ट होती है तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यान्वयन सम्मुख रहते है तथा ये सभी बेहतर परिणाम प्राप्ति के प्रमुंख घटक हैं[25]।

1970 के दशक से इंग्लैंड में उच्चतर शिक्षा के मध्यवर्ती निकायों के विकास से विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों से आधुनिक विश्व की बढ़ती हुई नेतृत्व एवं प्रबंधन की जटिलता का अभिज्ञान संभव हुआ है। इसके द्वारा उत्तरोतर बढ़ते हुए विकट कार्यों से संबद्ध गतिविधियों के नेतृत्व, प्रबंधन तथा संचलन की दृढ़ता पर ध्यान दिया गया है ताकि इंग्लिश संस्थान अपनी अपेक्षाकृत उच्च अकादमिक, वित्तीय तथा प्रबंधकीय स्वायत्तता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने का पराक्रम करके अध्यापन के मानक, अध्ययन एवं अनुसंधान को बेहतर बना सके और साथ ही अपने भागीदारों के प्रति भी उत्तरदायी हो सकें।

25 इन निष्कर्षो को रेखांकित करने वाला सामान्य सिद्धांत तथा यू0के0 के संस्थानों की प्रभावी अभिशासन व्यवस्था के संचित अनुभव संख्या की दृष्टि से अन्य देशों के समान तथा वर्ल्ड बुक्स टीक्यूआईपी–2 परियोजना द्वारा प्रकाशित गुड प्रेक्टिस गाईड फॉर गवर्निंग बॉडिज में उल्लिखित निष्कर्षो के अनुरूप है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य उच्चतर शिक्षा बोर्ड: विकास तथा कुशल व्यवहार

आगे हम, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य उच्चतर शिक्षा बोर्डो के ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालते हुए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि किस प्रकार उच्चतर शिक्षा अभिशासन व्यवस्था में इन मध्यवर्ती निकायों द्वारा अच्छे समर्थनकारी व्यवहार स्थापित किए गए हैं।

राज्य उच्चतर शिक्षा बोर्डो का विकास

संयुक्त राज्य अमेरिका में फेडरल प्रणाली है, जिसके अंतर्गत फेडरल सरकार तथा राज्य दोनों उच्चतर शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फेडरल सरकार द्वारा विद्यार्थी वित्तीय सहायता (अनुदान तथा ऋण) एवं अनुसंधान सहायता के रूप में आवश्यक वित्तपोषण किया जाता है। लोक कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना, समर्थन एवं विकास के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व तथापि राज्यों को दिया गया है। निजी संस्थानों, लाभ रहित तथा लाभ प्राप्ति दोनों उद्देश्यों के लिए प्रचालन का अनुमोदन देने का उत्तरदायित्व राज्यों का है। फेडरल वित्तपोषण प्राप्ति के लिए प्रत्येक संस्थान, लोक एवं निजी दोनों के पास अपने प्रचालन के राज्य द्वारा जारी लाइसेंस होना आवश्यक है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों के आस्तित्व में मूल विकास 1960 के दशक में तब प्रारम्भ हुआ, जब देश ने दाखिले के प्रति प्रभावी वृद्धि देखी, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली के विस्तार की आवश्यकता अनुभव की गई। इस विस्तार के लिए अधिकांश वित्तपोषण राज्यों द्वारा किया गया न कि फेडरल सरकार द्वारा। त्वरित विस्तार के साथ ही साथ नए संस्थानों के असमन्यवित विकास तथा उच्च लागत वाली सुविधाओं एवं अकादमिक कार्यक्रमों की दोहरी व्यवस्था होने की समस्याएं भी उत्पन्न हुई। इन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यों द्वारा समन्वय परिषदों की स्थापना की गई तथा उच्चतर शिक्षा संस्थानों के क्रमबद्ध विकास की देख–रेख के लिए अन्य व्यवस्थाएं की गई।

इंग्लैंड की विश्वविद्यालय अनुदान समिति के तरह ही संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों एवं उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मध्य महीन संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा समन्वय

इकाईयों का स्पष्टतः गठन किया गया था। वे सिविक लीडरों तथा कुछ मामलों में, अकादमिक लीडरों के नेतृत्व से गठित परिषद अथवा बोर्ड द्वारा संचालित होते थे तथा उन्हें राज्य के गर्वनर एवं व्यवस्थापक के सीधे नियंत्रण से कुछ स्वतंत्रताएं भी प्राप्त थी। उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए किया गया परन्तु साथ ही संस्थागत उत्तरदेयता पर बल दिया गया।[26]

फेडरल सरकार का राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के विकास को प्रभावित किया। 1963 के हायर एज्यूकेशन फेसिलिटिज एक्ट (तथा 1965 एवं 1972 में तदन्तर लागू विधान के अनुसार) के अंतर्गत पर्याप्त फेडरल वित्तपोषण प्राप्ति के लिए राज्यों से राज्य उच्चतर शिक्षा आयोग की स्थापना अथवा पदनामित करने की अपेक्षा की गई। फेडरल विधान में यह विर्निदिष्ट किया गया कि आयोग में सामान्य जनता तथा जनता के तथा राज्य में स्थित निजी संस्थानों के प्रतिनिधियों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। जिन राज्यों में पहले से राज्य समन्वय इकाईयां स्थापित थी,उन्होंने अपनी विद्यमान इकाईयों को इस आशय से पदनामित किया गया परन्तु उनसे फेडरल आवश्यकताओं के अनुरूप इकाई की सदस्यता एवं शक्तियों के संबंध में परिवर्तन किए जाने अपेक्षित थे। अन्य राज्यों द्वारा नए सिरे से विधान बनाकर अथवा गर्वनर के अधिशासी आदेशों से नई इकाईयां स्थापित की गईं। विधान के अंतर्गत स्थापित आयोगों का प्रभाव बेहतर था, जबकि जो अधिशासी आदेशों के अंतर्गत स्थापित हुए थे, वे या निष्प्रभावित थे अथवा फेडरल वित्तपोषण की समाप्ति के पश्चात उनकी भूमिका काफी सीमित हो गई।[27]

राज्य बोर्डों के प्रकार

वर्ष 1974 तक, कुल राज्यों में से तीन राज्यों द्वारा पूरे राज्य में समन्वय अथवा संचलन इकाई की स्थापना की गई थी। इनमें से अधिकांश इकाईयां आज भी हैं परन्तु उनकी भूमिका तथा कार्यकलाप काफी विकसित हुए हैं। इन इकाईयों की विशिष्ट शंक्तियां तथा कार्यकलाप राज्य की सरकारी संरचना, इतिहास एवं आकार पर निर्भर हैं। तीन राज्यों से राज्य प्रणाली के प्राधिकार से युक्त विशेष संवैधानिक एजेंसी स्थापित नहीं होती है। इन राज्यों द्वारा विद्यमान गवर्निंग बोर्डों, अनौपचारिक समन्वय, तथा गर्वनर एवं राज्य के व्यवस्थापकों की प्रत्यक्ष प्रतिभागिता से सम्पूर्ण राज्य में उच्चतर शिक्षा के मामलों की देख–रेख जारी रखी गई।[28] शेष 47 राज्यों में उच्चतर शिक्षा के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए राज्य स्तरीय संरचना (मध्यवर्ती निकाय) स्थापित थी। बुनियादी तौर पर राज्य उच्चतर शिक्षा संरचना के वस्तुतः दो भाग स्थापित थे :(1) राज्यवार विश्वविद्यालय प्रणाली संचलन बोर्ड (23 राज्य), (2) तथा राज्यवार समन्वय बोर्ड (24 राज्य)। इन राज्यों की संरचना के प्रकार में बुनियादी तौर पर निम्नलिखित अंतर हैं:–

राज्यवार विश्वविद्यालय प्रणाली संचलन बोर्डः इस संरचना के अंतर्गत प्रत्येक पोस्ट–सैकेंडरी संस्थान को राज्य में स्थित सभी लोक संस्थानों को शामिल करके बनाए गए एक अथवा अधिक राज्यवार प्रणाली संचलन बोर्डों में संगठित किया जाता है। प्रणाली बोर्ड तथा राज्य सरकार में कोई मध्यवर्ती निकाय नहीं होता है। प्रणाली संचलन बोर्डों के विशिष्टि उत्तरदायित्वों में (1) कार्यविधि योजना, बजट तथा प्रणाली में ही संस्थानों के मध्य संसाधनों का विर्निधारण (2) प्रणाली तथा संस्थान प्रमुखों की नियुक्ति, मुआवजा, तथा मूल्यांकन के उत्तरदायित्व (3) प्रणाली में संस्थानों की आवश्यकताओं के लिए मध्यस्थता (4) नए अकादमिक कार्यक्रम, डिग्रियां प्रदान करने तथा संकाय/अकादमिक स्टाफ का कार्यकाल निर्धारित करने सहित अकादमिक नीति। इनमें से अधिकांश राज्यों में सीमित प्रशासनिक एवं विनियामक प्राधिकार से युक्त उच्चतर शिक्षा सेवा एजेंसियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय की प्रणाली तथा राज्य सरकार के मध्य कोई मध्यवर्ती निकाय कार्यरत नहीं है।

समन्वयक बोर्डः समन्वयन बोर्ड मध्यवर्ती निकाय होते हैं, जिनका उत्तरदायित्व उस विकेन्द्रीकृत प्रणाली की देख–रेख का होता है, जिसमें बहु–प्रणाली तथा संस्थानिक बोर्डों को संस्थानों के संचलन का उत्तरदायित्व दिया गया है। समन्वयक बोर्ड विश्वविद्यालय प्रणाली अथवा संस्थान का संचलन नहीं करते हैं। अतः संस्थानों के मुख्य कार्यकारियों की नियुक्ति तथा सांस्थानिक नीति एवं प्रबंधन में उनकी किसी प्रकार की भूमिका नहीं होती है। इस संबंध में समन्वयक बोर्ड अपने न्यायाधिकार क्षेत्र में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह इस प्रकार करते हैं, जिससे संस्थानों की स्वायत्तता सम्मानित एवं समर्थित हो

26 बेर्दहल आर0ओ0 (1971), स्टेट का–आर्डिनेशन ऑफ हायर एज्यूकेशन, वाशिंगटन डी0सी0, अमेरिकन काउसिंल ऑफ एज्यूकेशन।

27 मैक गुइन्नेस्स, मैक किन्ने एच तथा मिल्लर्ड आर0 (1974), चेंजिंग मैप ऑफ पोस्ट सैकेंडरी एज्यूकेशनः इंम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टेट 1202 कमीशन्स, डेनवेरः एज्यूकेशन कमीशन ऑफ द स्टेट्स।

28 मैक गुइन्नेस्स, एय्यमस (2010)। द स्टेट्स एण्ड हायर एज्यूकेशन इन अमेरिकन हायर एज्यूकेशन इन द ट्वंटी फर्स्ट सेन्चयूरी : सोशल, पॉलिटिक्ल, एण्ड इॅकनॉमिक चैलेन्जस, दूसरा प्रकाशन, अल्टबैच, पी0, बेर्दहल आर एण्ड गुम्पोर्ट पी एड्स जॉन होपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।

सम्पूर्ण राज्य में प्रणाली संचलित बोर्डों के उदाहरण

कैलीफोर्निया

कैलीफोर्निया के सभी लोक संस्थान, तीन में से एक राज्य बोर्ड के न्यायाधिकार में हैं: कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय का रिजेन्ट्स बोर्ड 10 विश्वविद्यालयों तथा 3 अनुसंधान केन्द्रों का संचालन करता है। कैलीफोनिया राज्य विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ ट्रस्टिज 23 विश्वविद्यालयों का संचालन करता है तथा कैलीफोर्निया कम्यूनिटी कॉलेज की प्रणाली का संचलन बोर्ड 109 कम्यूनिटी कॉलेजों की देख–रेख करता है। संचलन बोर्डों की तीन प्रणालियों में कोई मध्यवर्ती निकाय तथा राज्य सरकार (गर्वनर तथा राज्य व्यवस्थापक) नहीं है।

नार्थ कारोलिना

नार्थ कारोलिना के सभी लोक संस्थान 16 विश्वविद्यालयों का संचालन करने वाले नार्थ कारोलिना विश्वविद्यालय के संचलन बोर्ड अथवा 59 कॉलेजों तथा तकनीकी केन्द्रों का संचलन करने वाले समुदाय कॉलेजों के राज्य बोर्ड के न्यायाधिकार क्षेत्र में आते हैं। संचालन बोर्डों की तीन प्रणालियों में कोई मध्यवर्ती निकाय तथा राज्य सरकार (गर्वनर तथा राज्य व्यवस्थापक) नहीं है।

सके। समन्वयक बोर्डो की शक्तियां एवं कार्यकलाप प्रत्येक राज्य की स्थितियों पर निर्भर होती हैं। उनके सामान्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल है:–

- **युक्ति पूर्वक दीर्घकालिक योजना:** राज्य व्यापी योजना का विकास एवं आवधिक अद्यतन, पहुंच स्थापन के प्रति लक्ष्य निर्धारण, विद्यार्थी सफलता, श्रमिक बाजार आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया तथा राज्य की प्रतिस्पधर्ता के लिए संबद्ध अनुसंधान एवं नवोपाय।
- **अकादमिक कार्यक्रम समीक्षा एवं अनुमोदन:** यह सुनिश्चित करना कि अकादमिक कार्यक्रम राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं तथा उच्च लागत, कम मांग वाले कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति नहीं हो रही है।
- **बजट समीक्षा तथा संसाधन विनियोजन की प्रणालियां:** संस्थागत बजटों की पुनरीक्षा तथा उच्चतर शिक्षा प्रणाली के लिए प्रचालन एवं पूंजी (निवेश), बजट के संबंध में राज्य सरकार को अनुशंसाएं देना। लोक संस्थानों को राज्य द्वारा वित्तपोषण करने की विधियों तथा अन्य प्रणालियों की अनुशंसा करना।
- **नीति विश्लेषण:** गर्वनर तथा राज्य व्यवस्थापकों द्वारा किए जाने वाले नीति निर्धारण में सहायता के लिए विशेष प्रकार के विश्लेषण करना।
- **विस्तृत डाटा/सूचना प्रणाली का निर्माण:** अपेक्षित योजना के निर्माण में सहायता के लिए डाटा/सूचना प्रणाली, नीति विश्लेषण तैयार करना तथा सम्पूर्ण राज्य में लक्ष्यों की ओर प्रगति के लिए संस्थानों की उत्तरदेयता का निर्धारण करना।
- राज्य विद्यार्थी वित्तीय सहायता (अनुदान एवं ऋण) कार्यक्रम का प्रशासन।
- **परियोजना प्रशासन:** आसान पहुंच, गुणवत्ता अथवा जटिल मामलों के लिए राज्य तथा फेडरल कार्यक्रमों का प्रशासन।
- **गैर–सरकारी संस्थानों का विनियमन:** गैर–सरकारी संस्थानों को राज्य में प्रचालन के लिए लाइसेंस तथा अनुमोदन प्रदान करना।

राज्यों के समन्वय बोर्ड के उदाहरण

टैक्सास

टैक्सास का उच्चतर शिक्षा समन्वय बोर्ड छह प्रणाली वाले संचालन बोर्ड की उच्चतर कॉम्प्लेक्स प्रणाली की देख–रेख के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक के उत्तरदायित्व अनेक विश्वविद्यालयों के लिए हैं, तीन विश्वविद्यालयों का एकल संचालन बोर्ड है तथा 50 समुदाय कॉलेजों सगठित होकर मल्टी कैम्पस तथा एकल कैम्पस संस्थान का रूप लेते हैं।

वर्जीनिया

वर्जीनिया की राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अलग–अलग संचालन बोर्ड के (बोर्ड अथवा विजिटर्स) 16 विश्वविद्यालयों तथा वर्जीनिया समुदाय कॉलेज प्रणाली के राज्य बोर्ड द्वारा संचलित 23 समुदाय कॉलेजों की उच्च विकेन्द्रीकृत प्रणाली के समन्वय के प्रति उत्तरदायी है।

पिछले 50 वर्षो में अमेरिका में राज्यों की भूमिका, केन्द्रित योजना, विनियामक नियंत्रण तथा व्यवस्था योजना में किए जाने वाले कार्यो के प्रति जवाबदेही, बढ़ती हुई संस्थागत स्वायत्तता तथा परिणाम प्राप्ति के लिए संस्थानों के दायित्व निर्धारण की व्यवस्था से विस्तृत हुई है। वित्तीय नीति विस्तृत लागत आधारित नामांकन चालित फार्मूलों से उबरकर निष्पादन तथा परिणामों पर आधारित आबंटनों की हुई है तथा इसी प्रकार ही डिग्री की प्राप्ति भी व्यवस्थित हुई है।

राज्य उच्चतर शिक्षा बोर्डों द्वारा अच्छा व्यवहार

यह मान्यता है कि चूंकि प्रत्येक देश के राज्यों की उच्चतर शिक्षा प्रणाली अलग प्रकार की होती है, अतः किन्हीं विशिष्ट भौगोलिक स्थान को उच्चतर शिक्षा प्रणाली के संचालन के अच्छे व्यवहार के सम्पूर्ण उदाहरण के रूप में स्थापित होना संभव नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उच्चतर शिक्षा के नीति नेतृत्व में कुछ ऐसे अभिलक्षण होते हैं, जो समय के दौरान अप्रत्यक्ष तौर पर न्यूनतम निष्पादन के कारक होते हैं। उच्चतर शिक्षा के राज्यवार समन्वय आसान पहुंच, क्षमता, गुणवता, संबंद्धता तथा उच्चतर शिक्षा की सम्पूर्णता,जैसे प्रमुख मामलों के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता से जुड़े हुए हैं। सरकारी नीति तथा उच्चतर शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय केन्द्र नीचे उल्लिखित प्रमुख अभिलक्षणों के लिए राजनैतिक नेतृत्व की ओर संकेत करते हैं:–

- राज्य की शैक्षणिक उपलब्धियों के वर्धन तथा नागरिकों के लिए कार्य दल तैयार करने के स्पष्ट कार्यभार के साथ एक उदार सरकारी निकाय।
- अनुचित राजनैतिक, पक्षपाती, संस्थागत अथवा संकीण प्रभाव का सामना करने की शक्ति।
- उच्चतर शिक्षा के निष्पादन पर राज्य के प्रमुख नेताओं द्वारा समर्थित आपत्तियों के संबंध में अभिव्यक्ति एवं मॉनीटरिंग की क्षमता तथा उत्तरदायित्व, आपत्तियां स्पष्ट एवं परिमेय होनी चाहिए तथा इसमें कॉलेज से अपेक्षित लक्ष्यों की प्रमात्रा, आसान पहुंच, प्रतिभागिता, धारण, अंशाकन, तथा अन्य राज्यों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया का समावेश होना चाहिए।
- राज्य सरकार तथा उच्चतर शिक्षा नेतृत्व के स्थान पर नगर, व्यवसाय तथा सरकारी विद्यालय नेतृत्व का विनियोजन।
- राज्यव्यापी नीतियों तथा सरकारी इकाईयों तथा संस्थागत संचलन में नीतियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के मध्य के भेदों की पहचान।
- संस्थानिक तथा सेगमेन्टल संचालन निकायों की भूमिका राज्यव्यापी नीति नेतृत्व की भूमिका से भिन्न है।
- राज्य के लक्ष्यों/प्राथमिकताओं के चयन के लिए सूचना एकत्रीकरण तथा विश्लेषण करने और ऐसे लक्ष्यों के संबंध में राज्य व्यापी एवं संस्थागत निष्पादन को अभिव्यक्त करने तथा निष्पादित करने की क्षमता।
- सांस्थानिक उपयोज्यता, टयूशन तथा वित्तीय सहायता, जैसे कार्यों के प्रमुख नीति विषयक क्षेत्रों के मध्य सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करने की क्षमता।
- इन प्राथमिकताओं को पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के संसाधनों की कार्यप्रणाली पर प्रभाव की क्षमता।[29]

उच्चतर शिक्षा के लिए अतःराज्य की कोई भी संरचना उत्तम अथवा आसानी से अंतरणीय नहीं है, यह राज्य का अपनी संस्कृति तथा चुनौतियों के फलस्वरूप तैयार होती है। तथापि उच्चतर शिक्षा साहित्य में प्रभावी राज्य समन्वय बोर्डों की प्रभाव्यता के अभिलक्षण दर्ज होते हैं:–

- स्वतंत्रता–विश्लेषणों तथा निर्णय निर्धारण प्रक्रियाओं की गुणवता तथा सम्पूर्णता के लिए अकादमिक/संस्थागत नेताओं तथा राज्य के राजनैतिक नेताओं का विश्वास एवं सम्मान प्राप्त करने की क्षमता।
- व्यावसायिक स्टाफ क्षमता के संबंध में:–
  - कार्यप्रणाली योजनाः दीर्घकालिक लक्ष्यों तथा कार्य योजनाओं के संबंध में भागीदारों के मध्य विस्तृत सचतेना का विकास करना।
  - कार्यप्रणाली योजना, नीति विकास, तथा सरकारी उत्तरदेयता की जानकारी देने के लिए डाटा/सूचना प्रणाली का प्रयोग।
  - राज्य नेतृत्व के लिए राज्य की कार्यनीति योजना से समारेखित वित्त नीति का विकास तथा अनुशंसा (अर्थात बजट एवं संसाधन आवंटन प्रक्रियाएं)।
  - पहुंच, गुणवता तथा प्रणाली कार्यकुशलता/निष्पादन से संबंधित जटिल राज्य स्तरीय मामलों के निपटान के लिए राज्य के प्रयासों का नेतृत्व।

29 नेशनल सेन्टर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड हायर एज्यूकेशन (2005)। राष्ट्रीय मिश्रित वार्ता का अंक "स्टेट कैपेसिटी फॉर हायर एज्यूकेशन पॉलिसी"।

- राज्य के लक्ष्यों में प्रतिभागिता के लिए संस्थानों की उत्तरदेयता का निर्धारण।

❖ *मूल्यों, दृष्टिकोण, नीति विकास, तथा संचार की अनुकूलता तथा सापेक्षता।*

राज्य समन्वय की प्रभावी वहनीयता की चुनौतियां

व्यावहारिक तौर पर अमेरिका में ''अच्छे व्यवहार'' की प्राप्ति करने वाली समन्वय एजेंसियों की स्थापना सदा से ही एक चुनौती रही है[30]:–

❖ **नीति निर्धारण में संतुलन की कमी:** कुछ राज्यों की समन्वय इकाईयां, राज्यों के राजनैतिक नेतृत्व की मांग के प्रति उत्तरदेयता का संतुलन करने में, जहां एक ओर असमर्थ हुई हैं वहीं अकादमिक/सांस्थानिक प्रतिनिधित्व की मांग में बढ़ोतरी हुई है। कुछ राज्यों में राज्य गर्वनर नियंत्रण के प्रति किए गए अधिक प्रयासों से अकादमिक समुदाय में एजेंसियों की स्वतंत्रता तथा साख प्रभावित हुई है। दीर्घकालिक एजेंडे के प्रति एजेंसियों के सामर्थ्य का निर्धारण अल्पकालिक राजनैतिक नेतृत्व एवं परिवर्तनों से किया जा सकता है। अन्य राज्यों में उच्चतर शिक्षा के संस्थागत हित एजेंसियों के एजेंडे पर हावी हुए हैं तथा राज्य के राजनैतिक नेतृत्व के प्रति उनकी विश्वसनियता सीमित हुई है। एजेंसियां विस्तृत लोक हित के स्थान पर विशेष हितों की अधिक पैरवी करती देखी गई हैं।

❖ **कमजोर सदस्यता:** अधिकांश राज्य बोर्डो के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के गर्वनर द्वारा की जाती है। कुछ राज्यों में नेतृत्व के अच्छे अनुभव वाले तथा राज्य की उच्चतर शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित प्रमुख परिवर्तन लाने में सक्षम पूर्व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गर्वनर द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है। राजनैतिक एवं अकादमिक नेतृत्व द्वारा एजेंसियों कार्रवाई अनदेखी की जाती रही हैं।

❖ **नीति निर्धारण तथा कार्यान्वयन में सांमजस्यता की कमी:** अत्याधिक गम्भीर सामान्य मामलों में एक है–लोक वित्तपोषण का आवंटन तथा उत्तरदेयता में संबंध स्थापित करना और दूसरा कार्यप्रणाली योजना में निर्धारित दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना। दीर्घकालिक लक्ष्यों के निष्पादन से किसी प्रकार का संदर्भ स्थापित किए बिना लोक वित्तपोषण किया जा रहा है। उत्तरदेयता की अपेक्षताएं संकीर्ण इनपुट उपायों पर सीमित हो गई हैं तथा ये प्रभाव्यता एवं कार्यकुशलता का संकेत सूचक नहीं हैं।

❖ **नौकरशाह विनियामक कार्यकलापों से बढ़ता हुआ कार्यभार तथा दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति नीति निर्धारण के प्रति विमुख नेतृत्व:** अनेक राज्य समन्वय इकाईयां नीति नेतृत्व (कार्यप्रणाली योजना, बजट की कार्यप्रणाली तथा प्रणाली में प्रमुख परिवर्तन) में केन्द्रीय भूमिका निभाने के प्रति विमुख हो गई हैं। इसके परिणामस्वरूप एजेंसियों की न तो कोई विश्वसनियता शेष रह गई है और न ही उच्चतर शिक्षा नीति की रूपरेखा तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाने की उनके पास क्षमता है।

❖ **व्यावसायिक स्टाफ के सामर्थ्य की कमी:** राज्य समन्वय कार्यकलापों के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी सामर्थ्य (कार्यप्रणाली योजना, नीति एवं वित्तीय विश्लेषण एवं डाटा/सूचना प्रणाली के क्षेत्रों के लिए) से युक्त व्यावसायिक स्टाफ द्वारा प्रभावशाली निष्पादन अपेक्षित होता है। इसके लिए संस्थानों में तथा राजनैतिक नेतृत्व एवं राज्य एजेंसियों में असाधारण कौशल तथा व्यावसायिक अनुभव वाले व्यवसायिक स्टाफ की आवश्यकता होती है। इन स्थितियों में अपेक्षित कौशल तथा अनुभव वाले व्यक्तियों की प्राप्ति संभव नहीं हो पाती है। कम वेतन तथा राजनैतिक दखलंदाजी ऐसी नियुक्तियों के आड़े आने के कारण एजेंसियों की स्टाफ की भर्ती करने से संबंधित क्षमता को कमजोर करके आंका जाता है।

अमेरिका में प्रभावी राज्य समन्वय एजेंसियों की वहनीयता को बनाए रखने के लिए इस पर अविरत ध्यान दिया जाना आवश्यक है। एक समय, देश में बेहतर एजेंसियां मानी जाने वाली एजेंसियां बाद में ऊपर बताए गए कारणों से कमजोर मानते हुए प्रभावहीन हुई हैं। अन्य एजेंसियां समय के साथ ही साथ सबल हुई हैं क्योंकि राज्यों द्वारा ऊपर समीक्षा किए गए ''अच्छे व्यवहार'' के विचार से सुविचारित कार्य किए हैं। किसी प्रभावी एजेंसी की एजेंसियों की वहनीयता आवधिक समीक्षा एवं नवीकरण पर निर्भर है।

30 पैरना, एल, तथा फिन्नै, जे (2014), द अटेनमेंट एजेंडाः स्टेट पॉलिसी लीडरशिप इन हायर एज्यूकेशन, बाल्टीमोरः हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।

संदर्भग्रंथ सूची

बेर्दहल, आर0ओ0 (1971)। स्टेट कॉर्डिनेशन ऑफ हायर एज्यूकेशन, वाशिंगटन डीसी, अमेरिकन काउसिंल ऑफ एज्यूकेशन।

कुमार, वेंकटेश बी (2010)। इंम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटिज एक्ट। इकोनॉमिक एण्ड पॉल्टिक्ल वीकली 23 अक्तूबर 2010 वाल्यूम xlv संख्या 43।

मैक गयून्निस्स, ए, मैककिन्ने, एच तथा मिलार्ड, आर (1974) चेजिंग मैप ऑफ पोस्ट सैकेंडरी एज्यूकेशनः *इंम्पलीमेंटेशन ऑफ द स्टेट 1202 कमीशंस। डेनवरः एज्यूकेशन्स कमीशंस ऑफ द स्टेट।*

मैक गयून्निस्स, एम्स (2010)। द स्टेट एण्ड हॉयर एज्यूकेशन इन अमेरिकन हॉयर एज्यूकेशन इन ट्वन्टी फर्स्ट सेन्च्यूरी : सोशल, पॉल्टिक्ल, एण्ड इॅक्नॉमिक चैलेन्जस, द्वितीय संस्करण, अल्टबॉच, पी, बेंदाहाल, आर एण्ड गुम्पोर्ट, पी ईडीएस, जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।

मैक गयून्निस्स, एम्स (2014)। स्टेट पॉलिसी लीडरशिप इन द पब्लिक इंटरेस्टः इज एनी वन एट होम, गुड चाईल्ड। एल ईटी, ईडीएस। पब्लिक पॉलिसी चैलेन्ज फेसिंग हॉयर एज्यूकेशन इन द अमेरिकन वेस्ट। द पॉलग्रेव मैकमिलान।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2013)। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, नई दिल्ली।

नेशनल सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड हॉयर एज्यूकेशन (2005) ''स्टेट कैपेसिटी फॉर हायर एज्यूकेशन पॉलिसी''। ए स्पेशल सप्लीमेंट ऑफ नेशनल क्रॉसटॉक।

पेरना, एल, तथा फिन्नेय, जे (2014)। द अटैन्मेंट एजेंडः स्टेट पॉलिसी लीडरशिप इन हॉयर एज्यूकेशन। बाल्टीमोरः जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी प्रेस।

ओईसीडी (2004)। ऑन द एड्ज – सिक्योरिंग ए सस्टेनएबल फ्यूचर फॉर हॉयर एज्यूकेशन, पेरिस।

यूजीसी (1988)। रिपोर्ट ऑफ द कमिटि ऑन सेटिंग अप स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एज्यूकेशन।

वर्ल्ड बैंक (2012)। टीईक्यूआईपी गुड प्रेक्टिस गाईड फॉर गर्विनिंग बॉडीज़, नई दिल्ली।

सहक्रिया निर्माण

अभिशासन

उच्चतर शिक्षा सुधार

रणनीतिक योजना

अभिशासन

गुणवत्ता सुधार

अंतरापृष्ठ

सहक्रिया निर्माण

उच्चतर शिक्षा सुधार

अभिशासन

गुणवत्ता सुधार

WORLD BANK GROUP

साउथ एशिया ह्यूमन डेव्लपमेंट एज्यूकेशन
एमसी10–748
1818 एच स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू.
वाशिंगटन, डीसी – 20433, संयुक्त राज्य अमेरिका